Con. 3. IX.22.49
320

अंक 9
संख्या 22

बुधवार
31 अगस्त
सन् 1949 ई.

भारतीय संविधान सभा

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

पृष्ठ

संविधान का मसौदा–*(जारी)*
सप्तम अनुसूची–*(जारी)*

[सूची 1 प्रविष्टि 53 से 57, 57-क, 58, 58-क, 59 से 61, 61-क, 62 से 64, नवीन प्रविष्टि 64-क, 65 से 70, 70-क, 71 से 73 तथा 73-क पर विचार] 1199-1266

भारतीय संविधान सभा

बुधवार, 31 अगस्त, सन् 1949 ई.

भारतीय संविधान-सभा, कांस्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में प्रातः नौ बजे, अध्यक्ष महोदय, माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के सभापतित्व में समवेत हुई।

संविधान का मसौदा — *(जारी)*

सप्तम अनुसूची — *(जारी)*

सूची 1 : प्रविष्टि 53

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर** (बम्बई जनरल): श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि सूची 1 की प्रविष्टि 53 में, 'except the States for the time being specified in Part III of the First Schedule', ये शब्द तथा अंक हटा दिये जायें।"

यह इसलिये कि हम भाग 1 तथा भाग 3 के राज्यों में कोई अन्तर नहीं रखना चाहते।

***श्री एच.वी. कामत** (मध्य प्रांत तथा बरार: जनरल): मेरा एक छोटा-सा संशोधन संख्या 198 है। श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि सूची 1 (छठे सप्ताह) के संशोधन संख्या 25 के निर्देश से, सूची 1 की प्रविष्टि 53 में, 'and exclusion of the jurisdiction of any such High Court from', इन शब्दों के स्थान पर, 'and exclusion from the jurisdiction of any such High Court of' ये शब्द रख दिये जायें।"

मैं जानता हूं कि यह केवल शब्दों का हेर फेर है पर इससे अर्थ में थोड़ा-सा परिवर्तन हो जाता है, और इससे प्रविष्टि का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। मेरा विश्वास है कि इस प्रविष्टि में 'कुछ क्षेत्रों का किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से अपवर्जन' का निर्देश है। अतः 'exclusion of jurisdiction of any such High Court' ऐसे कहना ठीक नहीं है। आप क्षेत्राधिकार से किसी चीज का अपवर्जन करते हैं: आप क्षेत्राधिकार का अपवर्जन नहीं कर सकते। आप कह सकते हैं कि आप किसी और क्षेत्र में क्षेत्राधिकार को विस्तृत नहीं करते।

---

*इस चिह्न का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

[श्री एच.वी. कामत]

किन्तु यह कहना कि 'you exclude the jurisdiction of a Court from something' सही अंग्रेजी नहीं है। मंशा तो यह है कि आप कुछ क्षेत्रों को किसी न्यायालय विशेष के क्षेत्राधिकार से मुक्त करते हैं, और विद्यमान रूप में इस प्रविष्टि से वह आशय नहीं निकलता जो हमारी मंशा है। मुझे विश्वास है कि डॉ. अम्बेडकर सहमत होंगे कि इस प्रविष्टि का उद्देश्य कुछ क्षेत्रों को उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त करना है। यदि यह बात है तो ये शब्द होने चाहियें "exclude from the jurisdiction of a Court certain areas"। मैं कह सकता हूं कि यह बिल्कुल उचित है, मैं अपने इस छोटे संशोधन को सदन के विचारार्थ पेश करता हूं।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** श्रीमान, श्री कामत का संशोधन बिल्कुल अनावश्यक है, क्योंकि मेरे संशोधन का उद्देश्य प्रविष्टि 53 के उस भाग को बिल्कुल हटा देना है जो 'except' से आरम्भ होकर अन्त तक जाता है। यदि प्रविष्टि के किसी भाग को रखना होता, तब तो यह प्रश्न उठ सकता था कि प्रविष्टि में प्रयुक्त शब्दावली अधिक अच्छी है या श्री कामत द्वारा सुझाई गई भाषा अधिक अच्छी है।

***श्री एच.वी. कामत:** मेरे संशोधन में प्रविष्टि का ही निर्देश है संशोधन का नहीं।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** मेरे विचार में यह प्रश्न उठ ही नहीं सकता क्योंकि मैं सबको ही हटा रहा हूं। दूसरी बात यह है कि प्रविष्टि 53 में प्रयुक्त भाषा वैसी ही होनी चाहिये जैसी कि अनुच्छेद 207 में प्रयुक्त हुई है।

***श्री एच.वी. कामत:** यदि यह स्वीकार कर लिया जाये तो तृतीय वाचन के अन्त में दूसरे अनुच्छेद की, जो पहले ही पारित हो चुका है, भाषा बदलनी पड़ेगी।

***अध्यक्ष:** मैं देखता हूं कि डॉ. अम्बेडकर के संशोधन में इस प्रविष्टि के एक भाग का ही निर्देश है।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** मैं अन्तिम भाग को हटा रहा हूं जो यह है "except the States for the time being specified in Part III of the First Schedule"। संशोधित रूप में प्रविष्टि ऐसी बन जायेगी:

> "Extension of the jurisdiction of a High Court having its principal seat in any State within the territory of India to, and exclusion of the jurisdiction of any such High Court from any area outside that State."

इस प्रविष्टि में क्षेत्राधिकार के विस्तार या अपवर्जन का ही उपबन्ध है।

***श्री एच.वी. कामत:** मेरे संशोधन में दूसरे भाग का निर्देश है "exclusion of the jurisdiction of any such High Court from any area outside that State."

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** मैं आपके शब्द-जाल को स्वीकार नहीं करता।

***श्री एच.वी. कामत:** यह शब्दजाल नहीं है। यह तो यही अंग्रेजी भाषा का प्रश्न है।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** यदि यह केवल अंग्रेजी का ही प्रश्न है तो हम इसे बाद में ले सकते हैं।

***अध्यक्ष:** फिर मैं भी कामत के संशोधन पर मत ले लेता हूं:

"कि सूची 1 (छठे सप्ताह) के संशोधन संख्या 25 के निर्देश से सूची 1 की प्रविष्टि 53 में, 'and exclusion of the jurisdiction of any such High Court from' इन शब्दों के स्थान पर, 'and exclusion from the jurisdiction of any such High Court of' ये शब्द रख दिये जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** अब मैं डॉ. अम्बेडकर के संशोधन पर मत लेता हूं।

"कि सूची 1 की प्रविष्टि 53 में 'except the States for the time being specified in Part III of the First Schedule' ये शब्द तथा अंक हटा दिये जायें।"

संशोधन स्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि संशोधन रूप में प्रविष्टि 53 को स्वीकार कर लिया जाये।"

संशोधन स्वीकृत हो गया।

संशोधित रूप में प्रविष्टि 53 संघ-सूची में जोड़ दी गई।

प्रविष्टि 54

प्रविष्टि 54 संघ-सूची में जोड़ दी गई।

प्रविष्टि 55

प्रविष्टि 55 संघ-सूची में जोड़ दी गई।

प्रविष्टि 56

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि सूची 1 की प्रविष्टि 56 के स्थान पर निम्न सूची रख दी जाये।

'56. Inquiries, surveys and statistics for the purpose of any of the matters in this List.' "

इसमें कोई खास अन्तर नहीं है। हमने केवल यही जोड़ दिया है "for the purpose of and of the matters in this list."

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** (पश्चिमी बंगाल: जनरल): यद्यपि मेरे संशोधन संख्या 163 से भाषा सुधर जायेगी, पर मैं उसे पेश नहीं करना चाहता।

(संशोधन संख्या 254 पेश नहीं किया गया)

***श्री फूल सिंह** (संयुक्त प्रांत: जनरल): अध्यक्ष महोदय, डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्थापित संशोधन से इस प्रविष्टि का क्षेत्र सीमित हो जायेगा। मौलिक प्रविष्टि के अन्तर्गत सरकार को किसी विषय के आंकड़े एकत्र करने की स्वतन्त्रता है, किन्तु यदि प्रस्थापित अनुच्छेद स्वीकार कर लिया जायेगा तो उसका क्षेत्र उस सूची में प्रविष्ट विषयों तक ही सीमित हो जायेगा। उदाहरण के लिये चीनी के मूल्य निर्धारण का ही प्रश्न है। चीनी का मूल्य निश्चित करने के लिये भारत सरकार को चीनी का उत्पादन-मूल्य मालूम करना है। वह इस सूची में नहीं है। जब तक संघ सरकार इस विषय पर विधान बनाने के लिये क्षमता न रखती हो, तब तक कारखाने सूचना देने से इन्कार कर सकते हैं। अत: मेरा सुझाव है कि संशोधन को स्वीकार न किया जाये और मूल प्रविष्टि 'Inquiries, surveys, and statistics for the purposes of the Union' यही रहने दी जाये। क्योंकि उससे सरकार इस सूची में वर्णित विषयों के अतिरिक्त मामलों में भी पड़ताल कर सकेगी तथा आंकड़े एकत्र कर सकेगी। इन शब्दों के साथ मैं डॉ. अम्बेडकर से इस पर पुनर्विचार करने की प्रार्थना करता हूं।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** श्रीमान, मेरे विचार में मेरे मित्र द्वारा अभिव्यक्त आशंका कुछ निराधार है और इसलिये उत्पन्न हुई है कि उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है कि राज्यों सम्बन्धी सब जांच पड़ताल आदि अब समवर्ती सूची में समाविष्ट हैं। अत: वे जो बात चाहते हैं वह पूरी हो जाती है।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि सूची 1 की प्रविष्टि 56 के स्थान पर निम्न प्रविष्टि रख दी जाये:

'56. Inquiries, surveys and statistics for the purpose of any of the matters in this List.' "

संशोधन स्वीकृत हो गया।

संशोधित रूप में प्रविष्टि 56 संघ सूची में जोड़ दी गई।

प्रविष्टि 57

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** श्रीमान, मैं प्रस्ताव रख दी जाये:

57. Union agencies and Union institutes for the following purposes, that is to say, research, for professional, vocational

or technical training, for scientific or technical assistance in the investigation or detection of crime, for the training of police officers, or for the promotion of special studies.' "

[निम्नांकित अभिप्रायों के लिये संघ-अभिकरण और संघीय संस्थायें, अर्थात् वृत्तिक, व्यावसायिक या शिल्पि-प्रशिक्षण के लिये, अपराध के अनुसंधान या पता चलाने में वैज्ञानिक या शिल्पी सहायता के लिये, आरक्षी पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये, या विशेष अध्ययनों की उन्नति के लिये।]

'व्यावसायिक प्रशिक्षण' तथा 'अपराध के अनुसंधान या पता लगाने, आरक्षी पदाधिकारियों के प्रशिक्षण' इन शब्दों को जोड़ देने से यह प्रविष्टि कुछ बड़ी हो गई है।

***अध्यक्ष:** अब हम संशोधन को लेते हैं।

(संशोधन संख्या 168 पेश नहीं किया गया।)

***श्री एच.वी. कामत:** अध्यक्ष महोदय, मैं छटे सप्ताह की सूची 3 के संशोधन संख्या 199 तथा 200 को पेश करता हूं। संशोधन संख्या 199 इस प्रकार है:

"कि प्रथम सूची (छठे सप्ताह) के संशोधन संख्या 27 में, तथा डॉ. अम्बेडकर द्वारा अभी-अभी प्रस्तावित संशोधन में,–

'.....सूची 1 की प्रस्तावित प्रविष्टि 57 में 'research' शब्द के स्थान पर 'historical, scientific and spiritual research' ये शब्द रख दिये जायें।"

संशोधन संख्या 200 इस प्रकार है.....

***माननीय श्री के. सन्तानम्** (मद्रास: जनरल): अध्यक्ष महोदय, कल मेरे ख्याल में, माननीय सदस्य ने ऐसे मामले में सरकारी हस्तक्षेप का विरोध किया था।

***अध्यक्ष:** उन्हें असंगत बातें कहने का अधिकार है।

***श्री एच.वी. कामत:** मुझे खेद है, श्रीमान, श्री सन्तानम ने समझने का प्रयत्न नहीं किया है। मेरे विचार में, वे अपने रेल तथा यातायात विभाग में बहुत व्यस्त हैं तथा यहां की कार्यावाही को नहीं समझते–कम से कम उसे नहीं समझे, जो कि कल मैंने सदन में कहा था। जब मैं यहां अपनी बात स्पष्ट करूंगा, तो मुझे विश्वास है कि वे भी अपने विचार को बदल लेंगे। संशोधन संख्या 200 इस प्रकार है:

"कि सूची 1 (छठे सप्ताह) के संशोधन संख्या 27 में, सूची 1 प्रस्थापित प्रविष्टि 57 में, 'police' शब्द के स्थान पर 'administrative and police' ये शब्द रख दिये जायें।"

[श्री एच.वी. कामत]

पहले संशोधन को पहले लेते हुए, मैं अपने विनम्र तरीके से अपने माननीय मित्र श्री सन्तानम् की आपत्ति का निराकरण करने का प्रयत्न करता हूं। उन्होंने कहा कि कल मैंने सरकारी हस्तक्षेप के विरुद्ध कहा है.....

***एक माननीय सदस्य:** केन्द्र द्वारा।

***श्री एच.वी. कामत:** खैर, योग सम्बन्धी मामलों में केन्द्र द्वारा हस्तक्षेप या सरकारी हस्तक्षेप। मेरा अनुमान है कि उन्होंने उस बात का निर्देश किया था जो मैंने भारत की योग संस्थाओं के विषय में कहीं थीं। कल तो मैंने यह कहा था—मुझे खेद है कि मेरे मित्र ने इसे समझा नहीं—कि आज देश में बहुत सी अशासकीय संस्थायें हैं जो योग तथा यौगिक अनुसंधान का अच्छा कार्य कर रही हैं। उनमें तब तक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये जब तक वे सफलता से कार्य कर रहे हैं और सर्वसाधारण को लाभ पहुंचाते हैं। किन्तु आज मैं जो बात कह रहा हूं, वह संघीय संस्थाओं के विषय में है—इस प्रविष्टि में संघीय अभिकरणों तथा संघीय संस्थाओं की चर्चा है। वे अशासकीय लोगों द्वारा संचालित अशासकीय संस्थाओं से भिन्न हैं और मुझे आशा है। कि मेरे मित्र श्री सन्थानम् समझ जायेंगे कि इस प्रविष्टि में तथा मेरी कल की बातों में क्या अन्तर है।

मेरे संशोधन संख्या 199 में यह बात है कि यहां research' (अनुसंधान) शब्द को स्पष्ट कर देना चाहिये। कल डॉ. अम्बेडकर ने भारत में परिमापों सम्बन्धी संशोधन पेश करते हुये 'प्राणकीय' शब्द के साथ 'नरतत्वीय' शब्द भी जोड़ दिया था। उनका उद्देश्य बहुत अच्छा था। वह था—अर्थ का बिल्कुल स्पष्ट तथा संदेहहीन बनाना। इसी प्रकार यहां, उन्हीं का अनुसरण करके मैं 'अनुसंधान' शब्द को बिल्कुल स्पष्ट तथा संशयहीन बनाना चाहता हूं। कई प्रकार के अनुसंधान होते हैं। कई संस्थाओं में ऐतिहासिक अनुसंधान होता है; पूना की एक सुविख्यात संस्था भंडाकार संस्था कई वर्षों से इस विषय में अच्छा कार्य कर रही है। फिर कई वैज्ञानिक संस्थायें हैं। किन्तु तीसरी प्रकार की संस्थाएं, जो आध्यात्मिक अनुसंधान करती हैं, वे बहुत कम हैं। यौगिक आश्रम तो हैं, पर वे उन संस्थाओं से भिन्न हैं जो आध्यात्मिक क्षेत्र में अनुसंधान करती हैं। जहां तक मुझे पता है केवल एक ही संस्था जो वैज्ञानिक प्रणाली से अध्यात्मिक क्षेत्र में अनुसंधान कर रही है, लोनावला की कैवल्यधाम संस्था है; और सरकार ने गत आयव्ययक सत्र में या तत्पश्चात शीघ्र, इस संस्था को मान्यता प्रदान की है और योग की उन्नति या उसमें वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रगति देने के लिये बीस हजार रुपये का अनुदान स्वीकार किया है। मैं बहुत विश्वस्त सूचना के आधार पर बोल रहा हूं। संस्था के प्रधान ने योग का वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिये अनुदान की प्रार्थना की थी और सरकार ने बीस हजार रुपये संस्था के लिये स्वीकार किये हैं, जिससे कि योग सम्बन्धी वैज्ञानिक अनुसंधान का नाम या काम आगे बढ़ाया जा सके।

स्वतन्त्रता के आगमन के पश्चात् तथा भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात में, मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि हमारी आध्यात्मिक संस्कृति, हमारी प्राचीन संस्कृति का केवल एक ही दिशा में ही नहीं वरन् सब सम्भव दिशाओं में पुनरुद्धार होना चाहिये। आध्यात्मिक संस्कृति पर,—विशेषत: यौगिक संस्कृति पर—एक आपत्ति यह की जाती है कि वह अवैज्ञानिक है। आज योग के वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रारंभिक

कार्यकर्त्ता, स्वामी कुवलयानन्द लोनावला वाले इस क्षेत्र में आश्चर्यजनक कार्य कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि ज्यों-ज्यों हम बड़े होते जायेंगे ज्यों-ज्यों भारत की स्वतन्त्रता का विकास होता जायेगा, त्यों-त्यों इस प्रकार की संस्थायें बढ़ती जायेंगी जो कि आध्यात्मिक क्षेत्र में अनुसंधान के कार्य को प्रगति देंगी। यह अत्यन्त आवश्यक है। जैसा कि अभी हाल ही में महायोगी अरविन्द ने कहा था, पश्चिम कुछ प्रकाश तथा पथ प्रदर्शन के लिये पूर्व की ओर झुक रहा है, और यदि पूर्व पश्चिम को निराश कर देगा तो संसार का उद्धार असंभव है। उन्होंने हमें यह कहा कि भारत को पश्चिम के भौतिकवादी बुदबुदों के पीछे नहीं भागना चाहिये। जीवन स्तर को ऊंचा उठाना तो ठीक है पर केवल भौतिकवादी बन जाना ही जीवन नहीं है। संसार कुछ और चाहता है और वह भारत की ओर देख रहा है। अब समय है कि हम इस दिशा में कुछ करें तथा प्रत्याशापूर्ण संसार को प्रकाश दिखायें।

मुझे आशा है कि केन्द्र अपनी ओर से केवल ऐतिहासिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान को ही नहीं, वरन् योग तथा आध्यात्मिक क्षेत्र में भी सच्चे वैज्ञानिक ढंग से अनुसंधान को प्रगति देगा,—विज्ञान का अर्थ अत्यन्त व्यापक और विस्तृत है, केवल एक छोटी-सी प्रयोगशाला, नलियों, सुराहियों, आदि की संकुचित भावना ही विज्ञान नहीं है, वरन् प्रयोग करने का वास्तविक वैज्ञानिक दृष्टिकोण ज्ञान प्राप्त करने की लिप्सा का नाम विज्ञान है, 'विज्ञान' शब्द ही 'ज्ञान' अर्थात् 'जानना' से बना है।

मेरे दूसरे संशोधन के विषय में, मेरा ख्याल है कि भूल से इस नई प्रस्थापित प्रविष्टि 57 में 'प्रशासनीय' शब्द रह गया है। पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण का निर्देश है। जहां तक मुझे पता है पिछले दिनों आई.पी.एस. तथा आई.सी.एस. को पहले इंगलिस्तान में प्रशिक्षण लेना पड़ता था और बाद में यहां आकर उस प्रशिक्षण को अपने विभाग में पूरा करना पड़ता था। द्वितीय विश्व युद्ध में, इंगलिस्तान की गड़-बड़ की स्थिति के कारण आई.सी.एस. के सदस्यों का प्रशिक्षण यहां देहरादून में होता था। यह प्रशिक्षण आई.सी.एस. को दिये जाने वाले अनुदेशों का भाग था। जब तक वे इस प्रशिक्षण तथा अन्य विभागीय परीक्षाओं में उत्तीर्ण, नहीं हो जाने थे उन्हें कच्चा समझा जाता था और पक्का नहीं किया जाता था तथा तरक्की नहीं मिलती थी।

मुझे पता लगा है, कि अगस्त 1947 के पश्चात् प्रशासनीय पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये एक शिक्षालय पुरानी दिल्ली के मेटकाफ हाऊस में आरंभ किया गया है, जिसमें पुराने सचिवालय अथवा दिल्ली विश्वविद्यालय का एक भाग था। इस शिक्षालय का प्रधान पुराने आई.सी.एस. का एक सदस्य है। वहां नये आई.ए.एस. के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो कि पुराने आई.सी.एस. के स्थान पर बना है। यदि यह आवश्यक समझा जाता है कि आरक्षी अधिकारियों को यह प्रशिक्षण मिलना चाहिये तो यह अधिक महत्वपूर्ण है कि नये आई.ए.एस. के सदस्यों को भी यह प्रशिक्षण मिले। वे पुराने आई.सी.एस. का स्थान ले रहे हैं और इसलिये उन्हें वैसा ही प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिये। मेरी समझ में नहीं आता कि आरक्षी अधिकारियों के प्रशिक्षण के साथ आई.ए.एस. के सदस्यों के प्रशिक्षण को क्यों न शामिल किया जाये, जब तक कि डॉ. अम्बेडकर अपने गम्भीर विवेक के आश्रय से इसके विपरीत कोई कारण न बता सकें। मेरा सुझाव है कि 'आरक्षी पदाधिकारियों का प्रशिक्षण' यह मद हटा दी जाये। पर यदि ऐसा न किया

[श्री एच.वी. कामत]

जा सके तो मुझे कोई कारण दिखाई नहीं देता कि आई.ए.एस. के सदस्यों को क्यों न सम्मिलित किया जाये। मैं अपने संशोधनों 199 तथा 200 को सदन के विचारार्थ पेश करता हूं।

***अध्यक्ष:** इस प्रविष्टि 57 पर एक संशोधन (संख्या 3544) श्री करीमुद्दीन के नाम में है। क्योंकि यह पेश नहीं किया जा रहा है, अत: डॉ. अम्बेडकर उत्तर दे सकते हैं।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र श्री कामत ने जो संशोधन पेश किये हैं। मैंने उनकी उस प्रविष्टि से तुलना की है जो मैंने प्रस्थापित की है। मेरे विचार में, एक बात के अतिरिक्त, मेरे माननीय मित्र श्री कामत के दिमाग में जो प्रयोजन हैं उन्हें केन्द्रीय सरकार पूरा कर सकेगी। केन्द्रीय सरकार प्रविष्टि 57 के अंतर्गत केवल एक ही कार्य नहीं कर सकेगी–वह है आध्यात्मिक अनुसंधान। मैं नहीं समझता। कि यह सदन, जो अच्छी प्रकार जानता है कि आज कल केन्द्रीय सरकार के समक्ष कितनी समस्यायें रहती हैं, उस पर आध्यात्मिक अनुसंधान जैसी चीज का भार डालना चाहेगा। उस संशोधन के षेश सब उद्देश्य प्रविष्टि 57 द्वारा पूरे हो जायेंगे।

***श्री एच.वी. कामत:** आप यह कैसे कहते हैं कि प्रशासनीय सेवा पदाधिकारी प्रस्थापित प्रविष्टि में आ जाते हैं?

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** मेरा ख्याल है आ जाते हैं, क्योंकि प्रशिक्षण केवल पुलिस पदाधिकारियों का ही नहीं है। प्रयुक्त भाषा यह है "वृतिक, व्यावसायिक या शिल्पि प्रशिक्षण के लिये अनुसंधान"। उपरोक्त के अन्तर्गत कोई भी वस्तु लाई जा सकती है।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि प्रथम सूची (छठे सप्ताह) के संशोधन संख्या 27 में, सूची 1 की प्रस्थापित प्रविष्टि 57 में 'research' शब्द के स्थान पर 'historical, scientific and spiritual research' ये शब्द रख दिये जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि सूची 1 (छठे 'सप्ताह') के संशोधन संख्या 27 में, सूची 1 की प्रस्थापित प्रविष्टि 57 में 'Police' शब्द के स्थान पर 'administrative and police' ये शब्द रख दिये जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** अब मैं डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित प्रविष्टि पर संशोधित रूप में, मत लूंगा।

प्रश्न यह है:

"कि सूची 1 की प्रविष्टि 57 के स्थान पर निम्न प्रविष्टि रख दी जाये।

'57. Union agencies and Union institutes for the following purposes, that is to say, for research, for professional, vocational or technical training, for scientific or technical assistance in the investigation or detection of crime, for the training of police officers, or for the promotion of special studies.' "

[57. निम्नांकित प्रयोजनों के लिये संघ-अभिकरण और संघ संस्थायें, अर्थात् वृत्तिक, व्यावसायिक या शिल्पि-प्रशिक्षण के लिये, अपराध के अनुसंधान या पता चलाने में वैज्ञानिक या शिल्पी सहायता के लिये, आरक्षी पदाधिकारियों, के प्रशिक्षण के लिये या विशेष अध्ययनों की उन्नति के लिये।]

संशोधन स्वीकृत हो गया।

संशोधित रूप में प्रविष्टि 57 संघ-सूची में जोड़ दी गई।

नवीन प्रविष्टि 57-क

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं:—

"कि सूची 1 की प्रविष्टि 57 के पश्चात्, निम्न नई प्रविष्टि प्रविष्ट कर दी जाये:

'57A. Co-ordination and maintenance of standards in institutions for higher education, scientific and technical institutions and institutions for research.' "

[57क. उच्चतर शिक्षा की संस्थाओं में वैज्ञानिक और शिल्पिक संस्थाओं में तथा गवेषणा की संस्थाओं में एक सूत्रता लाना और मानो का बनाये रखना]

यह प्रविष्टि तो पिछली प्रविष्टि संख्या 57 की पूरक मात्र है। प्रान्तों द्वारा चालित संस्थाओं के संबंध में प्रविष्टि 57क द्वारा केन्द्र को सीमित रूप में यह शक्ति देने की प्रस्थापना है कि वह गवेषणा संस्थाओं में एक सूत्रता ला सकता है और उनमें मानों को बनाये रख सकता है जिससे वे गिर न जायें।

श्रीमान, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं:

"कि सूची 1 (छठे सप्ताह) के संशोधन संख्या 28 में, सूची 1 की प्रस्थापित नई प्रविष्टि में, 'maintenance' शब्द के स्थान पर 'determination' शब्द रख दिया जाये"।

***अध्यक्ष:** संशोधन संख्या 201 तथा 255 केवल शब्दों को हटाने के विषय में है। यदि डॉ. देशमुख और श्री सरवटे चाहें तो उन पर बोल सकते हैं, पर उन संशोधनों को पेश करने की आवश्यकता नहीं है।

***श्री वी.एस. सर्वटे** (मध्य भारत): मेरे पास एक वैकल्पिक संशोधन भी है। मैं इसे आपकी अनुमति से पेश करूंगा।

श्रीमान, मेरा वैकल्पिक संशोधन इस प्रकार है:

"कि सूची 1 (छठे सप्ताह) के संशोधन संख्या 28 में, सूची 1 प्रस्थापित प्रविष्टि 57 में, 'Co-ordination and maintenance' इन शब्दों के स्थान पर 'Promotion by financial assistance or otherwise' शब्द रख दिये जायें।"

संशोधित प्रविष्टि इस प्रकार बन जायेगी:

"Promotion by financial assistance or otherwise of standards in institutions for higher education, scientific and technical institutions and institutions for research."

इस संशोधन को पेश करने में मेरा उद्देश्य यह है कि यदि डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्थापित प्रविष्टि रहेगी तो यह शिक्षा के प्रांतीय क्षेत्र में अनावश्यक हस्तक्षेप होगा।

कल भाषणों में दो प्रस्थापनायें पेश की गई थीं। एक यह थी कि शिक्षा केन्द्रीय विषय होना चाहिये। दूसरी बात एक सुविख्यात शिक्षा विद्वान ने यूं ही कह दी थी कि विश्वविद्यालयों की शिक्षा केन्द्र को सौंप देनी चाहिये। उन्होंने यह कारण बताया था कि प्रान्तों के पास पर्याप्त धन नहीं है। मुझे ये दोनों कारण न उचित दिखाई पड़े और न पर्याप्त ही। यदि प्रान्तों के पास शिक्षा की उन्नति के लिये पर्याप्त साधन नहीं हैं तो यह विकल्प नहीं है कि शिक्षा को केन्द्र में स्थानान्तरित कर दें, वरन् यह तरीका है कि प्रान्तों को पर्याप्त साधन उपलब्ध कराये जायें जिससे कि वे शिक्षा देने का कार्य कर सकें।

हमारा सौभाग्य है कि नये संविधान में समुचित उपबन्ध रख दिये गये हैं। वित्त आयोग को तत्काल ही प्रांतों को सहायक-अनुदान देने के विषय में सिफारिशें करनी हैं। और भी, इन सहायक अनुदानों की सिफारिशें करते समय, वित्त आयोग से यह आशा की जाती है कि वह देखे कि प्रान्तों को शिक्षा के लिये और सामाजिक सेवाओं के लिये कौन-सा आवश्यक व्यय करना है।

दूसरी बात यह कही गई थी कि शिक्षा राष्ट्रीय महत्व की वस्तु है, अत: इसे केन्द्र को हस्तांतरित कर देना चाहिये। इस तर्क का तो यह परिणाम होगा कि लगभग प्रत्येक कार्य क्षेत्र जो इस समय प्रांतों के हवाले हैं, केन्द्र को हस्तान्तरित करना पड़ेगा। चिकित्सा राष्ट्रीय महत्व की वस्तु है, स्वच्छता राष्ट्रीय महत्व की वस्तु है, और इन प्रांतों के क्षेत्राधिकार में जो भी सामाजिक सेवायें हैं वे सब केन्द्र को सौंप देनी होंगी। अब, मेरे विचार में, प्रांतों तथा केन्द्र के कृत्यों को निश्चित करने

की यह कसौटी नहीं है। मेरे विचार में तो कसौटी यह होनी चाहिये कि यह विषय राष्ट्रीय महत्व का होने के अतिरिक्त उसके विषय में इन तीन बातों में से एक बात पूरी होनी चाहिये। वे तीन बातें मैं अभी बताता हूं। पहली बात उसका सीधा संबंध प्रतिरक्षा से होना चाहिये। दूसरी बात वह ऐसा विषय होना चाहिये जिसका केवल केन्द्र ही सर्वोत्तम प्रबन्ध कर सके। तीसरी बात वह ऐसा विषय होना चाहिये जिसमें एक सूत्रता राष्ट्र के हित में अपेक्षित हो। उदाहरण के लिये सारे देश के भूतत्वीय परिमाप को सर्वोत्तम प्रकार से केन्द्र ही कर सकता है। तीसरी बात, वह ऐसा विषय होना चाहिये कि एकसूत्रता ही मुख्य बात हो और राष्ट्रहित में आवश्यक हो। उदाहरण के लिये तोल और माप के मानों को केन्द्र द्वारा ही नियत किया जाना चाहिये क्योंकि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है। यदि किसी क्षेत्र में सूत्रता आवश्यक नहीं है, वरन् विविधता तथा विभिन्नता अपेक्षित है, तो वह शिक्षा का क्षेत्र है।

शिक्षा की आजकल यह धारा है कि शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के अनुकूल होनी चाहिये जिससे कि प्रत्येक का व्यक्तित्व पूर्णत: विकसित हो सके, हां अन्य व्यक्तियों के व्यक्तित्व से उसका सामंजस्य रहे। यदि शिक्षा में यही बात आवश्यक है तो विविधता के लिये पूरी गुंजाइश होनी चाहिये। शिक्षा में एक सूत्रता नहीं होनी चाहिये, क्योंकि उससे व्यक्ति का विकास रुक जायेगा। कोई यह नहीं कह सकता कि मनुष्यों के लिये बौद्धिक तोल और माप का मान होना चाहिये। अत: मेरे विचार में शिक्षा को पूर्णत: प्रान्तों के लिये ही छोड़ देना चाहिये।

मैं अनुभव करता हूं कि इस समय जो प्रविष्टि है, शिक्षा के क्षेत्र में "एकसूत्रता लाना तथा मानों को बनाये रखना" यह शिक्षा के क्षेत्र में, गवेषणा के क्षेत्र में प्रयोगों में बाधा बन जायेगी। यदि शिक्षा को देश की राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना है, यदि व्यक्ति की योग्यता का पूर्णत: विकास करना है, तो विविधता होनी चाहिये और प्रयोग की स्वतन्त्रता होनी चाहिये। अत: मेरा यह कहना है कि इसे पूर्णतया प्रान्तों पर छोड़ देना चाहिये। अब, केन्द्र के पास पहले ही काफी अधिकार हैं जिसका प्रयोग करके वह प्रान्तों की संस्थाओं को, जहां तक गवेषणाा का सम्बन्ध है, उपयुक्त स्तर पर ला सकता है। मद संख्या 57 में पहले ही एक उपबन्ध है कि केन्द्र गवेषणा के लिये संघ-अभिकरणों पर नियन्त्रण कर सकता है और इन संघ-अभिकरणों के द्वारा केन्द्र मान निश्चित कर सकता है। जिनका अनुसरण करना प्रांतों का कर्तव्य होगा। अत: गवेषणा के सम्बन्ध में माननिर्धारण की शक्ति केन्द्र को देना अनावश्यक है।

जहां तक उच्चतर शिक्षा का सम्बन्ध है, सब संघानीय देशों में यही नीति अपनाई गई है कि केन्द्र मान निर्धारण की शक्ति नहीं लेता। वे इस क्षेत्र में प्रांतों को पूरी-पूरी शक्ति देते हैं। किन्तु वे ऐसा करते हैं कि केन्द्र यह घोषणा करता है कि यदि अमुक अमुक प्रयोग पूरा किया जायेगा, अमुक अनुदान दिया जायेगा। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने और संयुक्त राज्य के अन्य राष्ट्रपतियों ने भी यही किया था और आस्ट्रेलिया तथा कनाडा यही कर रहे हैं। यहां भी केन्द्र को यही करना चाहिये। यदि केन्द्र चाहता है कि कोई विशेष स्तर होना चाहिये तो उन्हें अपना नियंत्रणाधीन विश्वविद्यालयों में या गवेषणा सम्बन्धी अपनी संघीय अभिकरणों में वह स्तर रखना चाहिये, या वे ऐसा उपबन्ध कर सकते हैं कि जो विश्वविद्यालय उनकी इच्छानुसार स्तर रखेंगे उन्हें अनुदान दिये जायेंगे। इस पर नियंत्रण करने का एक और तरीका भी है। आज की परिस्थितियों में अधिकांश स्नातक विश्वविद्यालयों से पढ़कर सेवावृति

[श्री वी.एस. सरवटे]

करते हैं, और सरकार नियम बना सकती है जिससे कि केवल वे ही लोग सेवाओं में प्रवेश कर सकते हैं जो विशेष स्तर पर पहुंचे हों। ऐसे अप्रत्यक्ष रूप से वे विश्वविद्यालयों से उन मानों को स्वीकार करवा सकते हैं जो केन्द्र चाहता है। केन्द्र को प्रत्यक्ष रूप से कोई मान निर्धारण नहीं करना चाहिये।

शिक्षा पर पहले ही राज्य का अत्यधिक नियन्त्रण है। जिसे शिक्षा से प्रेम है वह खेद के साथ देखेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त गैर-सरकारी प्रत्यत्न नहीं होते। राज्य को गैर-सरकारी प्रयत्नों का प्रोत्साहन देना चाहिये तथा गैर-सरकारी विद्यालयों की उन्नति करानी चाहिये जो कि नये प्रयोग कर सकते हैं और शिक्षा के नये उपाय, नई प्रणाली ढूंढ सकते हैं। इसमें इस चीज की आवश्यकता है एकसूत्रता की नहीं। विविधता तथा विभिन्नता शिक्षा का उद्देश्य है, अतः केन्द्र द्वारा मान निर्धारण करने का प्रत्यक्ष प्रयत्न नहीं होना चाहिये। मैंने अपने संशोधन में वही मार्ग अपनाया है जिस पर संघानीय देश चल रहे हैं। अतः मैंने कहा–"उच्चतर शिक्षा की संस्थाओं की, वैज्ञानिक और शिल्पिक संस्थाओं की तथा गवेषणा की संस्थाओं की वित्तीय सहायता द्वारा या अन्यथा उन्नति कराना"।

(इस समय अध्यक्ष महोदय सभापति के आसन के उठ गये, तथा उसे उपाध्यक्ष महोदय श्री टी. कृष्णमाचारी ने ग्रहण किया।)

श्रीमान, एक बात और है। मेरे विचार में संसद के लिये या केन्द्रीय सरकार के लिये, उच्चतर शिक्षा के उदाहरणार्थ चिकित्सा-शिक्षा का मान निर्धारित करना कठिन होगा। क्या संसद के लिये यह पता लगाना संभव होगा कि चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा के मान क्या हैं:

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी** (मद्रास: जनरल): वे परामर्श के लिये विशेषज्ञ समिति नियुक्त कर सकते हैं।

***श्री वी.एस. सर्वटे:** समिति क्यों नियुक्त की जाये जबकि विश्वविद्यालय इसी प्रयोजन के लिये विशेषज्ञ समितियां ही तो हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्र पर जितना अधिक प्रशासन-भार होगा, वह उतना ही कम कुशल बन जायेगा। मैं देखता हूं कि केन्द्र के लिये अधिकाधिक कृत्य रखने का प्रयत्न हो रहा है और मुझे भय है कि इसका यह परिणाम होगा कि केन्द्र के पास इतने कृत्य हो जायेंगे कि उसका अपना कुशलता-मान गिर जायेगा। इसी को दूर करने के लिये मैंने अपना संशोधन रखा है।

श्रीमान, मैं यह प्रस्ताव करता हूं।

***डॉ. पी.एस. देशमुख** (मध्य प्रांत तथा बरार: जनरल): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विचार में माननीय डॉ. अम्बेडकर को यह स्मरण कराना आवश्यक है कि हम ऐसे विषयों की सूची पर विचार तथा विनिश्चय कर रहे हैं जिन पर विधान बनाने की अनन्य शक्ति संघ को ही प्राप्त होगी और यदि हम इस प्रविष्टि पर उस दृष्टिकोण से विचार करें, तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या संसद विधि द्वारा विभिन्न

संस्थाओं के मानों का निर्धारण करेगी, चाहे वे कैसी ही संस्थायें हों किसी प्रकार की संस्थायें हों, जहां तक कि उच्चतर शिक्षा, विज्ञान तथा शिल्प की संस्थाओं का सम्बन्ध है। मेरे विचार में कई सदस्य, जिनमें कुछ मस्विद-लेखन समिति के सदस्य भी हैं, बार-बार इसी गलती में पड़ जाते हैं कि इस अनुसूची का उद्देश्य संघ की शक्तियों को निर्धारित करना तथा परिभाषित करना है। इसी सूची का यह उद्देश्य नहीं है और मेरे विचार में यह अच्छा होगा यदि मस्विदा-लेखन समिति के सदस्य इस प्रविष्टि पर उस अत्यन्त महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से विचार करें। मेरा निवेदन है कि अभी मेरे माननीय मित्र श्री सरवटे ने जो भाषण दिया है वह बहुत विद्वतापूर्ण था, पर शायद वह कई सदस्यों को सुनाई नहीं दिया, हां, यहां थोड़े से ही सदस्य हैं जो अपनी वक्तृता के अतिरिक्त किसी की वक्तृता को सुनने की परवाह करते हों, और ऐसे सदस्य और भी कम हैं जिन्होंने अपनी बुद्धि को मस्विदा-लेखन समिति और डॉ. अम्बेडकर के पास रहने न रख दिया हो। यही कारण है, श्रीमान, कि देश में यह भावना बढ़ती जा रही है कि इस सदन की बहुत कम सदस्य परवाह करते हैं और देश भी शनैः शनैः यह सीखता जा रहा है कि वह इस सदन की यथेष्ट चिन्ता न करे। मैं नहीं समझता कि हमारे लिये या देश के लिये यह अच्छी बात है। इस बात का पता लगाने के लिये मैं श्रेय नहीं लेना चाहता। यह तो दीवार पर स्पष्ट लिखा है जिसे कोई भी पढ़ सकता है।

इस समय मैं डॉ. अम्बेडकर से कहना चाहता हूं कि जहां तक इस प्रविष्टि का सम्बन्ध है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री राजबहादुर (मत्स्य का संयुक्त राज्य): क्या मैं माननीय सदस्य से कह सकता हूं कि उन्होंने जो बातें कहीं हैं वे शायद इस सदन के अधिकांश सदस्यों के विषय में नहीं हैं। मेरा सुझाव है कि उन्हें इस प्रकार की बातों को व्यापक रूप में नहीं कहना चाहिये।

डॉ. पी.एस. देशमुखः मुझे प्रसन्नता है कि कम से कम एक माननीय सदस्य हैं जो इस बात का विरोध करने के लिये तैयार हैं और शायद उनका विरोध, जहां तक उनका वैयक्तिक रूप में सम्बन्ध है, ठीक है। कई सदस्य अनुभव करते हैं, श्रीमान, कि विश्वविद्यालयों की शिक्षा को शायद केन्द्र को सौंप देना चाहिये। हमने इसे लेने का विनिश्चय नहीं किया है, और अब भी विश्वविद्यालयों की शिक्षा प्रान्तों के हाथ में ही है।

***श्री एच.वी. कामतः** क्या डॉ. अम्बेडकर सुन रहे हैं, श्रीमान या वे अपनी निजी बातचीत में व्यस्त हैं? डॉ. देशमुख द्वारा अपनी वक्तृता जारी रखने से कोई लाभ नहीं है जब वे सुन ही नहीं रहे हैं।

***डॉ. पी.एस. देशमुखः** मैं उस व्यवहार का अभ्यस्त हो गया हूं। मेरे माननीय मित्र को अभी वह गुण अर्जन करना है और मुझे आशा है कि भविष्य में वे उस गुण को प्राप्त कर सकेंगे। चाहे दूसरे कुछ समझें और डॉ. अम्बेडकर ध्यान दें या न दें हम अपना कर्तव्य करते हैं और जो कुछ अनुभव करते हैं वह सदन के समक्ष पेश कर देते हैं, या सदन के उस भाग के समक्ष पेश कर देते हैं जो सुनने के लिये तैयार हो, और राष्ट्र के समक्ष उस हद तक हमारी बात पहुंच जाती है जिस हद तक समाचार पत्र हमारी बातों को प्रकाशित करें। मैंने तो आरंभ से ही.....

***उपाध्यक्षः** (श्री वी.टी. कृष्णमाचारी): डॉ. देशमुख अपना भाषण ही जारी रखें।

***डॉ. पी.एस. देशमुखः** अच्छा, श्रीमान, जैसा मैंने कहा था कई सदस्य यह अनुभव करते थे कि उच्चतर शिक्षा, विशेषतः विश्वविद्यालयों की शिक्षा, संघ का कर्तव्य होना चाहिये। हमने उस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया है तथा उस पर कार्यवाही भी नहीं कर रहे हैं। हमने वह कदम नहीं उठाया है। ऐसी हालत में हम मानों को निर्धारण कैसे कर सकते हैं तथा एक सुत्रता कैसे ला सकते हैं? क्या हम विश्वविद्यालयों के मानों में हस्तक्षेप करने के लिये विविध प्रांतों द्वारा पारित विश्वविद्यालय अधिनियमों को बदल देंगे? मैं ऐसा नहीं समझता। यदि हम यहां इस शक्ति को ले लें तब भी उन स्वायत्तता की शक्तियों में हस्तक्षेप करना किसी प्रकार संभव नहीं हो सकेगा जो हमने यहां प्रान्तों को दी हैं जब तक कि हम विश्वविद्यालय-शिक्षा को केन्द्रीय विधान-विषय न बना दें। एक और भी आपत्तिजनक बात है, वह यह है कि यह वांछनीय नहीं है, कि हम यहां विश्वविद्यालय निकायों तथा अन्य विद्वान संस्थाओं के विषय में निर्णय करें और उन्हें कहां से आदेश दें कि उचित मान क्या हैं और क्या नहीं हैं। इसका आधार कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिये जो केन्द्र देने के लिये तैयार हो। यदि किन्हीं भी विश्वविद्यालयों या संस्थाओं को कोई दान या वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है, तो केन्द्र को उनकी स्वायत्तता में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है, और यदि केन्द्र उच्चतर शिक्षा की सहायता कर सकता है और संसद उस पर अधिकाधिक व्यय करने के लिये तैयार है यदि यह एकमुष्ठ अनुदान या नियमित अनुदान दे सकता है तो उस प्रयोजन के लिये विधान-निर्माण आवश्यक नहीं होगा। यही पर्याप्त होगा कि केन्द्र मंत्रणा दे दे, संघीय विशेषज्ञ शेष विश्वविद्यालयों और विद्वान संस्थाओं को मंत्रणा दे दें और मुझे विश्वास है कि वे सदा अपने मानों के बदलने के लिये तैयार रहेंगे।

अतः विधान-शक्ति प्राप्त करना बिल्कुल आवश्यक नहीं है, उसका अर्थ तो उन विविध निकायों को संसदीय विधानों द्वारा मजबूर करना होगा कि वे कुछ बातें स्वीकार करें या कुछ मानों को स्वीकार करें। यदि आप कोई आर्थिक सहायता नहीं देते तो यह विधान-शक्ति केन्द्र की ओर से अनुचित हस्तक्षेप ही होगी। यदि आप वित्तीय सहायता देंगे तो मुझे विश्वास है कि अपने ही हित के लिये कोई संस्था इतनी मूर्ख नहीं होगी या साहसी या बेपरवाह नहीं होगी कि वह केन्द्र की राय न माने, क्योंकि उसे केन्द्र से वित्तीय सहायता मिलेगी।

अतः इन सब दृष्टिकोणों से यह मद बिल्कुल कुकल्पित है और मुझे आशा है कि माननीय डॉ. अम्बेडकर मेरे अन्तिम शब्दों को अवश्य सुनेंगे, चाहे उन्होंने अब तक कुछ नहीं सुना है, कि यह व्यर्थ का दिमागी ज्वर है जो मस्विदा लेखन समिति को शायद अधिक कार्य में व्यस्त होने के कारण हो गया है। मेरे विचार में यह भूल उनसे अधिक भार के कारण, घबराहट तथा थकावट के कारण हो गई है और मुझे आशा है कि इसे समय रहते ठीक कर लिया जायेगा। इस प्रविष्टि का कोई औचित्य नहीं है, और इससे किसी को कोई लाभ नहीं होगा, यदि हम विश्वविद्यालयों के मानों का निर्धारण करने के लिये विधान निर्माण की शरण लेंगे तो इससे विश्वविद्यालय निकाय चिढ़ जायेंगे। इन बातों को ध्यान में रखते हुये तथा मेरे मित्र श्री सरवटे ने जो कुछ कहा है उसे ध्यान में रखते ये मुझे आशा है कि इस प्रविष्टि को वापस ले लिया जायेगा और इस पर जोर नहीं दिया जायेगा।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमदः** उपाध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़े से विचार प्रकट करने हैं। मेरा निवेदन है कि श्री सरवटे के संशोधन से केन्द्रीय हस्तक्षेप सहनीय तथा वांछनीय बन जायेगा। डॉ. अम्बेडकर के संशोधन में यह बात है कि केन्द्र को शैक्षणिक मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार दे दिया जाये, पर यदि वह धन की सहायता के रूप में न हो, तो शिक्षा के मामलों में ऐसा हस्तक्षेप 'मुफ्त की राय' के समान बन जायेगा जो 'एकसूत्रता लाना तथा मानों का बनाये रखना' इस बड़े नाम से पुकारा जायेगा। प्रस्थापित प्रविष्टि अत्यन्त स्पष्ट है। मेरा निवेदन है कि श्री सरवटे के संशोधन में उपहास की भावना निहित है। वे कहते हैं कि केन्द्र को शिक्षा की उन्नति में केवल वित्तीय सहायता से ही हस्तक्षेप करना चाहिये। वित्त इस मामले में प्रधान है। वास्तव में यदि केन्द्र शिक्षा में जो कि मुख्यतः प्रांतीय विषय है, हस्तक्षेप करे तो, वह वित्तीय सहायता से होना चाहिये, केवल मुफ्त की मंत्रणा या आलोचना या टिप्पणी द्वारा नहीं। मेरे विचार में डाक्टर अम्बेडकर को इस व्यंग को स्वीकार करके इस संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिये जिससे हस्तक्षेप प्रांतों को केवल आर्थिक सहायता देने के रूप में ही रह जायेगा जो सचमुच वांछनीय हस्तक्षेप होगा।

***श्री बसंत कुमार दास** (पश्चिमी बंगालः जनरल): मेरा एक संशोधन है–संख्या 29।

***उपाध्यक्षः** मैं समझता था कि वे नये अनुच्छेद हैं। डॉ. अम्बेडकर, क्या आप चाहते हैं कि आपके बोलने से पहले उन्हें पेश किया जाये?

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** हां।

***उपाध्यक्षः** श्री दास, आप संख्या 29 को पेश कर सकते हैं।

***श्री बसंत कुमार दासः** श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं:—

"कि संशोधन सूची के संशोधन संख्या 3544 तथा 3545 के निर्देश से, सूची 1 की प्रविष्टि 57 में निम्न नई प्रविष्टियां जोड़ दी जायें:—

'5.A. Promotion of scientific researches and of higher technical and technological education.

57.B Co-ordination of educational activities of the States for the purpose of maintaining a uniform national educational policy.

57.C. Provision of adequate financial assistance to the States for proper development of education and maintenance of uniform standard of educational throughout the Union.' "

[57.क. वैज्ञानिक गवेषणा की तथा उच्चतर शिल्पिक और शिल्पकला विवरण सम्बन्धी शिक्षा की उन्नति।

57.ख. एक सी राष्ट्रीय शैक्षणिक नीति बनाये रखने के उद्देश्य से राज्यों की शिक्षा संबंधी कार्यवाहियों में एक सूत्रता लाना।

[श्री बसंत कुमार दास]

57.ग. शिक्षा के समुचित विकास के लिये और संघ भर में शिक्षा का एक सा मान बनाये रखने के लिये उचित वित्तीय सहायता का उपबंध।]

डॉ. अम्बेडकर के संशोधन में लिखा है कि केवल एक सीमित क्षेत्र में अर्थात् उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में ही एकसूत्रता लाना आवश्यक है, पर मेरे संशोधन का उद्देश्य यह है कि शिक्षा को इकट्टा ही लेना चाहिये और उस पर खंडशः विचार नहीं करना चाहिये। अतः मैं चाहता हूं कि राज्यों की कार्यवाहियों में एकसूत्रता होनी चाहिये जिससे कि एक सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी रह सके। इस सदन ने अनुच्छेद 36 को स्वीकार कर लिया है जिसमें लिखा है:—

"राज्य इस संविधान के आरंभ से दस वर्ष की कालावधि के भीतर सब बालकों को चौदह वर्ष की अवस्था-समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिये प्रबन्ध करने का प्रयास करेगा।"

तत्पश्चात् 31 (6) में कहा गया है:—

"शैशव और किशोर अवस्था का शोषण तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से संरक्षण हो।"

इन उपबन्धों को पूरा करने के लिये मेरे विचार में शिक्षा की एक सी राष्ट्रीय नीति होनी चाहिये और उस नीति को केन्द्र द्वारा एकसूत्रता लाकर क्रियान्वित किया जायेगा। यदि कोई उपयुक्त वित्तीय उपबन्ध नहीं होगा, तो राज्य संघ भर में शिक्षा का एक सा मान बनाये नहीं रख सकेंगे। शिक्षा ऐसा विषय है जिसे अन्न के पश्चात् ही प्राथमिकता देनी चाहिये। हमें यह देखना चाहिये कि सब राज्य सीमित समय में एक मान विशेष पर पहुंच जायें, अन्यथा सदन द्वारा स्वीकृत उपबन्धों को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। प्रत्येक राज्य में अपने ही मार्ग पर जाने की प्रवृत्ति है। मैं नहीं कहता कि उन्हें इसका अधिकार नहीं है। शिक्षा प्रांतीय विषय है, अतः प्रान्तों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार उसमें विभिन्नता होनी चाहिये, पर फिर भी एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिये और उस राष्ट्रीय नीति को केन्द्र की सहायता से क्रियान्वित करना चाहिये। मेरी पहली बात कुछ हद तक प्रविष्टि 57 द्वारा पूरी हो जाती है, पर 57ख और ग में मैं यह चाहता हूं कि केन्द्र को शिक्षा की एक सी नीति बरतने की पर्याप्त शक्ति होनी चाहिये और राज्यों को वित्तीय सहायता देने की भी शक्ति होनी चाहिये जिससे कि निश्चित कालावधि में एक सा मान कायम किया जा सके।

***श्रीमती रेणुका रे** (पश्चिमी बंगालः जनरल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री बसंत कुमार दास के संशोधन का समर्थन करना चाहती हूं। यह बहुत सुन्दर संशोधन है। जैसा कि बताया जा चुका है, उनके संशोधन का प्रथम भाग पहले ही स्वीकृत हो चुका है किन्तु 57ख और ग भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। शिक्षा-नीति में एक सूत्रता लाना तथा विशेषतः देश में शिक्षा का एक सा राष्ट्रीय न्यूनतम मान बनाये रखना आवश्यक है। शिक्षा ही हमारी प्रगति और उन्नति का आधार है; और जब तक केन्द्र शिक्षा में एक सूत्रता न ला सके और यह न देख सके कि देश का कोई

भाग शिक्षा के न्यूनतम मान से नीचे न रहे, तब तक हमारे लिये उन्नति करना वास्तव में असंभव है। कोई राज्य या इस देश का कोई क्षेत्र जो न्यूनतम मान से पीछे रह जाये वह शेष भाग के लिये भार होगा। अतः मैं अनुभव करती हूं कि यह बहुत आवश्यक है। साथ ही, राज्यों या प्रान्तों के लिये शिक्षा न्यूनतम मान बनाये रखना तब तक संभव नहीं है जब तक कि उनके पास ऐसा करने के लिये पर्याप्त धन न हो।

इस समय शायद संक्रमण काल की कठिनाइयों के कारण और, हो सकता है अन्य कारणों से, हम इन अत्यावश्यक राष्ट्र-निर्माण कार्यों की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दे सके हैं। जिन सेवाओं की पुराने शासन के अधीन अपेक्षा की गई थी तथा जिनके साथ विमाता व्यवहार किया गया था, उन्हें अभी आवश्यक सहायता मिलनी है जिससे कि देश प्रगति कर सके। मैं कहना चाहती हूं कि हमारी राष्ट्रीय आय का कम से कम पच्चीस तीस प्रतिशत भाग तत्काल राष्ट्र-निर्माण के कार्यों के लिये अलग रख देना चाहिये। मेरा यह दावा है कि प्रत्येक प्रान्त में राष्ट्रीय आय का कम से कम 15 प्रतिशत, नहीं तो 20 प्रतिशत, शिक्षा पर व्यय होना चाहिये। मैं जानती हूं कि हमारे देश में स्थिति खराब है और जब तक हम अधिक उत्पादन नहीं कर सकते, हम अपनी राष्ट्रीय आय को बढ़ा नहीं सकते। यह कहा गया है कि जब तक हम अपनी राष्ट्रीय आय को नहीं बढ़ा सकते तब तक इन आवश्यक कार्यों के लिये धन प्राप्त करना कैसे संभव है? हमें वह संकुचित घेरा कहीं न कहीं तोड़ना होगा। हमारे देश के लिये प्रगति करना या अधिक उत्पादन करना तब तक संभव नहीं है जब तक कि श्रमिक की कार्यकुशलता न बढ़े। इसका यह अर्थ है कि शिक्षा और स्वास्थ्य का न्यूनतम मान होना चाहिये। जब तक पुरुषों और स्त्रियों की जो समाज के निर्माता हैं, शिक्षा तथा स्वास्थ्य का न्यूनतम मान नहीं होगा, तब तक हमारे लिये कार्य-कुशलता को बढ़ाना संभव नहीं होगा और जब तक कुशलता नहीं बढ़ेगी तब तक अधिक उत्पादन की बात करने से कोई लाभ नहीं है। मेरे विचार में हमें इस समस्या को इस आधार पर सुलझाना चाहिये।

यदि हमें ऐसा करना है तो इसमें श्री दास का यह संशोधन सहायक होगा। उन्होंने जो दो बातें उठाई हैं वे अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं कि केन्द्र को एकसूत्रता लाने की शक्ति होनी चाहिये और यह देखना चाहिये कि कोई राज्य न्यूनतम मान से पीछे न रहे, और राज्यों को शिक्षा का विकास करने के लिये काफी आर्थिक सहायता मिलनी चाहिये। मैं यह नहीं कहती कि केन्द्र को यह शक्ति होनी चाहिये कि वह किसी राज्य के न्यूनतम मान से आगे बढ़ने में हस्तक्षेप करे। यह शक्ति इस संकल्प में निहित नहीं है। इसमें यह ही शक्ति निहित है कि कोई राज्य न्यूनतम मान से पीछे न रहे और मुझे आशा है कि डॉ. अम्बेडकर और मसौदा-लेखन समिति इस पर विचार करेगी तथा इस संशोधन को स्वीकार कर लेगी।

***श्री लक्ष्मीनारायण साहू** (उड़ीसा: जनरल): माननीय सभापति जी यह जो नया संशोधन का प्रस्ताव हम लोगों के सामने उपस्थित किया गया है इसके साथ मैं सहमत नहीं हूं, इसलिये कि शिक्षा एक प्रादेशिक विषय है। और शिक्षा एक प्रादेशिक विषय होने से अभी इसमें सेंटर का इतना अधिकार कर देना समुचित

[श्री लक्ष्मीनारायण साहू]

नहीं है। कम से कम इसको तो कानकरेंट लिस्ट में रखना चाहिये। फिर दूसरे आर्टिकल में यह भी कहा गया है कि:

"Parliament has exclusive powers to make laws in respect of the matters enumerated in list I of the Seventh Schedule."

यह होते हुये भी हम लोग फिर पावर छीन लेते हैं यह उचित नहीं है। मेरा मतलब यह है कि जब एक शिक्षा प्रादेशिक विषय मान लिया गया है तो यूनिवर्सिटी के हाथ में हर एक जगह पावर रहनी चाहिये इसके लिये सेंटर की पावर नहीं रहनी चाहिये। जब तक यूनिवर्सिटी स्वतन्त्र नहीं रहेगी तब तक इस देश में जो शिक्षा हम लोग पाते हैं वह शिक्षा ठीक तरह से नहीं चल सकती। मैं आपको यह बताता हूं कि हिन्दुस्तान में जितनी यूनिवर्सिटी हैं उनमें कलकत्ता यूनिवर्सिटी को जो स्वातन्त्रय बहुत ज्यादा है और हम देखते हैं कि यह स्वातन्त्रय रहने से यूनिवर्सिटी से जो आदमी निकलते हैं उनसे ज्यादा फायदा होता है। मैं इसका प्रतिरोध इसलिये करता हूं कि डॉक्टर अम्बेडकर का इस अमेंडमेड से यूनिवर्सिटी की जो पावर है उसको हम कम कर देना चाहते हैं।

यहां एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हायर एज्युकेशन क्या है यह बताना चाहिये। हम लोगों की समझ में कुछ नहीं आता है कि हायर एज्युकेशन युनिवर्सिटी एज्युकेशन है या सेकेण्डरी एज्युकेशन है। इसको साफ कर देना चाहिये कि हायर एज्युकेशन का क्या मतलब है। अगर हायर एज्युकेशन का मतलब कॉलेज एज्युकेशन है तब तो युनिवर्सिटी को जितनी मदद सैंटर दे सकता है देना चाहिये। लेकिन हायर एज्युकेशन का मतलब सेकेण्डरी एज्युकेशन है तो बहुत खराब है। मैं तो चाहता हूं कि हर एक प्रान्त में सेकेण्डरी ऐज्युकेशन में सेंटर की कोई क्षमता नहीं रहनी चाहिये। आज तक क्या हुआ है कि ब्रिटिश इस देश में थे और वे केन्द्रीभूत पावर सेंटर में लेकर शिक्षा चलाते थे जिससे कोई आदमी जो यह ख्याल करता था कि नये तरीके से एज्युकेशन चलना चाहिये तो वह ख्याल नहीं चला सकता था। अभी भी इस देश में बहुत आदमी हैं जो ख्याल करते हैं कि शिक्षा एक तरीके से होगी और कुछ आदमी यह ख्याल करते हैं कि शिक्षा दूसरे तरीके से होगी। तो जब तक यह स्वातन्त्रय नहीं मिलेगा, और सब लोगों को स्टिंगरोल किया जायेगा तो उससे सबको भेड़ें ही बनाना है। इसलिये मैं चाहता हूं कि हर एक यूनिवर्सिटी को पूरी क्षमता देनी चाहिये और सेंटर जितना आर्थिक सहयोग दे सकता है उतना आर्थिक सहयोग उसे देना चाहिये। इसीलिये मैं इस संशोधन का प्रतिरोध करता हूं।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना** (संयुक्त प्रांत: जनरल): श्रीमान, क्या मैं अपना संशोधन 256 पेश कर सकता हूं?

(इस समय अध्यक्ष महोदय पुन: पीठासीन हुए।)

***अध्यक्ष:** यह तो नई प्रविष्टि जोड़ना है।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना:** श्रीमान, अभी आपने 259 की अनुमति दी थी।

***अध्यक्ष:** क्या आप इसे इसके संशोधन के रूप में पेश करना चाहते हैं?

***प्रो शिब्बन लाल सक्सेना:** वे एक दूसरे से सम्बद्ध विषय हैं।

***अध्यक्ष:** यह तो नई प्रविष्टि है जो आप पेश करना चाहते हैं। श्री फूल सिंह।

***श्री फूल सिंह:** अध्यक्ष महोदय, मैं संशोधन 57 ख का समर्थन करने खड़ा हुआ हूं पर मुझे भय है कि मेरे लिये संशोधन 57 ग का समर्थन करना संभव नहीं है। एकसी राष्ट्रीय शैक्षणिक नीति आवश्यक है। क्योंकि कुछ विश्वविद्यालयों ने अपनी उपाधियों को इतना सस्ता कर दिया है कि इन विश्वविद्यालयों से जो उत्तीर्ण होते हैं उन्हें नियुक्त करने वाले प्राधिकारी नीची निगाह से देखते हैं। कुछ विश्वविद्यालयों में अपनी उपाधियों को इतना सस्ता बना दिया है कि जो लड़के वैसे उत्तीर्ण नहीं हो सकते थे वे उन विश्वविद्यालयों से सहज ही उत्तीर्ण हो जाते हैं। इससे बहुत गड़-बड़ हो गई है अत: एकसी राष्ट्रीय नीति आवश्यक है। मैं इससे सहमत हूं, पर मुझे भय है कि केन्द्र से यह कहना कि वह राज्यों को पर्याप्त वित्तीय सहायता दे, केन्द्र पर बहुत भार डालना होगा, किन्तु जब तक हम केन्द्र की आय न बढ़ायें, तब तक केन्द्र के लिये इन सब कार्यों के लिये वित्त देना शायद संभव न हो सके। अतएव मैं 57ख का समर्थन करता हूं और 57ग का विरोध करता हूं।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बडेकर:** अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्रों ने जो इस प्रविष्टि 57क पर बोले हैं, कुछ मामलों को मिला दिया है। जहां तक मैं समझ सका हूं उनका यह कहना है कि यह प्रविष्टि 57क तभी स्वीकृत होनी चाहिये जब केन्द्रीय सरकार प्रांतों को कुछ अनुदान दे। इन दोनों मामलों को मिलाना मुझे बिल्कुल अनावश्यक प्रतीत होता है। केन्द्र से प्रांतों को अनुदान देने के प्रश्न पर दो भिन्न अनुच्छेदों-255 तथा 262-में उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 255 में उपबन्ध है कि केन्द्र द्वारा प्रान्तों को सहायता के लिये अनुदान दिये जायेंगे—

> "ऐसी राशियां, जो संसद विधि द्वारा उपबन्धित करे उन राज्यों के राजस्वों के सहायक अनुदान के रूप में प्रतिवर्ष भारत की संचित निधि पर भारित होंगी जिन राज्यों के विषय में संसद यह निर्धारित करे कि उन्हें सहायता की आवश्यकता है,....."

अत: वित्तीय सहायता द्वारा राज्यों को प्रोत्साहन देने का उपबन्ध तो 255 में पहले ही है। मैं सदन के सदस्यों का ध्यान एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद की ओर दिलाना चाहता हूं जिसका क्षेत्र अधिक विस्तृत है वह है अनुच्छेद 262, उसमें लिखा है:—

> "संघ या राज्य किसी सार्वजनिक प्रयोजन के हेतु कोई अनुदान दे सकेगा, चाहे फिर वह प्रयोजन ऐसा न हो कि जिसके विषय में यथास्थिति संसद या उस राज्य का विधान मंडल, विधि बना सकता है।"

जैसा कि सदन देखेगा इसका क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत है। इसमें लिखा है कि चाहे वह विषय सूची 1 में न हो, फिर भी, संसद अनुदान दे सकती है। अत: इस प्रश्न के लिये अलग उपबन्ध होने के बाद मेरे विचार में उसे प्रविष्टि 57क में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

[डॉ. बी.आर. अम्बेडकर]

प्रविष्टि 57क में केवल कुछ संस्थाओं में खास मानों को बनाये रखने का विषय है, जो संस्थायें उच्चतर शिक्षा देती हैं, या वैज्ञानिक और शिल्पी संस्थाएं हैं, गवेषणा की संस्थायें हैं, आदि। आप कह सकते हैं "यह प्रविष्टि क्यों रखी जाये?" मैं बताऊंगा कि उसकी क्या आवश्यकता है। उदाहरण के लिये बी.ए. की परीक्षा को ही लीजिये, जो भारत के विविध विश्वविद्यालयों की ओर से ली जाती है। अब, अधिकांश प्रांत और केन्द्र अभ्यर्थियों के लिये विज्ञापन करते समय केवल यही कहते हैं कि अभ्यर्थी विश्वविद्यालय का स्नातक होना चाहिये। अब, मान लीजिये, मद्रास विश्वविद्यालय कहे कि बी.ए. में उत्तीर्ण होने के लिये 15 प्रतिशत अंक प्राप्त करना पर्याप्त है; और मान लीजिये कि बिहार विश्वविद्यालय कहे कि बी.ए. उपाधि प्राप्त करने के लिये 20 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है; और कोई अन्य विश्वविद्यालय कोई अन्य मान निश्चित कर दे, तो बिल्कुल गड़बड़ हो जायेगी और सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली पदावलि का, कि अभ्यर्थी स्नातक होना चाहिये, कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसी प्रकार कई गवेषणा संस्थायें हैं जिनके परिणामों पर केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों की कई कार्यवाहियां निर्भर हैं। स्पष्ट है कि आप इन शिल्पी और वैज्ञानिक संस्थाओं के परिणामों को सामान्य स्तर से गिरने नहीं दे सकते और यदि ऐसा हो जाये तो उन्हें केन्द्र के प्रयोजनों, अखिल भारतीय प्रयोजनों या राज्य के प्रयोजनों के लिये मान्यता प्रदान नहीं कर सकते।

अतः आर्थिक सहायता के प्रश्न के अलावा, यह सर्वथा आवश्यक है, केन्द्र के हितार्थ भी तथा प्रांतों के हितार्थ भी, कि अखिल भारतीय आधार पर ही मानों को बनाये रखा जाये। इस प्रविष्टि का यही उद्देश्य है, और मेरे विचार में तो यह बहुत महत्वपूर्ण और अच्छा उपबन्ध है क्योंकि कई प्रान्त ऐसे हैं जो गवेषणा संस्थायें स्थापित करने या विश्वविद्यालय स्थापित करने की जल्दी में हैं या अपने मानों को यूं ही नीचा करना चाहते हैं जिससे कि बाह्य जगत में यह प्रभाव उत्पन्न कर सकें कि वे पहले से कहीं अच्छे परिणाम निकाल रहे हैं।

***डॉ. पी.एस. देशमुखः** क्या सरकार की यह इच्छा है कि उत्तीर्ण होने के लिये अंक तथा प्रतिशत भाग निश्चित करे?

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** वे ऐसा कर सकते हैं। यह तो सरकार का काम है कि वह जैसा भी उचित समझे उसी प्रकार मान को बनाये रखें। मैं तो कुछ नहीं कह सकता कि कोई सरकार क्या करेगी।

***अध्यक्षः** मैं संशोधनों पर मत लेता हूं। सबसे पहले श्री बसन्त कुमार दास द्वारा प्रस्थापित तीन प्रविष्टियां 57क, 57 ख और 57 ग हैं।

***श्री बसन्त कुमार दासः** मैं उन्हें वापस लेने के लिये सदन की अनुमति मांगता हूं।

संशोधन, सदन की अनुमति से, वापस ले लिये गये।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि सूची 1 (छठे सप्ताह) के संशोधन संख्या 28 में, सूची 1 की प्रस्थापित नई प्रविष्टि 57क, में 'Coordination and maintenance' इन शब्दों के स्थान पर 'Promotion by financial assistance or otherwise' ये शब्द रख दिये जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि सूची 1 की प्रविष्टि 57क के पश्चात् निम्न नई प्रविष्टि प्रविष्ट कर दी जाये:—

"57क. उच्चतर शिक्षाओं की संस्थाओं में वैज्ञानिक तथा शिल्पिक संस्थाओं में और गवेषणा की संस्थाओं में एकसूत्रता लाना और मानों का निर्धारण।"

प्रस्ताव स्वीकृत हो गया।

प्रविष्टि 57-क संघ-सूची में जोड़ दी गई।

***अध्यक्ष:** प्रो. शिब्बनलाल सक्सेना ने संशोधन संख्या 256 में एक नई प्रविष्टि की प्रस्थापना की है। विश्वविद्यालयों की शिक्षा तथा शिक्षा के सम्बन्ध में प्रांतों की शक्ति के विषय में इतना वाद-विवाद होने के बाद भी क्या माननीय सदस्य अपना संशोधन पेश करने से कुछ लाभ समझते हैं?

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना:** यदि आपका सुझाव हो तो मैं पेश नहीं करूंगा।

***अध्यक्ष:** बहुत अच्छा। हम इसे छोड़ देते हैं।

प्रविष्टि 58

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि सूची 1 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्न नई प्रविष्टि रख दी जाये:—

'58. Union Public Services, All India Services: Union Public Service Commission.' "

[संघ-लोक सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, संघ-लोक सेवा-आयोग।]

(संशोधन संख्या 169 पेश नहीं किया गया।)

***डॉ. पी.एस. देशमुखः** श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि सूची 1 (छठे सप्ताह) के संशोधन संख्या 30 में, सूची 1 की प्रस्थापित प्रविष्टि 58 में, 'All India Services (अखिल भारतीय सेवायें)' इन शब्दों को हटा दिया जाये।"

अब जो प्रविष्टि प्रस्थापित हुई है उसके शब्द ये होंगे:—

"Union Public Services, All India Services, Union Public Service Commission."

मैं समझ नहीं पाता कि 'All India Services (अखिल भारतीय सेवाएं)' इन शब्दों की क्या आवश्यकता है। मेरे विचार में संघ-लोक सेवा' में 'अखिल भारतीय सेवायें' भी समाविष्ट हैं क्योंकि संघ में समस्त भारत आ जाता है और वही 'अखिल भारत' है, और मैं नहीं समझता कि "लोक" शब्द से कोई अन्तर पड़ेगा। अत: मेरे विचार में 'अखिल भारतीय सेवाएं' इन शब्दों का जोड़ना व्यर्थ है। किन्तु यदि उनसे कोई विशिष्ट प्रयोजन सिद्ध होता है तो मैं इस संशोधन पर जोर नहीं दूंगा। यदि 'संघ-लोक सेवा' इन शब्दों का सीमित आशय है और उसमें अखिल भारतीय सेवाएं भी आ जायें, क्योंकि सेवाओं को संघ-लोक-सेवाएं कहा जाता है, यदि अखिल भारतीय सेवायें उस आयोग को नहीं भेजी जा सकेंगी, कम से कम साधारणत: ऐसा ही होगा, क्योंकि सेवा आयोग को संघ-लोक सेवा-आयोग कहां गया है। अत: जहां तक आयोग का संबंध है, उसमें अखिल भारतीय सेवाओं को कोई स्थान नहीं होगा। ये अनावश्यक शब्द जोड़े गये हैं। किन्तु मैं तो केवल सूचना चाहता हूं।

***श्री एच.वी. कामतः** श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि सूची 1 (षष्ठम सप्ताह) के संशोधन संख्या 30 में, सूची 1 की प्रस्थापित प्रविष्टि 58 में, अंत में, 'and Joint Commission' ये शब्द जोड़ दिये जायें।"

फिर प्रविष्टि इस प्रकार बन जायेगी:

"Entry 58. Union Public Services, All-India Services, Union Public Services Commission and Joint Commission."

(प्रविष्टि 58. संघ-लोक सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, संघ-लोक सेवा-आयोग और संयुक्त आयोग।)

सदन को स्मरण होगा कि कुछ दिनों पूर्व हमने अनुच्छेद 284, 285, 285क, 285ख, 285ग, 286, 287 आदि आदि को स्वीकार किया था, जिनमें लोक-सेवा आयोगों की सृष्टि की गई थी जो तीन विभिन्न श्रेणी के थे: प्रथमत: संघ आयोग: दूसरा राज्य आयोग: और तीसरा संयुक्त आयोग जो उन दो या अधिक राज्यों के

लिये होगा जो उन राज्यों के लिये ऐसा आयोग बनाने के लिये तैयार हो गये हों। दुर्भाग्य से इस संयुक्त आयोग के मामले को मस्विदा-लेखन समिति भूल गई, क्योंकि सदन देखेगा कि अनुच्छेद 284 से संसद को यह शक्ति मिल जाती है कि वह विधि द्वारा संयुक्त लोक-सेवा आयोग की नियुक्ति का उपबन्ध बना सकती है जो उन दो या अधिक राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा जो कि अपने लिये संयुक्त आयोग बनाने के लिये सहमत हो गये हों। अनुच्छेद 284 से भी राष्ट्रपति को यह शक्ति मिलती है कि वह संयुक्त आयोग के सभापति तथा अन्य सदस्यों को नियुक्त करे, और इस अनुच्छेद तथा अनुवर्ती अनुच्छेद से राष्ट्रपति या संसद को संयुक्त आयोग के संविधान तथा संगठन के विषय में भी शक्ति मिलती है। खैर, मैं देखता हूं कि इस संयुक्त आयोग के मामले का अन्य सूचियों–सूची 2 और 3 में उपबन्ध नहीं है, और यदि है भी तो भी मैं नहीं समझता कि यह इन दोनों सूचीयों में से किसी में क्षेत्र में आता है। संयुक्त आयोग का उचित स्थान सूची 1 में है, वह संघीय प्राधिकारियों के क्षेत्राधिकार में होना चाहिये। तदनुसार मेरा सुझाव है कि मेरा संशोधन स्वीकार करके यह चीज जोड़ दी जाये, अर्थात् इस प्रस्थापित प्रविष्टि 5 में संयुक्त आयोग भी समाविष्ट कर दिया जाये। मैं संशोधन संख्या 204 को पेश करता हूं और सदन से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर विचार करे तथा इसे स्वीकार कर ले।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** मेरे मित्र डॉ. पंजाब राव देशमुख ने 'अखिल भारतीय सेवाएं' इन शब्दों को निकालने का जो संशोधन पेश किया था उसे स्वीकार करना संभव नहीं है। कारण यह है कि अब तक अखिल-भारतीय सेवाएं तथा उनका विनियमन भारत-शासन-अधिनियम में नहीं था; क्योंकि यह मामला अन्य रूप से भारत-मंत्री के हाथ में था। अब भारत-मंत्री तो रहा नहीं है, अत: संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं के विनियमन के लिये किसी अभिकरण का उपबन्ध करना आवश्य है और उसके लिये सबसे उचित अभिकरण केन्द्र ही है। सूची 1 में उन मामलों का उल्लेख है जो केन्द्र के क्षेत्र में हैं। अत: अखिल भारतीय सेवाओं का स्वाभाविक स्थान सूची 1 में है। एक युक्ति तो यह है।

दूसरी युक्ति यह है कि इस समय दो प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं विद्यमान हैं। एक तो पुराने आई.सी.एस. के अवशिष्ट हैं जो अब भी भारत-सरकार की सेवाएं कर रहे हैं। दूसरे, गत दो वर्षों में नई सेवाएं स्थापित की गई हैं, जो अखिल भारतीय प्रशासनीय सेवा तथा अखिल भारतीय आरक्षी सेवा कहलाती हैं। क्या केन्द्र इन दोनों सेवाओं के आधार पर असैनिक सेवकों की भरती जारी रखेगा? इसका निर्धारण तो एक अनुवर्ती अनुच्छेद द्वारा किया जायेगा। पर इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये सेवाएं प्रांतों की सहमति से बनाई गई हैं। दूसरी बात, वे सेवाएं हैं तो उनके विनियमन के लिये उपबन्ध करना आवश्यक है और मेरा निवेदन है कि संघ सूची ही उचित सूची है जिसमें यह उपबन्ध किया जा सकता है।

मेरे मित्र श्री कामत ने जो सुझाव दिया है कि संयुक्त आयोग का भी उल्लेख इस प्रविष्टि में होना चाहिये, उसके विषय में मेरा निवेदन है कि गम्भीर विचार करने पर पता लगेगा कि उससे उलझन हो जायेगी। संयुक्त आयोग, जहां तक उसके गठन, उसके सदस्यों की नियुक्ति और उनके हटाने का प्रश्न है—और केवल इन तीन बातों में—अखिल भारतीय विषय है, और इन तीनों के लिये अनुच्छेद 284

[डॉ. बी.आर. अम्बेडकर]

में उपबन्ध किया जा चुका है। अन्य सब मामलों में यह वास्तव में राज्य लोक सेवा आयोग है: उदाहरण के लिये, हम कह सकते हैं कि कुछ सेवाओं का अपवर्जित करने या कुछ मामलों में उनसे परामर्श करने के विषय में वह अब भी राज्य लोक सेवा आयोग ही रहेगा। और यदि संयुक्त आयोग की प्रविष्टि 58 में समाविष्ट कर दिया जायेगा तो इन मामलों में राज्यों का क्षेत्राधिकार नहीं रहेगा, ऐसा करना अवांछित है। इसी कारण मुझे भी कामत की प्रस्थापना पर आपत्ति है।

***श्री एच.वी. कामत:** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह समवर्ती सूची में जायेगा?

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** नहीं।

***श्री एच.वी. कामत:** यह कहां जायेगा?

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** कुछ खास मामलों में यह केन्द्रीय मामला हो सकता है; उदाहरण के लिये यदि राज्य मिलकर यह कहें कि एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनना चाहिये, तो उस संकल्प के फलस्वरूप केन्द्र को क्षेत्राधिकार प्राप्त हो जाता है, अन्यथा नहीं। सब मामलों में, वह राज्य लोक सेवा आयोग है।

***डॉ. पी.एस. देशमुख:** मैं अपने संशोधन को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से, वापस ले लिया जायेगा।

***अध्यक्ष:** मैं श्री कामत के संशोधन पर मत लेता हूं। प्रश्न यह है:

"कि सूची 1 (षष्ठम सप्ताह) के संशोधन संख्या 30 में, सूची 1 की प्रस्थापित प्रविष्टि 58 में, 'and Joint Commission' ये शब्द अन्त में जोड़ दिये जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि सूची 1 की प्रविष्टि 58 के स्थान पर निम्न प्रविष्टि रख दी जाये:—

"58. Union Public Services, All-India Services, Union Public Service Commission."

(58. संघ लोक सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, संघ लोक सेवा आयोग।)

संशोधन स्वीकृत हो गया।

संशोधित रूप में प्रविष्टि 58 संघ सूची में जोड़ दी गई।

प्रविष्टि 58क

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि सूची 1 की प्रविष्टि 58, के बाद निम्न प्रविष्टि प्रविष्ट कर दी जाये:—

"58A. Union pensions, that is to say, pensions payable by the Government of India or out of the Consolidated Fund of India."

(58क. संघ निवृत्ति वेतन, अर्थात् भारत सरकार द्वारा या भारत की संचित निधि में से दिये जाने वाले निवृत्ति-वेतन।)

यह प्रविष्टि मस्विदे में नहीं थी। हमने सावधानी के लिये ऐसी प्रविष्टि रखना आवश्यक समझा।

(संशोधन संख्या 170 पेश नहीं किया गया।)

***डॉ. पी.एस. देशमुख:** श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि सूची 1 (षष्ठम् सप्ताह) के संशोधन संख्या 31 में, सूची 1 की प्रस्थापित नई प्रविष्टि 58-क के स्थान पर निम्न प्रविष्टि रख दी जाये:—

"58A. Pensions payable out of the Consolidated Fund of India or otherwise by the Government of India."

(58क. निवृत्ति वेतन जो भारत की संचित निधि में से या अन्यथा भारत सरकार द्वारा दिये जाने हैं।)

मेरे संशोधन में संघ शब्द को हटाने का प्रस्ताव है और उसका यह महत्वपूर्ण कारण है कि जब तक वे भारत की संचित निधि में से दिये जाने हैं, तो मुझे विश्वास है कि जिन उत्तर वेतनों से संघ का सम्बन्ध है, उनके अतिरिक्त कोई अन्य उत्तर वेतन उनमें समाविष्ट नहीं होंगे। मैं समझ नहीं पाता हूं कि क्या कोई ऐसे निवृत्ति-वेतन हैं जो किसी ऐसी राशि में से दिये जा सकते हैं जो भारत की संचित निधि का भाग न हो। मेरा ख्याल था कि भारत के समस्त राजस्व का नाम भारत की संचित निधि रख दिया जायेगा। मैं अत: यह समझने में असमर्थ हूं कि इन निवृत्ति वेतनों को देने के लिये कोई अन्य स्रोत कहां से ढूंढ़ा जा सकता है। किन्तु मैंने इसे भी नहीं बदला है, मैंने केवल इसे अधिक उचित रूप में रख दिया है, कम से कम मेरा यह ख्याल है कि मैंने जो शब्द सुझायें हैं वे स्वीकार्य होने चाहियें अर्थात् संघ का उल्लेख नहीं होना चाहिये। जहां तक वे भारत की संचित निधि में से दिये जाने हैं, वे संघीय निवृत्ति वेतन ही होंगे, अत: यह शब्द व्यर्थ हैं।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** मैं नहीं समझता कि मेरे मित्र डॉ. देशमुख ने जिस संशोधन का सुझाव दिया है वह मेरे संशोधन पर कोई सुधार है या उससे

[डॉ. बी.आर. अम्बेडकर]

अधिक भिन्न है। यह अन्तर स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि कुछ ऐसे निवृत्ति वेतन हो सकते हैं कि जो भारत की संचित निधि में से दिये जाते हों, जिसका अर्थ है करों की आय में से दिये जाने हैं। यदि नितान्त संभव है कि भारत सरकार से निवृत्ति वेतन स्थापित करे तो जमा कराये हुये कोष में से दिये जायें, तो उस अवस्था में उनका भार संचित निधि पर नहीं पड़ेगा वरन् उस व्यक्ति पर पड़ेगा जिसने पहले ही उस कोष में रुपया दिया है। यह अन्तर है इसी कारण यह प्रविष्टि ऐसी भाषा में रखी गई है जैसा कि मैंने रखी है।

***डॉ. पी.एस. देशमुखः** मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं।

संशोधन, सभा भी अनुमति से, वापस ले लिया गया।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि सूची 1 की प्रविष्टि 58 के पश्चात्, निम्न नई प्रविष्टि प्रविष्ट कर दी जाये:—

'58A. Union pensions, that is to say pensions payable by the Government of India or out of the Consolidated Fund of India.' "

प्रविष्ट 58क संघ सूची में जोड़ दी गई।

प्रविष्टि 59

प्रविष्ट 59 संघ सूची में जोड़ दी गई।

प्रविष्टि 60

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि सूची 1 की प्रविष्टि 60 के स्थान पर निम्न प्रविष्टि रख दी जाये:—

'60. Ancient and Historical Monuments and Records declared by Parliament by law to be of national importance.' "

(संसद से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक और अभिलेख।)

मूल प्रविष्टि के शेष भाग अर्थात् "पुरातत्वीय स्थान तथा अवशिष्ट" को समवर्ती सूची में स्थानान्तरित कर देने का विचार है।

***श्री एच.वी. कामतः** अध्यक्ष, मैं सूची 3 (षष्ठम् सप्ताह) के संशोधन सं. 206 को पेश करता हूं जो इस प्रकार है:—

"कि सूची 1 (षष्ठम सप्ताह) के संशोधन संख्या 32 में, सूची 1 की प्रस्थापित प्रविष्टि 60 में, 'Ancient and Historical Monuments and Records' इन शब्दों के स्थान पर 'Monuments, places & objects of artistic or historic interest' ये शब्द रख दिये जायें।"

मैं आरंभ में ही यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं किसी प्रविष्टि या अनुच्छेद के शब्दों या भाषा की बहुत परवाह नहीं करता हूं, जबकि उससे अनुच्छेद का आशय स्पष्ट हो जाये। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है कि कोई अपने विचारों को बदल ले या पहले प्रयोग की गई भाषा को बदल दे, और न मुझे किसी की असंगति पर ही आपत्ति है, जब तक कि उस विचार-परिवर्तन या भाषा-परिवर्तन का कोई उचित कारण बताया जा सके या कम से कम वह बात ठीक दिखाई देती हो। महात्मा गांधी भी कहा करते थे कि वे भी अपने विचारों को बदलने के लिये तैयार रहते थे जबकि उस परिवर्तन की आवश्यकता का उन्हें विश्वास हो जाये, जबकि ऐसा करने के उचित कारण हों।

मैं सदन का ध्यान राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांत, भाग चार, के अनुच्छेद 39 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। अनुच्छेद 39, जो इस सदन ने कई मास पूर्व पारित किया था, इस प्रकार है:—

"संसद से, विधि द्वारा, राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक स्मारक या स्थान या चीज का यथास्थित लुंठन, निरूपण, विनाश, अपनयन, व्ययन अथवा निर्यात से रक्षा करना राज्य का आभार होगा।"

अब, संघ-सूची में, जहां तक मैं समझ सकता हूं, हमने अनुच्छेद 39 का विषय समाविष्ट कर दिया है और मुझे कोई कारण दिखाई नहीं देता कि हमने अनुच्छेद 39 में जो भाषा रखी है उसे यहां क्यों बदला जाये। यहां प्रस्थापित प्रविष्टि प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारकों तथा अभिलेखों के विषय में है। अभिलेख-पता नहीं यह शब्द कैसे टपक पड़ा है। स्मारकों के अतिरिक्त यदि हम ऐतिहासिक महत्व के स्थानों तथा वस्तुओं का उल्लेख करें तो वह काफी होगा, हां, अभिलेख भी उन वस्तुओं में एक है जिन्हें आप नष्ट होने या खराब होने आदि से बचा सकते हैं। अतः स्मारकों के अतिरिक्त केवल ऐतिहासिक महत्व की वस्तुएं क्यों नहीं कह देते? केवल ऐतिहासिक की क्यों, कलात्मक महत्व के स्थान भी क्यों नहीं कहते, जिसका उपबन्ध इस सदन ने, बहुत सोच विचार कर अनुच्छेद 39 में किया है जो राज्य की नीति के निदेशक सिद्धान्तों में से एक है? मेरे विचार में डॉ. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 39 की भाषा को बदलने के लिये कोई उचित कारण नहीं बताया

[डॉ. बी.आर. अम्बेडकर]

है। अतः मैं संशोधन संख्या 206 पेश करता हूं और सदन से अनुरोध करता हूं कि वह इसे स्वीकार कर ले।

(संशोधन संख्या 207 तथा 208 पेश नहीं किये गये।)

***अध्यक्षः** क्या आप संशोधन संख्या 206 पर कुछ कहना चाहते हैं?

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** नहीं, श्रीमान, इस विषय पर कुछ भी कहना सर्वथा अनावश्यक है।

***अध्यक्षः** फिर मैं श्री कामत द्वारा प्रस्तावित संशोधन पर मत लूंगा। प्रश्न यह है:

"कि सूची 1 (पष्ठम् सप्ताह) के संशोधन संख्या 32, में सूची 1 की प्रस्थापित प्रविष्टि 60 में, 'Ancient and Historical Monuments and Records' इन शब्दों के स्थान पर 'Monuments, places and objects of artistic or historic interest' ये शब्द रख दिये जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि प्रस्थापित प्रविष्टि 60 सूची 1 का अग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हो गया।

संशोधित रूप में प्रविष्टि 60 संघ-सूची में जोड़ दी गई।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेनाः** श्रीमान, क्या मुझे अपने संशोधनों को पेश करने की अनुमति है?

***अध्यक्षः** जब मैंने पुकारा था तब आप यहां नहीं थे। मुझे खेद है अब समय नहीं रहा।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेनाः** वे अत्यन्त महत्वपूर्ण संशोधन हैं, श्रीमान, और मेरे विचार में वे स्वतन्त्र भी हैं।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** न्याय आपके पक्ष में नहीं है।

प्रविष्टि 61

***अध्यक्षः** मुझे सूची समाप्त कर लेने दीजिये, फिर देख लेंगे। अब, प्रविष्टि सं. 61। मुद्रित सूची में एक संशोधन है जिसकी सूचना डॉ. अम्बेडकर ने दी है। संख्या 3548।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** श्रीमान, मैं उसे पेश नहीं कर रहा हूं।

***अध्यक्षः** फिर दो संशोधन श्री सन्तानम् के नाम में हैं।

***माननीय श्री के. सन्तानमः** मैं उन्हें पेश नहीं कर रहा हूं।

***अध्यक्षः** फिर मैं प्रविष्टि संख्या 61 पर मत लेता हूं।

प्रविष्टि 61 संघ-सूची में जोड़ दी गई।

प्रविष्टि 61-क

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि सूची 1 की प्रविष्टि 61 के पश्चात् निम्न प्रविष्टि जोड़ दी जाये:—

'61.A. Establishment of standards of quality for goods to be exported across customs frontier or transported from one State to another.' "

[61.क. भारत से बाहर निर्यात की जाने वाली अथवा एक राज्य से दूसरे राज्य को भेजी जाने वाली वस्तुओं के गुणों का मान-स्थापन।]

हम प्रविष्टि 61 को पहले ही पारित कर चुके हैं जिसमें तोलों और मापों का विषय है और अब यह अनुभव किया गया है कि वस्तुओं के गुणों के मान-स्थापन के लिये उपबन्ध होना चाहिये।

***अध्यक्षः** इस पर दो संशोधन हैं। संशोधन संख्या 209। डॉक्टर देशमुख।

***डॉ. पी.एस. देशमुखः** अध्यक्ष महोदय, मैं प्रविष्टि 61क को जोड़ने की प्रस्थापना का स्वागत करता हूं, किन्तु मेरे विचार में वह पर्याप्त रूप से व्यापक नहीं है, और इसीलिये मैं अपने ये दो संशोधन पेश करता हूं जिससे यह पूरी तरह से व्यापक बन जाये और इस विषय की सब बातें आ जायें। मेरा संशोधन संख्या 209 इस प्रकार है:—

["कि प्रथम सूची (पष्ठम् सप्ताह) के संशोधन संख्या 33 में सूची 1 की प्रस्थापित नई प्रविष्टि 61क के स्थान पर निम्न प्रविष्टि रख दी जाये:—

'61.A. Grading and standardization of quality of agricultural produce or goods intended to be consumed in the country or exported outside India or transported from one State to another.' "

[डॉ. पी.एस. देशमुख]

मेरा अगला संशोधन संख्या 210 इस प्रकार है:—

"कि सूची 1 की प्रस्थापित नई प्रविष्टि 61क के पश्चात् निम्न नई प्रविष्टि जोड़ दी जाये:—

'61-B. Prevention of adulteration of articles of food, whether imported, proposed to be exported or otherwise, arrangements for analysis, control and regulation of all such articles.' "

श्रीमान, वास्तव में संशोधन काफी स्पष्ट है। मैं कृषिजन्य पदार्थों का श्रेणीकरण भी इसमें जोड़ना चाहता हूं। जो भी हमारे निर्यात व्यापार के महत्व से परिचित है तथा इस बात को जानता है कि श्रेणीकरण है ही नहीं, वह देखेगा कि इससे कृषकों को बहुत हानि होती है। यह ऐसी बात है जिसकी कृषि मंत्रालय को भी बहुत चिन्ता है। मुझे इसमें सन्देह नहीं है कि सब प्रांत सहमत होंगे कि एक केन्द्रीय विधान की और एक सुनिश्चित नीति के निर्धारण की आवश्यकता है, जिससे कि उत्पादन का स्तर ऊंचा उठ जायेगा। सब वस्तुओं का उपयुक्त श्रेणीकरण होगा तथा हमारा निर्यात व्यापार भी सुधर जायेगा। अत: यह बहुत महत्वपूर्ण बात थी जो शायद मसौदा-लेखन-समिति के किसी सदस्य के दिमाग में नहीं आई, और शायद उनमें से कोई कृषि या मंत्रालय से या कृषकों को कठिनाइयों या आवश्यकताओं से परिचित नहीं था अत: यह भूल रह गई है। अत: मेरी प्रस्थापना है कि यह भाषा रख दी जाये, क्योंकि इसमें वे सब बातें आ जाती हैं जो विद्वान डॉक्टर 61क में रखना चाहते हैं, कुछ और बातें जुड़ जाती हैं जो नितान्त आवश्यक हैं और उसका क्षेत्र निर्यात की जाने वाली या एक राज्य से दूसरे राज्य को भेजी जाने वाली वस्तुओं तक ही सीमित नहीं रहता इसमें कृषिजन्य पदार्थों का भी तथा देश में उपभोग के लिये बनाई गई वस्तुओं का भी निर्देश है। जहां तक मेरे सुझाव का संबंध है, जो 61ख को जोड़ने के संबंध में है, मैं खाद्य-सामग्री तथा अनाज में मिलावट करने के हमारे व्यापारियों के कलुषित स्वभाग का विशेषत: निर्देश करूंगा। यह मिलावट प्राय: ऐसे समय नहीं की जाती जबकि कृषक उन पदार्थों का उत्पादन या विक्रय करते हैं, वरन् उस समय की जाती है जबकि व्यापारी तथा वणिक उन्हें बेचते हैं। यह बुराई इतनी ज्यादा फैली हुई है कि मैं साहसपूर्वक कह सकता हूं कि किसी दुकानदार से कुछ भी बहुत शुद्ध रूप में प्राप्त करना बहुत कठिन है। उनको लालच इतना अधिक होता है कि वे अपने उचित लाभ से कभी संतुष्ट नहीं होते और बिल्कुल खुले तौर पर चीनी, आटे तथा तेल इत्यादि में पता नहीं क्या-क्या मिला देते हैं। कभी-कभी वे आटे में सीमेंट भी मिला देते हैं और हमारे अभागे भाई उसे खा लेते हैं। मैंने ऐसी वस्तुओं के विश्लेषण, नियंत्रण तथा विनियमन के लिये भी एक उपबन्ध रखने का सुझाव दिया है। मेरे विचार में ये दोनों संशोधन अत्यन्त आवश्यक हैं। मुझे आशा है डॉ. अम्बेडकर सहमत होंगे कि संघ के पास यह शक्ति होना आवश्यक है।

श्रीमान, यह कहा जाता है कि इस मामले को प्रांतों पर छोड़ दिया जाये। मेरे विचार में ऐसा करना उचित नहीं होगा, क्योंकि यह तो हास्यास्पद होगा कि हम मंडियों आदि के लिये मानों को बनाये रखने के लिये वस्तुओं के गुणों के विषय

में विधान बनायें तथा विनिश्चय करें, और सारे संघ में वही मान बनाये रखने के लिये आवश्यक कदम न उठायें। मुझे विश्वास है कि मेरे संशोधन स्वीकार कर लिये जायेंगे।

***अध्यक्ष:** संशोधन संख्या 260 में प्रविष्टि 61 का निर्देश है, किन्तु वह डॉ. अम्बेडकर के संशोधन में आ जाता है। अत: इसे पेश करना आवश्यक नहीं है।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** मेरे मित्र डॉ. देशमुख ने जो प्रश्न उठाया है वह उस समय उठाया जा सकता है जब हम सूची 2 की प्रविष्टियों पर विचार करेंगे। हम यहां केवल सूची 1 पर विचार कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य केन्द्र की शक्ति को सीमित करना है, जिससे कि वह राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न कर सके। इसी कारण इस प्रविष्टि की भाषा बहुत सावधानी से गढ़ी गई है। जैसे कि मेरे मित्र देखेंगे, इस प्रविष्टि में उन वस्तुओं के मानों की चर्चा है जो एक राज्य से दूसरे राज्य को भेजी जायेंगी। इनके विषय में यह मंशा नहीं है कि केन्द्र को राज्यों के प्रशासन में हस्तक्षेप करने दिया जाये। यदि वे इस प्रश्न को उठाना चाहते हैं तो वे राज्य-सूची पर विचार के समय ऐसा कर सकते हैं।

***डॉ.पी.एस. देशमुख:** क्या मैं सुझाव दे सकता हूं कि इसे स्थगित कर दिया जाये तथा इस सूची को अंतिम रूप से पारित करने से पूर्व कृषि-मंत्रालय से परामर्श कर लिया जाये?

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** जब हम सूची 2 पर आयेंगे तब हम इस मामले पर विचार कर सकते हैं।

***अध्यक्ष:** मैं संशोधन पर मत लेता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि सूची 1 (षष्ठम सप्ताह) के संशोधन संख्या 33 में, सूची 1 की प्रस्थापित नई प्रविष्टि 61क के स्थान पर निम्न रख दी जाये:—

'61-A. Grading and standardisation of quality of agricultural produce or goods intended to be consumed in that country or exported outside India or transported from one State to another.' "

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि सूची 1 की प्रस्थापित नई प्रविष्ट 61क के पश्चात्, निम्न नई प्रविष्टि जोड़ दी जाये:—

'61. Prevention of adulteration of articles of food, whether imported, proposed to be exported or otherwise, arrangements for analysis, control and regulation of all such articles.' "

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** अब मैं नई प्रविष्टि 61क पर मत लेता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि सूची 1 की प्रविष्टि 61 के पश्चात्, निम्न नई प्रविष्टि प्रविष्ट कर दी जाये:—

'61 A. Establishment of standards of quality for goods to be exported across customs frontier or transported from one State to another.' "

(61 अ. भारत से निर्यात की जाने वाली अथवा एक राज्य से दूसरे राज्य को भेजी जाने वाली वस्तुओं के गुणों का मान-स्थापन।)

***श्री वी.एस. सरवटे:** मैं डॉ. अम्बेडकर से जानना चाहता हूं कि 'exported across customs frontier' इस अभिव्यक्ति का क्या आशय है?

***अध्यक्ष:** मुझे भय है कि इस प्रश्न का अब समय नहीं रहा है, क्योंकि मतदान हो चुका है।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** यदि माननीय सदस्य बाद में मेरे पास आयेंगे तो मैं उन्हें समझा दूंगा।

***अध्यक्ष:** प्रश्न मतदान के लिये पेश हो चुका है।

प्रस्ताव स्वीकृत हो गया।

प्रविष्टि 61क संघ-सूची में जोड़ दी गई।

प्रविष्टि 62

***अध्यक्ष:** प्रविष्ट 62। क्या सरदार हुक्म सिंह इस प्रविष्टि पर अपना संशोधन पेश करते हैं?

***सरदार हुकम सिंह** (पूर्वी पंजाब: सिख): मैं इसे पेश नहीं कर रहा हूं।

प्रविष्टि 62 संघ-सूची में जोड़ दी गई।

***अध्यक्ष:** मैं सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि आज प्रगति कुछ धीमी है। मैं तीनों सूचियों पर विचार कल समाप्त करना चाहता हूं, अत: मेरा सुझाव है कि हमें जरा जल्दी आगे बढ़ना चाहिये।

***डॉ. पी.एस. देशमुख:** हम काफी तज चल रहे हैं, मेरा तो यह ख्याल है।

प्रविष्टि 63

***अध्यक्षः** आज नहीं। हम प्रविष्टि 63 को ले सकते हैं।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** अध्यक्ष महोदय, मैं मूल प्रविष्टि पर संशोधन संख्या 3551 को पेश नहीं कर रहा हूं। संशोधन 34 में, जो मैं पेश कर रहा हूं मैं पेश करते समय उसमें, संशोधन संख्या 212 भी समाविष्ट कर दूंगा। श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूंः—

"कि सूची 1 की प्रविष्टि 63 के स्थान पर निम्न प्रविष्टि रख दी जायेः—

'63. Regulation and development of oilfields and mineral oil resources; petroleum and petrolum products other liquids and substances declared by Parliament by law to be dangerously inflammable.' "

[63. तेल-क्षेत्रों और खनिज तेल सम्पत् का विनियमन और विकास; पैट्रोलियम और पैट्रोलियम उत्पाद; संसद से विधि द्वारा भयानक रूप से ज्वालाग्राही घोषित अन्य तरल और द्रव्य।]

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेनाः** श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूंः

"कि सूची 1 (षष्ठम् सप्ताह) के संशोधन संख्या 34 में, सूची 1 की प्रविष्टि 63 में, आरंभ में 'Prospecting for and' ये शब्द रख दिये जायें।"

फिर श्रीमान, प्रविष्टि इस प्रकार बन जायेगीः

"Prospecting for and regulation and development of oilfields and mineral oil resources; petroleum and petroleum products; other liquids and substances declared by Parliament by law to be dangerously inflammable."

इस समय प्रविष्टि में तेल-क्षेत्रों और खनिज तेल सम्पत् के विनियमन और विकास के लिये उपबन्ध हैं। तेल-क्षेत्रों और तेल-साधनों की खोज करने का उपबन्ध नहीं है। अतएव मेरे संशोधन में लिखा है "खोज करना, विनियमन और विकास आदि" इसका अर्थ है कि केन्द्रीय सरकार को इस संशोधन से तेल की खोज करने का अधिकार है। आप जानते हैं श्रीमान, कि तेल-साधनों को ढूंढ़ने के लिये चट्टानों तथा पर्वतों में खोज करनी होती है। उन स्थानों के भूतत्व परिमापों पर बहुत रुपया व्यय करना होता है, जहां तेल के होने का ख्याल हो। तेल क्षेत्रों का पता लगाने के लिये विज्ञान के नवीनतम आविष्कारों से फायदा उठाया जाता है। अतः मेरे विचार में तेल क्षेत्रों के सामान्य विनियमन और विकास से ही काम नहीं चलेगा। हमें तेल-क्षेत्रों और तेल-साधनों की खोज करने की शक्ति होनी चाहिये। मेरे संशोधन से वह संशोधन केवल पूरा हो जाता है जो मसौदा लेखन समिति द्वारा पेश किया गया है। निःसंदेह वे भारत को आसाम के थोड़े से तेल-क्षेत्रों तक ही सीमित रखना नहीं चाहते। वे निःसंदेह यही चाहेंगे कि हमें भारत के अन्य भागों में भी तेल-क्षेत्र ढूंढने होंगे, और इस समय की प्रविष्टि द्वारा ऐसा करना संभव

[प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना]

नहीं होगा, क्योंकि उसमें खोजने की शक्ति नहीं मिलती। प्रांत इस कार्य को नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास धन की कमी है, और इसलिये तेल को खोजने का कृत्य केन्द्रीय सरकार का होना चाहिये। मुझे आशा है कि डॉ. अम्बेडकर इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

***श्री राजबहादुर:** अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि सूची 1 (षष्ठम् सप्ताह) के संशोधन संख्या 34 में, सूची 1 की प्रस्थापित प्रविष्टि 63 में, 'inflammable dangerously' इन शब्दों के पश्चात् 'Corrosive or explosive' ये शब्द प्रविष्ट कर दिये जायें।"

श्रीमान, इस संशोधन को पेश करने में मेरा उद्देश्य यह है कि इस प्रविष्टि के क्षेत्र में तेजाब को भी शामिल कर दिया जाये। मुझे आशा है, श्रीमान, कि मैं कह सकता हूं कि तेजाबों को रखने, एकत्र करने, एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने और बेचने के विषय में विधान बनाना बिल्कुल आवश्यक है, और मुझे आशा है कि इसमें मुझे विरोध का भय नहीं है। हम देख चुके हैं। कि साधारण से क्षुद्र झगड़ों में और विवादों में भी तेजाबों का कैसा दुरुपयोग हुआ है। हम यह भी देख चुके हैं कि राजनैतिक विवादों के क्षेत्र में भी तेजाबी-बमों का प्रयोग बढ़ रहा है। अत: यह आवश्यक है कि हमें तेजाबों को इकट्ठा करने, रखने आदि पर नियंत्रण रखना चाहिये और यह देखना चाहिये कि ऐसे तरल पदार्थों की सहायता से कोई शरारत न की जा सके। इसलिये हमें इस प्रविष्टि में तेजाबों को भी शामिल करना चाहिये। मसौदा-लेखन समिति द्वारा पेश की गई प्रविष्टि में सर्वप्रथम तेल-क्षेत्रों और खनिज तेल-सम्पत् की चर्चा है। दूसरे उसमें, पैट्रोलियम और पैट्रोलियम उत्पादों की चर्चा है। और अंत में उन पदार्थों की चर्चा है जो संसद द्वारा विधि द्वारा, भयानक रूप से ज्वालाग्राही घोषित कर दिये जायें। मेरा यह निवेदन है कि अंतिम श्रेणी में हमें तेजाबों को भी शामिल कर लेना चाहिये। यह बताना उपयोगी हो सकता है कि तेजाब स्वयं ही शस्त्र के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं और हो रहे हैं और तेजाब विस्फोटकों के निर्माण में भी प्रयुक्त होता है। अत: यह आवश्यक है कि संघ को तेजाब जैसे पदार्थों का भी नियंत्रण करना चाहिये। श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** मैं नहीं समझता कि इन दोनों संशोधनों में से कोई भी आवश्यक है। मेरे मित्र प्रोफेसर शिब्बनलाल सक्सेना की दृष्टि में जो उद्देश्य हैं कि प्रविष्टि 63 में केन्द्र को तेल को खोजने के विनियमन की भी शक्ति होनी चाहिये, वह तो उन शब्दों से भी पूरा हो जायेगा जो हमने प्रयोग किये हैं; अर्थात् "विनियमन और विकास।" 'corrosive' शब्द को जोड़ने के सम्बन्ध में, मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई शक्ति लेना आवश्यक नहीं है।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि सूची 1 (षष्ठम् सप्ताह) के संशोधन संख्या 34 में, सूची 1 की प्रस्थापित प्रविष्टि 63 में, प्रारंभ में, 'prospecting for and' ये प्रविष्ट कर दिये जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

***अध्यक्षः** फिर संशोधन संख्या 262 है।

श्री राजबहादुरः मैं अपने संशोधन पर जोर नहीं देता।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस ले लिया गया।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि सूची 1 की प्रविष्टि 63 के स्थान पर निम्न प्रविष्टि रख दी जाये:—

'63. Regulation and development of oilfields and mineral oil resources; petroleum and petroleum products; other liquids and substances declared by Parliament by law to be dangerously inflammable.' "

[63. तेल-क्षेत्रों और खनिज तेल सम्पत का विनियमन और विकास; पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद; संसद से विधि द्वारा भयानक रूप से ज्वालाग्राही घोषित अन्य तरल और द्रव्य।]

संशोधन स्वीकृत हो गया।

संशोधित रूप में प्रविष्टि 63 संघ-सूची में जोड़ दी गई।

प्रविष्टि 64

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं:—

"कि सूची 1 की प्रविष्टि 64 के स्थान पर, निम्न प्रविष्टि रख दी जाये:—

'64. Industries, the control of which by the Union is declared by Parliament by law to be expedient in the public interest.' "

[64. वे उद्योग जिनके लिये संसद ने विधि द्वारा घोषणा की है कि लोकहित के लिये उन पर संघ का नियंत्रण इष्टकर है।]

काका भगवन्त रायः जनाब सदर, मेरी तरमीम ऐसी है कि:

"That in amendment No. 35 of List 1 (Sixth week) in the proposed entry 64 of List I, for the word 'Industries, the words 'development of Industries, be substituted."

[काका भगवन्त राय]

[कि सूची 1 (षष्ठम सप्ताह) के संशोधन संख्या 35 में, सूची 1 की प्रस्थापित प्रविष्टि 64 में, 'industries' शब्द के स्थान पर 'development of industries' ये शब्द रख दिये जायें।]

मुहतरम डॉक्टर साहब ने Original entry (मौलिक प्रविष्टि) में जो तरमीम दी है उससे ऐसा मालूम होता है कि industries (उद्योगों) के बारे में वह तमाम ताकत मरकज को देना चाहते हैं। बहुत ठीक है मरकज को मजबूत होना चाहिये और हंगामी हालत में मरकज को ऐसे अख्तयारात दे देने चाहियें जो मुल्क की सनाती तरक्की के लिये नेहायत जरूरी है मगर मामूली हालात में जबकि मुल्क अच्छी हालत में हो मरकज को ऐसी ताकत न देना चाहिये। हिन्दुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है इसके बहुत से प्रांत हैं और हर प्रांत की अपनी-अपनी मुश्कलात हैं और हर प्रांत अपनी मुश्कलात खुद समझता है किसी वक्त जो सेन्टर की समझ में नहीं आती है।

इंडस्ट्रीज का मामला बहुत पेचीदा मामला है और उसके लिये हर सूबे को सहूलत देनी चाहिये कि वह उस मामले को अच्छी तरह सुलझा सके और अगर आप सूबों पर जिम्मेदारी डाल देंगे और ताकत न देंगे तो मुझे डर है कि सूबे के मामलात ठीक न रह सकेंगे और मुल्क की सनाती तरक्की रुक जायेगी। मैं अमेन्डमेन्ट से जोड़ा बाहर बोल रहा हूं मगर मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि मरकज की मौजूदा सनाती पालीसी से मुल्क हो धक्का पहुंचा है।

***अध्यक्ष:** आप तरमीम के बारे में नहीं बोल रहे हैं बल्कि मुखालफत कर रहे हैं।

काका भगवन्त राय: मैं आपके रूलिंग के सामने सर झुकाता हूं। मगर मैं यह अर्ज करूंगा कि जहां तक इंडस्ट्रीज का ताल्लुक है उसमें सूबों को ताकत देना चाहिये क्योंकि वह अपनी इंडस्ट्रीज को समझ सकती हैं मैं इन अलफाज के साथ मुहतरम डॉक्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि वह इस तरमीम से इत्तेफाक फरमायें।

श्री एच.वी. कामत: मैं तृतीय सूची (पष्ठम सप्ताह) के संशोधन संख्या 214 को पेश करता हूं जो इस प्रकार है:—

"कि सूची 1 (षष्ठम सप्ताह) के संशोधन संख्या 35 में, सूची 1 की प्रस्थापित प्रविष्टि 64 में, 'the control' इन शब्द के स्थान पर 'the development and control' ये शब्द रख दिये जायें।]

इस संशोधन में वह संशोधन भी आ जाता है जो मेरे माननीय मित्र काका भगवन्त राय ने अभी पेश किया है। संविधान के मसौदे में जो मौलिक प्रविष्टि थी उसमें उद्योग के विकास की चर्चा थी। मुझे आश्चर्य कि मसौदा लेखन समिति अक्समात इस प्रविष्ट के 'विकास' शब्द के विरुद्ध क्यों हो गई है। मेरा संशोधन वैसा ही है जैसा कि एक विधान विधेयक गत आवश्यक सत्र में सभा में पेश किया गया था और जो एक प्रवर समिति को सौंप दिया गया है। वह विधेयक उद्योगों में

सरकारी कार्यवाही के विषय में था, जिनका विकास और नियंत्रण केन्द्र द्वारा विनियमित होना था और उस विधेयक का शीर्षक यह था "उद्योग (विकास तथा नियंत्रण) विधेयक" अर्थात इस प्रविष्टि के विषय को केन्द्रीय सरकार ने पहले ही एक विधेयक में रख दिया है जिसके शीर्षक में केवल नियंत्रण की ही नहीं, वरन् उन उद्योगों के विकास की भी चर्चा है जो लोकहित में आवश्यक या इष्टकर समझे जायें। मैं मानता हूं कि यह बिल्कुल संभव है कि मसौदा लेखन समिति कहीं-कहीं भूल कर सकती है क्योंकि गत दो वर्षों में विशेषत: गत कुछ सप्ताहों या मासों में उन्हें जो परिश्रम करना पड़ा है उससे उन पर बहुत जोर पड़ा है, किन्तु मुझे आशा है कि मसौदा-लेखन समिति का दिमाग ऐसा बन्द नहीं हो गया है कि वह किसी भी परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर सकती। मेरे विचार में, इस प्रविष्टि का अर्थ अधिक पर्याप्त और स्पष्ट हो जायेगा यदि 'नियन्त्रण' शब्द का ऐसा संशोधन कर दिया जाये जैसा कि मैंने सुझाव दिया है, और केवल नियन्त्रण ही नहीं वरन् उद्योगों का विकास भी इस प्रविष्टि में रख दिया जाये, जिसका अर्थ है, वे उद्योग जिनके लिये संसद ने यह घोषणा की है कि लोकहित के लिये उनका संघ द्वारा विकास और नियन्त्रण होना इष्टकर है। मैं सूची 3 (षष्ठम सप्ताह) का संशोधन संख्या 214 प्रस्तापित करता हूं और सदन से अनुरोध करता हूं कि उस पर ध्यान पूर्वक विचार करे।

***अध्यक्ष:** संशोधनों की मुद्रित सूची में दो अन्य संशोधन हैं, एक तो माननीय डॉ. श्याम प्रसाद मुखर्जी के नाम से संख्या 3552 और दूसरा माननीय श्री के. सन्तानम के नाम से संख्या 3553 मैं समझ लेता हूं कि उन्हें पेश नहीं किया जाता।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** श्रीमान, यह प्रविष्टि विद्यमान रूप में ही बिल्कुल ठीक है और मसौदा लेखन समिति की जो मंशा है वह इससे पूरी हो जाती है। मेरा निवेदन है कि एक बार केन्द्र को किसी उद्योग विशेष के विषय में क्षेत्राधिकार प्राप्त हो जाता है जैसा कि इस प्रविष्टि में उपबन्धित है, तो वह उद्योग सब प्रकार से संसद के क्षेत्राधिकार में आ जाता है, केवल विकास के सम्बन्ध में ही नहीं अन्य प्रकार से भी। अतएव हमने सोचा कि सबसे पहले उद्योगों को इस प्रकार रखा जाये जिससे कि संसद को उसके विषय में सब प्रकार से, केवल विकास के ही संबंध में नहीं, सब प्रकार से क्षेत्राधिकार प्राप्त हो जाये। अत: श्री कामत इस प्रविष्टि को जितना विस्तृत बनाना चाहते हैं यह उससे कहीं अधिक विस्तृत है।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि सूची 1 (पष्ठम सप्ताह) के संशोधन संख्या 35 में, सूची 1 की प्रस्थापित प्रविष्टि 64 में, 'Industries' इन शब्द के स्थान पर 'development of industries' ये शब्द रख दिये जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि सूची 1 (पष्ठम सप्ताह) के संशोधन संख्या 35 में, सूची 1 की प्रस्थापित प्रविष्टि 64 में, 'the control' इन शब्द के स्थान पर 'the development and control' ये शब्द रख दिये जायें।]

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि सूची 1 की प्रविष्टि 64 के स्थान पर निम्न प्रविष्टि रख दी जाये:—

"64. Industries, the control of which by the Union is declared by Parliament by law to be expedient in the public interest.' "

[64. वे उद्योग जिनके लिये संसद ने विधि द्वारा घोषणा की है कि लोकहित के लिये उन पर संघ का नियन्त्रण इष्टर है।]

संशोधन स्वीकृत हो गया।

संशोधन रूप में प्रविष्टि 64 संघ-सूची में जोड़ दी गई।

नई प्रविष्टि 64क

***प्रो शिब्बन लाल सक्सेना:** अध्यक्ष महोदय, मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं:

"कि सूची 1 की प्रविष्टि 64 के पश्चात निम्न नई प्रविष्टि जोड़ दी जाये:–

'64A. Co-ordination of the development of agriculture including animal husbandry, forestry and fisheries and the supply and distribution of food.' "

श्रीमान, मैं मसौदा समिति और उसके सभापति को यह बताना चाहता हूं कि मैंने जो इस प्रविष्टि का सुझाव दिया है, यह भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की सिफारिश के अनुसार है। वास्तव में माननीय श्री जयरामदास दौलत राम ने माननीय डॉ. अम्बेडकर को जनवरी 1948 में जो पत्र लिखा था उसमें उन्होंने इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया था। मैं उस पत्र की अंतिम दो कंडिकायों का ही उद्धरण दूंगा। वे कहते हैं:—

"भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या के पेट भरने की कठिनाइयों तथा गत युद्ध के अनुभव से यह स्पष्ट हो गया है कि राष्ट्रहित में यह आवश्यक है कि केन्द्र को कृषि-विकास के क्षेत्र में अधिक सक्रिय भाग लेना चाहिये और जनवरी 1946 में भारत की कृषि तथा खाद्य नीति का एक वक्तव्य सरकार की ओर से निकाला गया था जिससे यह पता लगेगा कि केन्द्र ने अपने ऊपर विशिष्ट उत्तरदायित्व ले लिया है कि वह कृषि का विकास करेगा, और खाद्यान्न का पहुंचान और वितरण करेगा और कृषि विकास, भोजन उत्पादन तथा वितरण की एक अखिल भारतीय नीति में एक सूत्रता लायेगा... हमने इस विषय पर बहुत ध्यानपूर्वक विचार किया और हमारा ख्याल है कि वित्त मंत्रालय की इस चुनौती का कि भोजन एक प्रांतीय विषय है कोई पर्याप्त उत्तर नहीं हो सकता जब तक कि संविधान अधिनियम में ही कोई विशिष्ट समुचित उपबन्ध न हो।

मेरा तो यह ख्याल है कि अब समय आ गया है जबकि भोजन के विषय में केन्द्र को समस्त उत्तरदायित्व संभाल लेना चाहिये। किन्तु राष्ट्र-हित में कम से कम यह तो अत्यावश्यक है ही कि समस्त देश में कृषि विकास में एक सूत्रता लाने तथा उसका पथ प्रदर्शन करने में केन्द्र का सक्रिय भाग होना चाहिये। अतः मैं आपके विचारार्थ यह सुझाव देना चाहता हूं कि, संघीय विधायनी सूचि की मद संख्या 12 के अतिरिक्त, उसी सूची में निम्न मद और जोड़ देनी चाहिये:—

"Co-ordination of the development of agriculture including animal husbandry, forestry and fisheries and the supply and distribution of food."

मैंने तो केवल मसौदा लेखन समिति की भूल ही बताई है। वास्तव में आज यह सुविख्यात है कि भोजन समस्या सबसे कठिन समस्या है जो देश को हल करनी है। हमें जो आयात करने पड़ते हैं उससे वास्तव में हमारे सारे साधन समाप्त होते जा रहे हैं और हम अपने औद्योगिक साधनों तथा अन्य वस्तुओं का विकास नहीं कर सकते।

अतः यदि हम चाहते हैं कि हम कुछ वर्षों में ही भोजन के विषय में आतमभरित हो जायें–एक दो वर्षों की प्रस्थापना की गई है–जो यह आवश्यक है कि केन्द्र की ओर से ही कार्यवाही की जाये। आज सरकार जो कुछ कर रही है। उस पर मुझे खुशी है। मेरे विचार में इस संविधान में संघ-सरकार को इतनी शक्ति नहीं दी गई है। विद्यमान नियन्त्रण और अन्य विनियम भी संभव नहीं होंगे जब तक कि ऐसी प्रविष्टि संघ-सूची में न रखी जाये। मुझे सचमुच आश्चर्य है कि क्या उन सिफारिशों को बिल्कुल भुला ही दिया गया है जो श्री जयराम दौलत राम के 5 जुलाई 1948 के पत्र में कृषि मंत्रालय ने की थीं और जो इस पुस्तिका 'भारत के संविधान के मसौदे के उपबन्धों पर टिप्पणियां' में प्रकाशित की गई थीं। वास्तव में मैं वैयक्तिक रूप से उनके सुझावों से पूर्णतः सहमत हूं कि यह देखना केन्द्र का ही उत्तरदायित्व होना चाहिये कि भारत को उचित मात्रा में भोजन मिले। इसके अतिरिक्त, वे तो इतना भी सुझाव नहीं देते,–वे केवल यही चाहते हैं 'कृषि के विकास में एक सूत्रता लाना जिसमें पशु-पालन तथा मीन व्यवसाय समाविष्ट है'। वे कहते हैं कि जो अतिरिक्त शक्तियां मांगी गई हैं वे इस विषय में है "बड़े पैमाने पर बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना जिसमें कलों तथा मशीनों का प्रयोग आवश्यक है वन विधियां और अन्तर्देशीय मीन-क्षेत्र तथा मीन क्षेत्रों की विधिया।"। मेरे विचार में यह सब आवश्यक हैं यदि भारत को भोजन के विषय में आत्मभरित बनना है।

***श्री महावीर त्यागी** (युक्त प्रांतः जनरल): प्रांतीय सरकारें क्या कहती हैं?

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना:** भोजन समस्या तभी हल हो सकती है जब हम उसे अखिल भारतीय आधार पर सुलझायें। हम बंगाल दुर्भिक्ष को देख चुके हैं और बंगाल प्रान्त उसे रोक नहीं सका। जब तक केन्द्र को यह शक्ति न हो कि वह अन्य प्रांतों में दुर्भिक्ष को रोकने के लिये अन्य प्रांतों से भोजन निर्यात करवा सके, तब तक इस समस्या को हल करना कठिन होगा। यह प्रांतों की शक्तियां छीनने का प्रश्न नहीं है वरन् आयात को मिटाने का प्रश्न है। अतः मेरे विचार में गत

[प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना]

पांच-छह वर्षों के दुर्भिक्ष तथा नियन्त्रणों के इतिहास को देखते हुये यह शक्ति आवश्यक है। सरकार को आवश्यक शक्तियां अपने हाथ में लेने के लिये बाध्य होना पड़ा है, और मैं केवल यही चाहता हूं कि इन शक्तियों के लिये संविधान में उपबन्ध रख दिया जाये; अन्यथा हमारे भोजन समस्या को सुलझाने में इससे बाधा होगी। मेरा वैयक्तिक रूप में यह ख्याल है कि भूमि को कृषि योग्य बनाने का कार्य छोटे प्रांतों तथा राज्यों द्वारा नहीं किया जा सकता और उसके लिये केन्द्र की सहायता आवश्यक होगी। केन्द्र को अनन्य रूप से उस पर ध्यान देना चाहिये। यह अतीव आवश्यक है।

***श्री किशोरी मोहन त्रिपाठी** (मध्यप्रांत तथा बरार के राज्य): अध्यक्ष महोदय, श्रीमान मैं आपका ध्यान मुद्रित सूची के दो संशोधनों-संख्या 74क और 74 ख की ओर आकृष्ठ करना चाहता हूं जिन्हें मैं नई प्रविष्टियों के रूप में पेश करना चाहता था, पर अब मैं उन्हें पेश नहीं करना चाहता, और मैं श्री सक्सेना के संशोधन का समर्थन करने आया हूं। जैसा कि श्री सक्सेना ने कहा है, कृषि मन्त्रालय ने भी इन संशोधनों को भारत के संविधान में रखने की प्रस्थापना की है। श्री सक्सेना ने इसका पहले ही निर्देश कर दिया है। भोजन भारत में सबसे महत्वपूर्ण समस्या है और यह बहुत गम्भीर समस्या है, और भारत-सरकार इस समस्या को यथा संभव शीघ्र हल करने के लिये वचनवद्ध है। वास्तव में हमने यह निश्चय कर लिया है कि 1951 के पश्चात्, भोजन का आयात नहीं होगा, क्योंकि भोजन, आयात के कारण हमारे विनियमों का मुख्य भाग व्यय हो रहा है और आयात किये हुये भोजन को भारतीय बाजार के भावों पर बेचने में हमें प्रांतों को बहुत सहायता देनी होती है जिस पर बहुत व्यय होता है। गत दो वर्षों में हम इस प्रकार लगभग 40 करोड़ रुपये व्यय कर चुके हैं। भोजन समस्या तब तक हल नहीं हो सकती जब तक कि कृषि विकास की समस्या को अखिल-भारतीय आधार पर हाथ में न लिया जाये। और जब तक इस प्रविष्टि को संघ-सूची में न रखा जायेगा तब तक भारत सरकार के लिये कृषि-विकास की अखिल-भारतीय योजनाओं को तैयार करना और क्रियान्वित करना संभव नहीं हो सकेगा।

इस बात के अतिरिक्त, भोजन समस्या के प्रश्न का एक और पहलू भी है। भारत प्रधानत: कृषि देश है, और यदि हम अपने लोगों के जीवनस्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो हमें यह देखना चाहिये कि कृषि जीवियों का जीवनस्तर ऊंचा हो-कृषिजीवियों से मेरा अर्थ है कृषि-श्रमिकों और कृषकों से। भारतीय आर्थिक व्यवस्था तब तक सुधर नहीं सकती जब तक कि कृषि की आर्थिक व्यवस्था न सुधरे, और कृषि की आर्थिक व्यवस्था केवल अखिल भारतीय योजनाओं द्वारा ही सुधर सकती है, जिन्हें केन्द्र बनाये तथा केन्द्र और प्रांत मिलकर क्रियान्वित करें। हम देख चुके है कि भारत सरकार ने निर्माण के क्षेत्र में उत्पाद बढ़ाने के लिये विविध करों से विमुक्ति के रूप में प्रोत्साहन दिया है। इसी प्रकार कृषि उत्पाद बढ़ाने के लिये भी, भारत सरकार के लिये विधि बनाना तथा कृषि जीवियों को प्रोत्साहन देना आवश्यक होगा। अमरीका में ऐसी विधियां बनाई जा रही हैं। वहां उत्पादक को न्यूनतम उचित मूल्य देने का आश्वासन दे दिया गया है। यहां भी हमें न्यूनतम उचित मूल्य विषयक विधान बनाना होगा जिससे कि कृषि जीवियों और कृषकों को यह पता लग सके कि वे जो कुछ पैदा करेंगे उसे न्यूनतम उचित मूल्य पर बेच सकेंगे और अपने परिश्रम का उचित फल पा सकेंगे।

इन कारणों से, श्रीमान, मैं श्री सक्सेना द्वारा प्रस्तावित संशोधन का समर्थन करता हूं और मसौदा-लेखन समिति से अनुरोध करता हूं कि वह इसे स्वीकार कर ले।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** श्रीमान, नई प्रविष्टि 64क को जोड़ने के संशोधन के विषय में, मैं कह सकता हूं कि इस मामले को प्रांतों के प्रधान मन्त्रियों के सम्मेलन में पेश किया गया था और वह सम्मेलन इस प्रस्थापना से सहमत नहीं था।

भोजन के वितरण के सम्बन्ध में, हमने अनुच्छेद 306 में उपबन्ध रखा है, कि पांच वर्ष के लिये केन्द्र भोजन वितरण पर नियंत्रण रख सकता है।

दूसरे संशोधन के विषय में, जो नई प्रविष्टि 64ख को रखने के विषय में है...

***अध्यक्षः** वह पेश नहीं हुआ है।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** श्रीमान, मैं प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

***अध्यक्षः** मैं संशोधन पर मत लता हूं। प्रश्न यह है:

"कि सूची 1 की प्रविष्टि 64 के पश्चात् निम्न नई प्रविष्टि जोड़ दी जाये:—

'64.A. Co-ordination of the development of agriculture including animal husbandry, forestry and fisheries and the supply and distribution of food.' "

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

नई प्रविष्टि-64ख

***अध्यक्षः** संशोधन संख्या 264, श्री सक्सेना।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेनाः** श्रीमान, मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं:

"कि सूची 1 की प्रविष्टि 64क के पश्चात्, निम्न नई प्रविष्टि जोड़ दी जाये:—

'64B. Regulation of trade and commerce in and of the production, supply, price and distribution—

(a) of goods which are the products of industries whose regulation under the control of the Union is declared by Parliament by law to be necessary or expedient in the public interest;

[प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना]

(b) of any other goods whose regulation similarly is declared by Parliament by law to be necessary or expedient in the public interest.' "

यहां, मैं मसौदा-लेखन समिति का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि उद्योग तथा रसद मंत्रालय की सिफारिशों में भी ऐसा ही सुझाव है। उन्होंने यह सुझाव दिया है कि सप्तम अनुसूचित की संघ-सूचि में ऐसी प्रविष्टि होनी चाहिये जैसी मैंने सुझाई है। वास्तव में मैं उस पृष्ट का ही निर्देश कर देता हूं–इस पुस्तिका का–जिसमें कि संविधान के मसौदे पर विभिन्न मंत्रालयों की टिप्पणियां दी हुई हैं, 14वां पृष्ट देखिये। वहां उस मंत्रालय ने लिखा है:—

"भारत सरकार ने 6 अप्रैल 1948 को जिस औद्योगिक नीति की घोषणा की थी, संघ सरकार द्वारा उसको प्रभावी बनाने के लिये, तथा अन्य कारणों से यह आवश्यक है कि संघ-सरकार को व्यापार तथा वाणिज्य के विषय में और जिन उद्योगों को केन्द्रीय विनियमन में लाना है उनके द्वारा निर्मित माल के उत्पादन, रसद, मूल्य और वितरण और पूर्ण रूपेण आयात किये हुये अथवा कृषिजन्य पदार्थों के विषय में कुछ शक्तियां दी जायें। अत: निम्न अतिरिक्त मद का सुझाव दिया जाता है:—

'Regulation of trade and commerce in and of the production, supply, price and distribution—

(a) of goods which are the products of the industries whose regulation under the control of the Union is declared by Parliament by law to be necessary or expedient in the public interest.

(b) of any other goods whose regulation similarly is declared by Parliament by law to be necessary or expedient in the public interest.' "

श्रीमान, इस बात के अतिरिक्त कि इस संशोधन को उद्योग तथा रसद विभाग का समर्थन प्राप्त है, प्रत्येक को यह स्पष्ट होगा कि गत चार-पांच वर्षों में हमने अनुभव से सीखा है कि यदि व्यापार तथा वाणिज्य तथा उत्पादन तथा वितरण को भी विनियमित करने की शक्ति न होगी तो देश में अराजकता फैल जायेगी। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, भोजन और वस्त्र और जीवन की अन्य आवश्यकताओं का प्रश्न भी केवल प्रांतीय आधार पर सुलझाया नहीं जा सकता और उन्हें अखिल भारतीय पैमाने पर ही सुलझाना चाहिये। अत: मैं कहता हूं कि यह शक्ति यहां संघ-सूची में पर्याप्त उपबन्ध रखकर संघ को ही दे देनी चाहिये। अन्यथा केन्द्र को आवश्यक शक्ति नहीं मिलेगी। मेरे विचार में यह सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है जो केन्द्र को मिलनी चाहिये। इसके अतिरिक्त.....

***अध्यक्ष:** क्या यह पर्याप्त होगा यदि मैं बता दूं कि समवर्ती सूची में एक नई प्रविष्टि–प्रविष्टि 35क की प्रस्थापना है? मेरे विचार में उसमें यह बात आ जाती है।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना:** क्या ऐसा कोई संशोधन है, श्रीमान।

***अध्यक्ष:** हां, संशोधन संख्या 142 है।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी** (मद्रास: जनरल): उस संशोधन में माननीय सदस्य के संशोधन का प्रथम भाग आ जाता है।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना:** हां, यह समवर्ती सूची में है, पर वह इतना विस्तृत नहीं है जितना कि मेरा संशोधन है। मैं वैयक्तिक रूप से यह अधिक अच्छा समझता हूं कि यह शक्ति केन्द्र के ही हाथ में रहे।

***अध्यक्ष:** बहुत अच्छा।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना:** इसके अतिरिक्त, मैंने जिन शब्दों का सुझाव दिया है उनसे केन्द्र को अधिक शक्ति मिलती है जितनी समवर्ती सूची वाले संशोधन से नहीं मिलती। मेरा सुझाव है कि इस चीज को केन्द्र के साथ में रखने के लिये गत चार-पांच वर्षों का अनुभव ही पर्याप्त कारण है। श्रीमान, मैं नहीं समझता कि हमें केन्द्र को भोजन तथा वस्त्र जैसी प्रधान वस्तुओं के विषय में शक्ति देते हुये डरना चाहिये। अन्यथा मैं नहीं समझता कि हम देश की आवश्यकताओं को यथेष्ट रूप में पूरा कर सकेंगे। इस समय भी केन्द्रीय सरकार को इन मामलों में एक सूचित्र नीति निश्चित करने का अधिकार है। किन्तु केन्द्र को यह भी शक्ति होनी चाहिये कि वह देश के सब भागों को केन्द्र की नीति पर चला सके। जिससे कि देश की सारी आवश्यकताएं पूरी हो सकें।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** संशोधन के प्रथम भाग के सम्बन्ध में मसौदा लेखन समिति की प्रस्थापना है कि इस मामले को समवर्ती सूची में रख दिया जाये, और यदि मेरे मित्र प्रो. सक्सेना समवर्ती सूची को देखेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि समवर्ती सूची में प्रविष्टि 35क है जो वैसी ही है जैसा कि 64ख का (क) भाग है।

भाग (ख) के सम्बंध में, यह विवादास्पद विषय है और मसौदा समिति अभी इस प्रश्न पर कुछ निश्चय नहीं कर सकी है। मसौदा-समिति यह अनुभव करती है कि हमने संसद को जो शक्ति दी है कि वह कुछ उद्योगों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है, भाग (क) पूर्णत: उसका तर्कसंगत निष्कर्ष है। यदि संसद को अधिकार है कि वह कुछ उद्योगों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है, तो उसे यह भी शक्ति होनी चाहिये कि वह ऐसे उद्योगों के सामानों और उत्पादों का भी विनियमन कर सके। किन्तु भाग (ख) तो उन उद्योगों के सामान के विषय में है जिसे संसद ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित न किया हो। जैसा कि मैं कह चुका हूं, वह कुछ विवादास्पद विषय है, और मसौदा समिति ने कुछ निश्चय नहीं किया है। मेरा सुझाव है कि प्रो. सक्सेना इस मामले को उस समय तक स्थगित रहने दें जब तक कि हम समवर्ती सूची की प्रविष्टि 35 पर न पहुंच जायें।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना:** मुझे ठहरने पर कोई आपत्ति नहीं है।

***अध्यक्ष:** फिर यह स्थगित रहेगा।

———————

प्रविष्टि 65

***अध्यक्ष:** प्रो. सक्सेना का एक संशोधन संख्या 265 है।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना:** प्रविष्टि 65 श्रम के विनियमन तथा खानों और तेल-क्षेत्रों में सुरक्षितता के विषय में हैं। श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि सूची 1 की प्रविष्टि 65 में, 'Regulation' शब्द के पश्चात् 'and welfare' ये शब्द प्रविष्ट कर दिये जायें।"

अब प्रविष्टि इस प्रकार बन जायेगी:

"Regulation and welfare of labour and safety in mines and oilfields....."

श्री टी.टी. कृष्णमाचारी: मेरे मित्र को इससे सहायता मिलेगी यदि मैं उनका ध्यान समवर्ती सूची की प्रविष्टि 26 की ओर आकृष्ट करूं जिससे उनकी बात पूरी हो जायेगी। उसमें लिखा है "श्रमिकों का कल्याण, कार्य की शर्तें आदि आदि।"

***अध्यक्ष:** वह 26 का संशोधित रूप है जिसकी सूचना डॉ. अम्बेडकर ने भेजी है।

श्री टी.टी. कृष्णमाचारी: इससे उनकी बात पूरी हो जाती है।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना:** किन्तु खान और तेल-क्षेत्र केन्द्रीय विषय हैं, और यदि आप चाहते हैं कि श्रमिक कल्याण समवर्ती सूची में हो तो मुझे इस पर एक आपत्ति है। मैं उस समय सदन में नहीं था, पर मैं चाहता था कि श्रम-विधान, श्रम-विधियां आदि भी केन्द्रीय विषय रहें। अपने श्रमिक कार्य के अनुभव से मैं कह सकता हूं कि श्रम-विधान समूचे देश में और विविध प्रांतों में लगभग अराजकता की स्थिति में हैं। कुछ प्रांतों में कुछ श्रम-विधियां हैं, दूसरों में बिल्कुल भिन्न विधियां हैं। एक ही उद्योग में, जैसे कि बिहार, युक्त प्रांत और बम्बई के चीनी उद्योग में विभिन्न प्रान्तों में विभिन्न विधियां हैं। बम्बई के वस्त्र उद्योग में भी कुछ विधियां हैं किन्तु इसी उद्योग के लिये युक्त प्रांत तथा अन्य स्थानों पर भिन्न विधियां हैं। यहां तक कि औद्योगिक विवाद अधिनियम को भी युक्त प्रांत तथा अन्य प्रांतीय सरकारों ने विधियां बनाकर बदल दिया है। इससे अराजकता की स्थिति होती है। अत: श्रम विधान केन्द्र सूची में आना चाहिये। मैं उन्हें प्रांतीय सूची में नहीं रखना चाहता। श्रम केन्द्रीय विषय होना चाहिये और केन्द्रीय सरकार को उसके विषय में शक्ति होनी चाहिये; अन्यथा भिन्न-भिन्न प्रांतों में श्रम के साथ भिन्न-भिन्न व्यवहार होगा।

***श्री एच.वी. कामत:** श्रीमान्, संशोधन संख्या 215 (सूची 3-पष्ठम सप्ताह) के विषय में मेरी इच्छा थी कि वह प्रविष्टि 65 पर भी लागू हो। हो सकता है कि मैंने कार्यालय को जो प्रति भेजी थी उसमें केवल प्रविष्टि 66 का ही उल्लेख था। इच्छा यह थी कि वह प्रविष्टि 65 तथा 66 दोनों पर लागू हो।

***अध्यक्ष:** आप इसे पेश करना चाहते हैं?

***श्री एच.वी. कामतः** हां–65 के लिए भी।

***अध्यक्षः** बहुत अच्छा: आप ऐसा कर सकते हैं। पर, पता नहीं वह कैसे इसमें ठीक जमता है।

***श्री एच.वी. कामतः** श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं (आपकी अनुमति से प्रविष्टि 65 के विषय में भी):

"कि संशोधन संख्या 37 के निर्देश से....."

***अध्यक्षः** इसका 65 से कोई सम्बन्ध नहीं है। वह तो 66 से सम्बद्ध है। प्रविष्टि 65 पर कोई संशोधन नहीं है।

***श्री एच.वी. कामतः** आपकी कृपापूर्ण अनुमति से मैं अब इस संशोधन को प्रविष्टि 65 पर पेश कर रहा हूं। श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि सूची 1 (षष्ठम सप्ताह) के संशोधन संख्या 37 के निर्देश से, सूची 1 की प्रविष्टि 66 में और सूची 1 की प्रविष्टि 65 में, 'and oilfield' इन शब्दों के स्थान पर 'oilfields and submarine regions' ये शब्द रख दिये जायें।"

पता नहीं 'submarine regions' (जलगर्भ क्षेत्रों) को इस प्रविष्टि में से क्यों निकाल दिया गया है। उस दिन हमने एक अनुच्छेद स्वीकार किया था जिससे महासागर के गर्भ में स्थित सब भूमि तथा खनिज केन्द्र के अधीन रख दिये गये थे। मुझे विश्वस्त प्राधिकारी से पता चला है कि उदाहरण के लिये, मोती उद्योग का कच्छ प्रदेश में विकास करके बहुत लाभ उठाया जा सकता है, और मुझे विश्वास है कि हमारे महासागरीय क्षेत्रों के कई भागों में मोती उद्योग का विकास करने की भविष्य में बहुत संभावना है। जापान ने इस उद्योग का बहुत विकास किया है। और कुछ जापानी वैज्ञानिकों अथवा विशेषज्ञों ने कहा है कि भारत भी बहुत अच्छे मोती उत्पन्न कर सकता है। यह जलगर्भीय उद्योग होगा और इसमें भी उतना ही जोखिम है जितना कि खानों और तेल-क्षेत्रों में श्रम का कार्य है। अतः मैं अनुभव करता हूं कि जब आप श्रम का विनियमन कर रहे हैं और खानों तथा तेल-क्षेत्रों में उनकी सुरक्षितता का विनियमन कर रहे हैं तो लोकहित में यह भी समानरूपेण आवश्यक तथा जरूरी है कि उन उद्योगों में श्रम का तथा उसकी सुरक्षितता का विनियमन किया जाये, क्योंकि हो सकता है हम इन उद्योगों का जल गर्भ में विकास करें। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, वह भी उतना ही जोखिम वाला व्यवसाय है और सदन इस पर विचार कर सकता है कि क्या यह अभीष्ट नहीं है कि इस आशय के एक संशोधन को भी प्रविष्टि 65 में रख दिया जाये। श्रीमान, मैं इस संशोधन को पेश करता हूं जिसका आशय है कि प्रविष्टि 65 में जलगर्भीय प्रदेश भी समाविष्ट पर दिये जायें और इसे सदन के विचारार्थ पेश करता हूं।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** श्री कामत के संशोधन के विषय में मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वह बिल्कुल अनावश्यक है क्योंकि 'तेल-क्षेत्र' शब्द का

[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर]

प्रयोग व्यापक रूप में हुआ है। जहां भी वह होगा, केन्द्र को उस पर क्षेत्राधिकार होगा। यदि कोई "तेल-क्षेत्र" जलगर्भ में स्थिति हो सकता है.....

***अध्यक्षः** वे कहते हैं "and submarine regions".

***श्री एच.वी. कामतः** मैं कहता हूं "mines, oilfields and submarine regions."

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** मेरे मित्र का मतलब गोता खोरी से है।

***श्री एच.वी. कामतः** नहीं, मोती उद्योग।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** मैं तो यही कह सकता हूं कि मैं उस मामले पर विचार करूंगा।

***अध्यक्षः** फिर मैं पहले प्रो. सक्सेना के संशोधन पर मत लूंगा। प्रश्न यह है:

"कि सूची 1 की प्रविष्टि 65 में 'regulation' शब्द के पश्चात् 'and welfare' ये शब्द रख दिये जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

***श्री एच.वी. कामतः** डॉ. अम्बेडकर के आश्वासन पर अब मैं अपने संशोधन पर जोर नहीं देता। पर इस मसौदा-लेखन समिति विचार कर सकती है।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि प्रविष्टि 65 सूची 1 का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हो गया।

प्रविष्टि 65 संघ-सूची में जोड़ दी गई।

प्रविष्ट 66

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि सूची 1 की प्रविष्टि 66 में, 'and oilfields' ये शब्द हटा दिये जायें।"

वह पहले ही प्रविष्टि 63 में रख दिया गया है।

***श्री एच.वी. कामतः** अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं श्रीमान,

"कि सूची 1 (षष्ठम सप्ताह) के संशोधन संख्या 37 के निदेश से, सूची 1 की प्रविष्टि 66 में, 'and oilfields' इन शब्दों के स्थान पर 'oilfields, and submarine regions' यह शब्द रख दिये जायें।"

इस संशोधन का केवल यही आशय नहीं है कि इस प्रविष्टि में 'जलगर्भीय क्षेत्रों' को समाविष्ट कर दिया जाये। वरन् यह भी है कि 'तेल-क्षेत्रों' को हटाने के सम्बन्ध में डॉ. अम्बेडकर के संशोधन को भी न माना जाये। मेरे संशोधन में यह बात है। डॉ. अम्बेडकर ने ठीक ही कहा है कि यह 'तेल-क्षेत्रों' का मामला प्रविष्टि 63 में आ गया है। किन्तु जैसे कि सदन देखेगा अनुच्छेद 63, जो हमने कुछ क्षण पूर्व स्वीकार किया है, तेल-क्षेत्रों तथा खनिज तेल साधनों के विकास और विनियमन के सम्बन्ध में है। प्रविष्टि 65 में, जो हम पारित कर चुके हैं, श्रम के विनियमन तथा खानों और तेल-क्षेत्रों में सुरक्षितता का निर्देश है। यह मामला 63 में समाविष्ट विषय से भिन्न है। इसलिये मैं अनुभव करता हूं कि इस 66 में ऐसे विषय का निर्देश है जो 63 में समाविष्ट नहीं है, क्योंकि इसमें यह शर्त है "उस सीमा तक जिस तक संघ के नियंत्रण में वैसे विनियमन और विकास को संसद विधि द्वारा लोक हित के लिये इष्टकर घोषित करे"। मैं नहीं जानता कि क्या 'mineral development' इन शब्दों का रखना और 'oilfields' शब्द को हटाना प्रविष्टि 63 से, जो कि सदन ने स्वीकार कर ली है, मेल खायेगा। उस प्रविष्टि में 'खनिज तेल साधनों' का निदेश है। और यहां 'खनिजों का विकास' है। 'खनिजों के विकास' में व्यापक रूप से 'खनिज साधनों' का निर्देश है। यदि प्रविष्टि 66 में 'खनिजों का विकास' इन शब्दों को रखने के पर्याप्त तथा उचित कारण हैं, तो मेरी समझ में नहीं आता कि 'तेल-क्षेत्र' शब्द को भी क्यों न रहने दिया जाये, क्योंकि वैज्ञानिक रूप से कहा जाये तो, 'तेल' यह शब्द व्यापक शब्द 'खनिजों' का ही एक भाग है।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** वह 63 में है।

***श्री एच.वी. कामत:** यह मैं जानता हूं। मुझे विश्वास है कि यदि मेरे मित्र मेरी बात को समझ पाते तो कुछ और ही बात कहते। मैं तो यह कह रहा था कि जब हमने 63 में 'तेल-साधनों' का उल्लेख कर दिया है और जब हमने व्यापक रूप से भी खनिजों के विकास की चर्चा कर दी है तो 'तेल-क्षेत्र' शब्द को भी रहने देने में कोई हानि नहीं है क्योंकि इससे बात सर्वथा स्पष्ट हो जायेगी। यह नितान्त आवश्यक नहीं है पर इसे रहने देने में भी कोई हानि नहीं है।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसाद** (बिहार: जनरल): श्रीमान, मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं:

"कि संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 3555 में, सूची 1 की प्रस्थापित प्रविष्टि 66 के स्थान पर निम्न प्रविष्टि रख दी जाये:—

'66. Superintendence, direction, control, regulation development and preservation of mines, oilfields and mineral resources including such questions as—

(a) the regulation and safety of mining employees,

(b) propriety rights in or over lands where mines and mineral resources are found to exist,

(c) power to frame rules regarding terms and conditions for grant of prospecting licenses and mining leases,

[श्री ब्रजेश्वर प्रसाद]

(d) power to modify conditons and term of existing leases,

(e) power to make rules for working of mines with-due regard to the health and welfare of workmen employed in mines,

(f) power to establish Inspectorate of Mines to enforce these rules,

(g) power to enforce improved mining methods to ensure conservation of minerals and mineral products,

(h) power to control production, supply and movement of minerals and mineral products, and

(i) any other matter connected with mines, oilfields and mineral resources which may be declared by Parliament to be necessary or expedient in the public interest.' "

इस संशोधन को पेश करने में मेरा उद्देश्य यह है कि सूची 2 की प्रविष्टि 28 की आवश्यकता न रहे। मेरा यह स्पष्ट ख्याल है कि खान ऐसा ही महत्वपूर्ण विषय है जैसा कि प्रतिरक्षा, वैदेशिक मामले तथा संचार है। मेरा यह मत है कि यदि प्रतिरक्षा की व्यवस्था को समुचित रूप से चलाना है तो खान भी केन्द्रीय विषय ही होना चाहिये। मैं नहीं चाहता कि प्रांतों को यह भी शक्ति दी जाये कि "वे सूची के उपबन्धों के आधीन रहते हुये खानों और तेल-क्षेत्रों तथा खनिजों के विकास का विनियमन कर सकें" जैसा कि सूची 2 की प्रविष्टि 28 में उपबन्धित है।

किसी अन्य प्रसंग में सदन के आंगन पर एक प्रश्न उठाया गया है कि प्रांतीय स्वायत्तता का क्या होगा। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। हम यहां प्रांतीय सरकारों के हितों का परित्राण करने नहीं आये हैं। हम यहां इसलिये आये हैं कि सूची 1 में उन विषयों को समाविष्ट करें जिन्हें हम आवश्यक समझते हैं—वे विषय जो आधुनिक युग की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। मेरा यह मत है कि खानों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये किन्तु इस समय मैं केवल यही कह रहा हूं कि विधान बनाने की शक्ति अनन्य रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित होनी चाहिये।

(संशोधन संख्या 3555 पेश नहीं किया गया।)

श्री लक्ष्मीनारायण साहू: सभापति जी, मैं यह संशोधन देना चाहता हूं:

"That for entry 66 in List I, the following be substituted:—

'66. Power to frame rules regarding terms and conditions for grant of prospecting licences and mining leases, power to modify conditions

and terms of existing leases, power to make rules for proper working of mines with due regard to physical safety of workmen employed in mines, their health and welfare, power to establish inspectorate of mines to enforce these rules, power to enforce improved mining methods to ensure conservation of minerals and mineral products, power to control productions, supply and movement of minerals and mineral products.' "

इस संशोधन में मैंने सब बात दे दी है। श्री ब्रजेश्वर प्रसाद जी ने जो संशोधन अभी पेश किया है उस संशोधन में मेरी सब बातें आ जाती हैं। लेकिन श्री ब्रजेश्वर प्रसाद इतनी पावर सेंटर को देना चाहते हैं मगर मैं इतनी पावर नहीं देना चाहता। इसलिये मैं स्टेट लिस्ट में आता हूं वहां मैंने दिया है:

Entry 28.

"That for entry 28 in List II the following be substituted:—

'28. Grant of prospecting liences and mining leases in accordance with the rules framed by the Union Government as provided in entry 66 of List I and collection and appropriation of all revenue therefrom.' "

इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं कहना चाहता इतना कहना चाहूंगा कि हम लोगों के हिन्दुस्तान में यह माइन्स का काम सेंटरल सबजेक्टस में होना चाहिये। इस बात में कोई संदेह नहीं है। जो प्रौसपेक्टिंग लाइसेंस हैं उसको जो खत्म होंगे वह यूनिफार्म करने के लिये सेंटर को पावर देना चाहिये क्योंकि मैं यह कह देना चाहता हूं और अच्छी तरह से कह देना चाहता हूं कि सेंटर को ऐसे नियम बनाने चाहियें जिसमें हर एक प्रांत को एक ही तरह से लागू होगा। जब तक सेंटर को यह क्षमता नहीं मिलेगी तब तक प्रौस्पैक्टिंग लाइसेंस मिलने में बहुत दिक्कतें होंगी और इसकी कन्डीशन में प्रावेन्स में भेद हो जायेगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि जो संशोधन मेरा यहां आता है और फिर स्टेट लिस्ट 2 के अन्दर आता है उन दोनों को मिलाकर यह विषय ग्रहण करना चाहिये।

***श्री कुलधर चालिहा** (आसाम: जनरल): अध्यक्ष महोदय, श्री ब्रजेश्वर प्रसाद से सहमत होना सचमुच बहुत कठिन है पर इस मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि मैं उनसे सर्वथा सहमत हूं और मेरे विचार में उनका संशोधन डॉ. अम्बेडकर द्वारा रखे गये उपबन्धों पर बहुत कुछ सुधार है—वरन्, सर्वव्यापी है और इसमें वे सब उपबन्ध आ गये प्रतीत होते हैं जो खानों तथा तेल-क्षेत्रों के समबन्ध में आवश्यक हैं।

[श्री कुलधर चालिहा]

हम जानते हैं कि देश के उस भाग में जहां हम रहते हैं, कोयला-खानों के स्वामियों ने पहले से कम कोयला निकालना आरंभ कर दिया है और हमें उसका कारण पता नहीं है। वैसे भी कोयला घटिया होने लगा है। यदि आप उनसे कोई कोयला मंगवायें तो आपको घटिया से घटिया माल मिलता है। अतः यह आवश्यक है कि वे ग्राहकों को जो कोयला देते हैं उसका कोई मान निश्चित होना चाहिये। इसी प्रकार तेल-क्षेत्रों में भी पैदावार घटती ही जा रही है। कहा जाता है कि डिगबोई में वे पूरा काम नहीं कर रहे हैं और इसमें उनका एक उद्देश्य है। कहा जाता है कि यदि हम कभी कोई लक्ष्य निश्चित नहीं करेंगे कि इतने समय में इतना माल उत्पन्न होना ही चाहिये तो शायद हमें पहले से बहुत कम माल मिलेगा। अब भी हम जानते हैं कि हमें डिगबोई से उतना माल नहीं मिलता जितना कुछ वर्षों पूर्व मिलता था, हमें वहां से हमारे भारत के कुल उत्पादन का 30 प्रतिशत भी प्राप्त नहीं हो रहा है जबकि पहले अधिक मिलता था। कहा जाता है कि अंग्रेज़ों के स्वामित्व वाले कुओं में जानबूझ कर ऐसा किया जा रहा है और वे अपनी कलों को पाकिस्तान या अन्य स्थानान्तरित करने का भी प्रयत्न कर रहे हैं।

अतएव, श्री ब्रजेश्वर प्रसाद के इस संशोधन से हमें पर्याप्त शक्ति मिल जायेगी कि हम उन पर नियंत्रण कर सकें और हम यह व्यवस्था कर सकें कि वे समुचित उत्पादन करें और उतना उत्पादन करें जितना हम चाहते हैं और उतना नहीं कि वे कहते हैं कि वे कर सकते हैं। इसलिये इस संविधान सभा के इतिहास में पहली बार मैं श्री ब्रजेश्वर प्रसाद से सहमत हो सका हूं, जिनके विचार तो प्रायः बहुमत के विचारों से विपरीत होते ही हैं। श्रीमान, मैं उनके संशोधन का समर्थन करता हूं।

***श्री एच.वी. कामतः** मुझे आशा है, श्रीमान, कि मसौदा-लेखन समिति मेरे संशोधन के उस भाग का ध्यान रखेगी जो जलगर्भीय प्रदेशों के विषय में है।

***अध्यक्षः** यह आशा की जाती है कि माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा था उसे मसौदा-लेखन समिति के सदस्यों ने सुन लिया होगा।

***श्री जगत नारायण लाल** (बिहार जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय पर सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं तो संशोधन का विरोध करना चाहता हूं—मुझे खेद है—उस संशोधन का जो श्री ब्रजेश्वर प्रसाद ने पेश किया है। अपने संशोधन में वे एक ओर तो वे केन्द्र को बहुत विस्तृत शक्तियां देना चाहते हैं, दूसरी ओर उनका संशोधन नियमों या उपविधियों के रूप में है जो किसी अधिनियम के पारित होने के पश्चात् बनाई जा सकती हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसे विस्तृत खंडों तथा उप-खंडों को संविधान में क्यों जोड़ा जाये। मैं तो डॉ. अम्बेडकर द्वारा पेश की गई बात का समर्थन करता हूं क्योंकि उसमें केन्द्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। केन्द्र के पास ऐसी शक्तियां हैं। जो खानों के या खनिज साधनों के कार्य को सुगमता से चलाने का विनियमन करने के लिये आवश्यक हैं या आवश्यक दिखाई दें। और प्रांतों के पास भी ऐसी शक्तियां होंगी जिनका प्रयोग उन्हें अपने राज्य-क्षेत्रों में खानों तथा खनिज साधनों के विनियमन या विकास के लिये करना चाहिये। अतः मैं डॉ. अम्बेडकर के संशोधन का समर्थन करता हूं तथा उस पर जो संशोधन पेश किये गये हैं उनका विरोध करता हूं।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसादः** डॉ. अम्बेडकर के संशोधन 'तेल-क्षेत्र' शब्द को हटाने का सुझाव है।

***श्री जगत नारायण लालः** 'तेल-क्षेत्र' इस शब्द को तो हटाना ही होगा क्योंकि वह पहले आ चुका है।

***अध्यक्षः** क्या आप कुछ कहना चाहते हैं।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** नहीं, श्रीमान, मैं कोई संशोधन स्वीकार नहीं करना चाहता।

***अध्यक्षः** हम श्री ब्रजेश्वर प्रसाद के संशोधन को लेंगे।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसादः** श्रीमान, मैं उसे वापस लेना चाहता हूं।

संशोधन, सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया।

***अध्यक्षः** फिर मुद्रित सूची का संशोधन सं. 3556 है जिसे श्री साहू ने पेश किया है।

प्रश्न यह है:

"कि सूची 1 की प्रविष्टि 66 के स्थान पर निम्न प्रविष्टि रख दी जाये:

'66. Power to frame rules regarding terms and conditions for grant of prospecting licences and mining leases, power to modify conditions and terms of existing leases, power to make rules for proper working of mines with due regard to physical safety of workmen employed in mines, their health and welfare, power to establish inspectorate of mines to enforce these rules, power to enforce imporoved mining methods to ensure conservation of minerals and mineral products, power to control productions, supply and movement of minerals and mineral products.' "

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

***अध्यक्षः** फिर संशोधन संख्या 215 है।

***श्री एच.वी. कामतः** मैं इसे मसौदा समिति के विवेक पर छोड़ता हूं।

***अध्यक्षः** बहुत अच्छा, फिर इस पर मत नहीं लिये जायेंगे। वे इसे मसौदा समिति पर छोड़ते हैं।

फिर डॉ. अम्बेडकर का संशोधन है। प्रश्न यह है:

"कि सूची 1 की प्रविष्टि 66 में, 'and oilfields' ये शब्द हटा दिये जायें।"

संशोधन स्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि संशोधन रूप में प्रविष्टि 66 सूची 1 का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हो गया।

संशोधित रूप में प्रविष्टि 66 संघ-सूची में जोड़ दी गई।

प्रविष्टि 67

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं:—

"कि सूची 1 की प्रविष्टि 67 के स्थान पर निम्न प्रविष्टि रख दी जाये:—

'67. Extension of the powers and jurisdiction of members of a police force belonging to any State to any area not within such State, but not so as to enable the police of one State to exercise powers and jurisdiction in any area not within that State without the consent of the Government of the State in which such area is situated; extension of the powers and jurisdiction of members of a police force belonging to any State to railway areas outside that State.' "

[67. किसी राज्य के आरक्षी बल के सदस्यों की शक्तियां और क्षेत्राधिकार का उस राज्य में न होने वाले किसी क्षेत्र पर विस्तार, किन्तु इस प्रकार नहीं कि एक राज्य की आरक्षी, उस राज्य में न होने वाले किसी क्षेत्र में बिना उस राज्य की सरकार की सम्मति के जिसमें कि ऐसा क्षेत्र स्थित है शक्तियां और क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकें, किसी राज्य की आरक्षी बल के सदस्यों की शक्तियां और क्षेत्राधिकार उस राज्य से बाहर रेल क्षेत्रों पर विस्तार।]

***अध्यक्ष:** सरकार हुकम सिंह का एक संशोधन अपमार्जन के विषय में है। उसे पेश करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रविष्टि पर डॉ. देशमुख का भी एक संशोधन है, मुझे पता लगा है वे उसे पेश नहीं कर रहे हैं।

प्रश्न यह है:

"कि सूची 1 की प्रविष्टि 67 के स्थान पर प्रविष्टि रख दी जाये:

'67. Extension of the powers and jurisdiction of members of a police force belonging to any State to any area not within such State, but not so as to enable the police of one State to exercise powers and jurisdiction in any area not within that State without the

consent of the Government of the State in which such area is situated; extension of the powers and jurisdiction of members of a police force belonging to any State to railway areas outside that State.' "

[67. किसी राज्य के आरक्षी बल के सदस्यों की शक्तियां और क्षेत्राधिकार का उस राज्य में न होने वाले किसी क्षेत्र पर विस्तार, किन्तु इस प्रकार नहीं कि एक राज्य की आरक्षी, उस राज्य में न होने वाले किसी क्षेत्र में बिना उस राज्य की सरकार की सम्मति के जिसमें कि ऐसा क्षेत्र स्थित है शक्तियां और क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकें, किसी राज्य की आरक्षी बल के सदस्यों की शक्तियां और क्षेत्राधिकार उस राज्य से बाहर रेल क्षेत्रों पर विस्तार।]

संशोधन स्वीकृत हो गया।

संशोधित रूप में प्रविष्टि 67 संघ-सूची में जोड़ दी गई।

प्रविष्टि 68

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि सूची 1 की प्रविष्टि 68 के स्थान पर, निम्न प्रविष्टि रख दी जाये:

'Elections to Parliament and to Legislatures of States and of the President and Vice-President; and Election Commission to Superintend, direct and control such elections.' "

[संसद और राज्यों के विधान-मंडलों के लिये तथा राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन और ऐसे निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण के लिये निर्वाचन आयोग।]

***श्री एच.वी. कामत:** अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि सूची 1 (षष्ठम सप्ताह) के संशोधन संख्या 38 में, सूची 1 की प्रस्थापित प्रविष्टि 68 में, 'Election Commission' इन शब्दों के स्थान पर 'Election Commission and Regional Commissioners' ये शब्द रख दिये जायें।"

प्रविष्टि 68 में जो परिवर्तन किया गया है उसके कारण यह संशोधन आवश्यक हो जाता है। संविधान के मसौदे में मौलिक प्रविष्टि यह थी:

'Elections to Parliament and of the President and Deputy President; and Election Commission to superintend, direct and control such elections."

नई प्रविष्टि इस प्रकार है:

'Elections to Parliament and to Legislatures of States and of the President and Vice-President; and Election Commission to Superintend..."

[श्री एच.वी. कामत]

अर्थात्, हमने राज्यों के विधान-मंडलों के निर्वाचनों को प्रस्थापित नई प्रविष्टि 68 में शामिल कर लिया है।

सदन को स्मरण होगा कि कुछ सप्ताह पूर्व हमने अनुचछेद 289, 289ख आदि को स्वीकार किया था। यदि मेरे साथ अनुच्छेद 289 को पढ़ने का कष्ट करेंगे, तो वह देखेंगे कि उसमें सबसे पहले निर्वाचन आयोग की नियुक्ति का उपबन्ध है और प्रादेशिक आयुक्तों का उल्लेख नहीं है। प्रादेशिक आयुक्त अनुच्छेद 289 के खंड 3 में उल्लिखित हैं। उस खंड में यह उपबन्ध है कि, "लोक सभा, तथा प्रत्येक राज्य की विधान-सभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन से पूर्व, तथा विधान-परिषद वाले प्रत्येक राज्य की विधान-परिषद के लिये पहले साधारण निर्वाचन तथा तत्पश्चात् प्रत्येक द्विवार्षिक निर्वाचन से पूर्व, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करके उस अनुच्छेद के खंड (2) द्वारा निर्वाचन-आयोग को दिये गये कृत्यों के पालन में आयोग की सहायता के लिये ऐसे प्रादेशिक आयुक्त भी नियुक्त करेगा जैसे वह आवश्यक समझे"। खंड 4 में केवल निर्वाचन आयुक्तों की ही नहीं, वरन् प्रादेशिक-आयुक्तों की भी सेवा की शर्तों और पदावधि निर्धारित करने के विषय में संसद को शक्तियां दी गई हैं। प्रादेशिक आयुक्त निर्वाचन आयोग के भाग नहीं हैं। वे तभी सामने आते हैं जब राज्यों की सभाओं तथा परिषदों के निर्वाचन आरंभ होने वाले हों। अतः मैं अनुभव करता हूं कि कि इस बात को प्रविष्टि 68 के नये मसौदे में, जो पुराने का स्थान लेगा पूर्णतः स्पष्ट कर देना चाहिये। इसमें संसद के निर्वाचन समाविष्ट हैं और राज्यों के निधान-मंडलों के निर्वाचन भी समाविष्ट हैं। जिस प्रयोजन के लिये प्रादेशिक आयुक्तों को रखा गया है। अतः प्रविष्टि 68 में यह भूल रह गई है। मुझे आशा है कि सदन मेरे संशोधन को स्वीकार कर सकेगा।

***अध्यक्षः** इस पर एक संशोधन है जो श्री सन्तानम के नाम में है। मेरे विचार में हमने कुछ अन्य अनुच्छेदों के सम्बन्ध में जो विनिश्चय किया है उसे देखते हुये इसका प्रश्न नहीं उठता।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** इस संशोधन को स्वीकार करना अनावश्यक है, क्योंकि निर्वाचन आयोग में प्रादेशिक आयुक्त भी आ जाते हैं।

अध्यक्षः प्रश्न यह है:

"कि सूची 1 (षष्ठम सप्ताह) के संशोधन सं. 38 में, सूची 1 की प्रस्थापित प्रविष्टि 68 में, 'Election Commission' इन श्ब्दों के स्थान पर 'Election Commission and Regional Commissioners' ये शब्द रख दिये जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि सूची 1 की प्रविष्टि 68 के स्थान पर निम्न प्रविष्टि रख दी जाये:

'Elections to Parliament and to Legislatures of States and of the President and Vice-President; and Election

Commission to superintend, direct and control such elections.' "

[संसद और राज्यों के विधान-मंडलों के लिये तथा राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन; और ऐसे निर्वाचकों के अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण के लिये निर्वाचन आयोग।]

संशोधन स्वीकृत हो गया।

संशोधित रूप में प्रविष्टि 68 संघ-सूची में जोड़ दी गई।

प्रविष्टि 69

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि सूची 1 की प्रविष्टि 69 के स्थान पर, निम्न प्रविष्टियां रख दी जायें:

'69. The emoluments and allowances and rights in respect of leave of absence of the President and Governors; the salaries and allowances of the Ministers of the Union and of the Chairman and Deputy Chairman of the Council of States and of the Speaker and Deputry Speaker of the House of the People; the salaries and allowances of the members of Parliament; the salaries, allowances and the conditions of service of the Comptroller and Auditor-General of India.

69A. The privileges, immunities and powers of each House of Parliament and of the members and the Committees of each House.' "

[69. राष्ट्रपति और राज्यपालों की उपलब्धियां, और भत्ते और अनुपस्थिति छुट्टी के बारे में अधिकार; संघ के मंत्रियों के तथा राज्य परिषद के सभापति और उपसभापति के और लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते; संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते; भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के भत्ते तथा सेवा की शर्तें।

69क. संसद के प्रत्येक सदन की, तथा प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां।]

***अध्यक्ष:** इस पर एक संशोधन संख्या 219 है जो भी कामत के नाम से है।

***श्री एच.वी. कामत:** मैं अपने संशोधन को पेश नहीं करना चाहता किन्तु मैं पूछना चाहता हूं कि अम्बेडकर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसे भूल गये।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** उनके वेतनों आदि का उपबन्ध अनुसूची में है। हम कह चुके हैं कि उनके वेतन वे ही होंगे जो कि अनुसूची में उल्लिखित हैं।

***अध्यक्षः** फिर डॉ. देशमुख का संशोधन सं. 220 है। क्या उसे राज्य-सूची में रखना आधिक उपयुक्त नहीं होगा?

***डॉ. पी.एस. देशमुखः** नहीं श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि सूची 1 (षष्ठम सप्ताह) के संशोधन सं. 39 में, सूची 1 की प्रस्थापित प्रविष्टि 69 के पश्चात् निम्न नई प्रविष्टि जोड़ दी जाये:—

'69A. Privileges, immunities and powers of the members of the State Legislatures and their Committees.' "

[69क. राज्यों के विधान-मंडलों तथा उनकी समितियों के विशेषाधिकार, उन्मुक्तियां तथा शक्तियां।]

श्रीमान, अनुच्छेद पर वाद-विवाद के समय मैंने जो संशोधन प्रस्थापित किया था, यह उसी के अनुरूप है। मैंने उस समय इस बात पर बल दिया था कि राज्यों के विधान-मंडलों के सदस्यों के विशेषाधिकारों, उन्मुक्तियों तथा शक्तियों को विविध राज्यों के विधान मंडलों पर ही छोड़ देना उचित नहीं होगा। संसद ही उनका विनिश्चय करे तो अधिक अच्छा रहेगा जिससे कि सारे राज्यों के विधान-मंडलों के सदस्यों के लिये एक से विशेषाधिकार, उन्मुक्तियां तथा शक्तियां हो सकें। मैंने इसी बात पर बल दिया था। मेरे विचार में डॉ. अम्बेडकर को इस पर विचार करने के लिये पर्याप्त समय नहीं मिला और इसलिये इसे स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। अब मैं उनके विचारार्थ तथा मसौदा-लेखन समिति के विचारार्थ इस पर पुनः बल दे रहा हूं। यह बहुत ही युक्तियुक्त तथा उचित है और मुझे आशा है कि वे इसे इस प्रविष्टि में जोड़ना स्वीकार कर लेंगे तथा वे इसका उस समय भी ध्यान रखेंगे जब वे सदन द्वारा पहले स्वीकार किये हुये उपबन्धों का रूपभेद करेंगे। मेरे विचार में यह अत्यावश्यक है कि विशेषाधिकार एक से हों और राज्य, राज्य में भिन्न न हों।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसादः** साधु, साधु।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** यही उचित है कि प्रत्येक विधान-मंडल को अपने विशेषाधिकारों, उन्मुक्तियों तथा शक्तियों को परिभाषित करने का प्राधिकार मिलना चाहिये, और इसी कारण हमने यह उपबन्ध किया है कि संसद को अपने सदस्यों के विशेषाधिकारों, उन्मुक्तियों तथा शक्तियों को निश्चित करने की शक्ति होगी तथा इसी प्रकार राज्य-विधान-मंडलों को अपने सदस्यों के विषय में वैसी ही शक्ति होगी। मैं नहीं समझता कि समूची शक्ति को केन्द्र में संकेन्द्रित करना उचित होगा। मैं तो यही समझता हूं कि यदि संसद अपने सदस्यों के विशेषाधिकारों, उन्मुक्तियों तथा शक्तियों को परिभाषित करने का कोई अधिनियम पारित करेगी, तो संभवतः राज्य-विधान-मंडल भी उसका अनुसरण करेंगे और जैसा वे अभीष्ट समझेंगे वैसे छोटे-मोटे संशोधनों के साथ उसका शब्दशः अनुकरण कर लेंगे।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि सूची 1 (षष्ठम् सप्ताह) के संशोधन सं. 39 में, सूची 1 की प्रस्थापित प्रविष्टि 69 के पश्चात्, निम्न नई प्रविष्टि जोड़ दी जाये:—

'69A. Privileges, immunities and powers of the members of the State Legislatures and their Committess.' "

[69क. राज्यों के विधान-मंडलो तथा उनकी समितियों के विशेषाधिकार, उन्मुक्तियां तथा शक्तियां।]

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि सूची 1 की प्रविष्टि 69 के स्थान पर निम्न प्रविष्टियां रख दी जायें:

'69. The emoluments and allowances and rights in respect of leave of absence of the President and Governors; the salaries and allowances of the Ministers for the Union and of the Chairman and Deputy Chairman of the Concil of States and of the Speaker and Deputy Speaker of the House of the People; the salaries, allowances and the conditions of service of the Comptroller and Auditor-General of India.

69-A. The privileges, immunities and powers of each House of Parliament and of the members and the Committees of each House.' "

[69. राष्ट्रपति और राज्यपालों की उपलब्धियां, और भत्ते और अनुपस्थिति छुट्टी के बारे में अधिकार, संघ के मंत्रियों के तथा राज्यपरिषद् के सभापति और उपसभापति के और लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते; संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते; भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के भत्ते तथा सेवा की शर्तें।

69-क. संसद के प्रत्येक सदन की, तथा प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां।]

संशोधन स्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि संशोधित रूप में प्रविष्टि 69 सूची 1 का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि प्रविष्टि 69क सूची 1 का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हो गया।

प्रविष्टियां 69 तथा 69क संघ सूची में जोड़ दी गईं।

प्रविष्टि 70

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि सूची 1 की प्रविष्टि 70 के अन्त में, 'or Commissions appointed by Parliament' ये शब्द जोड़ दिये जायें।

इस समय इस प्रविष्टि में केवल समितियों का निर्देश है।

***अध्यक्षः** मैं नहीं समझता कि इस पर कोई और संशोधन है। प्रश्न यह है:

"कि सूची 1 की प्रविष्टि 70 के अंत में 'or Commissions appointed by Parliament' ये शब्द जोड़ दिये जायें।"

संशोधन स्वीकृत हो गया।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है।

"कि संशोधित रूप में प्रविष्टि 70 सूची 1 का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हो गया।

संशोधित रूप में प्रविष्टि 70 संघ-सूची में जोड़ दी गई।

प्रविष्टि 70क

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि सूची 1 की प्रविष्टि 70 के पश्चात् निम्न प्रविष्टि प्रविष्ट कर दी जाये:—

'70A. The sanctioning of cinematograph films for exhibition.' "

[70क. प्रदर्शन के लिये चलचित्रों की मंजूरी।]

यह प्रविष्टि पहले समवर्ती सूची में रखी गई थी। अब इसे सूची 1 में रखने की प्रस्थापना है।

***अध्यक्षः** इस पर कई संशोधन हैं। श्री कामत का संशोधन सं. 221 इस प्रविष्टि के अपमार्जन के लिये है। अतः वह पेश नहीं हो सकता।

***श्री एच.वी. कामतः** क्या मैं उस पर बोल सकता हूं?

***अध्यक्षः** बाद में।

***डॉ. पी.एस. देशमुखः** श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं:—

"कि सूची 1 (षष्ठम सप्ताह) के संशोधन सं. 41 में, सूची 1 की प्रस्थापित नवीन प्रविष्टि 70क के स्थान पर निम्न रख दी जाये:—

'70A. Regulation and control of the exhibition of cinema films.' "

[70क. चलचित्रों के प्रदर्शन का विनियमन और नियंत्रण।]

मेरी प्रस्थापना केवल भाषा बदलने की है। मैं यह नहीं समझ पाता कि चलचित्रों की मंजूरी विधान-निर्माण का विषय कैसे है। यदि विधान-निर्माण होगा तो वह मंजूरी के विषय में नहीं होगा। प्रदर्शन के लिये चलचित्रों की मंजूरी सुखद अभिव्यक्ति नहीं है। हमें प्रदर्शन के लिये चलचित्रों पर भी नियंत्रण की शक्ति होनी चाहिये और उसी दृष्टिकोण से मैं इन शब्दों को रखने की सिफारिश करता हूं "चलचित्रों के प्रदर्शनों का विनियमन और नियंत्रण"। श्रीमान, मैं इसे पेश करता हूं।

***अध्यक्षः** काका भगवन्तराय के एक संशोधन की सूचना मुझे आज प्रातःकाल मिली है।

***काका भगवन्त रायः** श्रीमान, मैं उसे पेश नहीं करना चाहता।

***श्री राजबहादुरः** अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि सूची 1 (षष्ठम सप्ताह) के संशोधन सं. 41 में सूची 1 की प्रस्थापित नई प्रविष्टि 70क में, 'the sanctioning of' और 'for 'exhibition' ये शब्द हटा दिये जायें।"

इस संशोधन को पेश करने में मेरा उद्देश्य इस प्रविष्टि के क्षेत्र को अधिक विस्तृत बना देना है। यदि मेरे संशोधन को स्वीकार कर लिया जाये तो केवल 'चलचित्र' यही शब्द रह जायेगा। यह स्पष्ट है कि चलचित्रों की केवल मंजूरी की ही शक्ति संघ-संसद के लिये पर्याप्त नहीं है। वास्तव में चलचित्रों के विषय में संघ-संसद के कृत्यों को काफी विस्तृत कर देना चाहिये। हम जानते हैं कि चलचित्र अनुदेश तथा राष्ट्रीय शिक्षा का बहुत शक्तिशाली माध्यम सिद्ध हुये हैं। हम जानते हैं कि राष्ट्रीय आचार के निर्माण और गठन में भी उनका बहुत भाग होता है। अतः यह आवश्यक है, केवल कला और कलाकारों के दृष्टिकोण से ही नहीं, वरन्, राष्ट्रीय शिक्षण के दृष्टिकोण से भी, कि हमें इस मामले में संघ-संसद् की शक्ति को अधिक विस्तृत कर देना चाहिये। आधुनिक काल में चलचित्रों में नाटक तथा सांग का स्थान ले लिया है। वे हमारी जनता के विवेक का माध्यम बन गये हैं। अतः यह अत्यावश्यक है कि, कला के हितार्थ, संघ-संसद को चलचित्रों के सुधार तथा प्रगति में सक्रिय रुचि रखनी चाहिये। अतः मेरी विनम्र सम्मति यह है कि यह प्रविष्टि चलचित्रों की मंजूरी तक ही सीमित नहीं होनी चाहिये, वरन् उससे अधिक विस्तृत होनी चाहिये। अतएव मेरा निवेदन है कि मेरे संशोधन को स्वीकार कर लिया जाये।

[श्री राजबहादुर]

इस प्रविष्टि को प्रविष्टि 70 के पश्चात् जो 'संसद की समितियों के समक्ष साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिये व्यक्तियों की उपस्थिति बाध्य करने' के बारे में है, रखने के औचित्य पर भी मुझे संदेह है। इसे अन्य रखना अधिक अच्छा रहता। मेरी तुष्छ समिति में तो यह प्रविष्टि 28 के पश्चात् भी आ सकती थी जो दूरभाष, बेतार तथा प्रसारण आदि के विषय में है। इसे यहां की बजाय वहां रखना अधिक अच्छा रहता। इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन को स्वीकृति के लिये पेश करता हूं।

***श्रीमती जी. दुर्गाबाई** (मद्रास: जनरल): डॉ अम्बेडकर द्वारा पेश की गई नई प्रविष्टि 70क का समर्थन करते हुये मैं कुछ शब्द कहना चाहती हूं।

इस नई प्रविष्टि 70क का उद्देश्य केन्द्र को यह शक्ति देना है कि वह चलचित्रों के प्रदर्शन पर प्रशासन कर सके और इस शक्ति को केन्द्र में लेने का उद्देश्य यह है कि जो चलचित्र इस देश के सब भागों में तथा देश के बाहर भी दिखाये जाते हैं उनके विषय में कुछ मान निश्चित किये जायें। हां, हम सोचते हैं, क्या केन्द्र को ऐसी शक्ति देना आवश्यक है कि वह इस प्रशासन को अपने हाथ में ले। हम अनुभव करते हैं कि बहुत से चित्रों का, जो आजकल जनता को दिखाये जाते हैं, कोई शैक्षणिक मूल्य नहीं है या बहुत कम है। सिर दुखाने वाले गाने और सस्ती बातें हमारी संस्कृति के लिये बहुत हानिकारक हैं। अत:, यह अत्यावश्यक है कि इन चित्रों का मान ऊंचा किया जाये और इस प्रकार निर्माताओं को अधिक अच्छे चित्र दिखाने में सहायता दी जाये जो इस देश की सभ्यता के प्रतिबिम्ब हों। यह मुख्य उद्देश्य है और उनसे इस देश के तथा बाह्य जगत के भी नागरिकों में, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की वृद्धि होनी चाहिये।

श्रीमान, आज स्थिति यह है कि प्रांतीय सरकारों ने अपने सेन्सरशिप बोर्ड स्थापित किये हुये हैं और जहां तक मुझे ज्ञान है या सूचना मिली है सेन्सरशिप तभी आरम्भ होता है जबकि चित्र पूरा बन जाता है और उस पर कुछ लाख रुपये व्यय हो चुके होते हैं और केन्द्र केवल मंत्रणा देने का कार्य करता है और उसका प्रभाव केवल शव-परीक्षण के समान होता है। अत: श्रीमान इस बात को ध्यान में रखते हुये, हमें उन चित्रों के मान में एकसूत्रता लानी है जो इस देश में और देश के बाहर भी दिखाये जाते हैं जिससे शुभ सामञ्जस्य की वृद्धि हो तथा हमारी संस्कृति तथा इस देश की सभ्यता का प्रतिविम्बन हो।

श्रीमान, इस संशोधन का समर्थन करते हुये, मैं यह कहना चाहती हूं कि प्रांतीय हितों अथवा प्रांतीय सेन्सरशिप मंडलों से, जो आज इस विषय में कृत्यों का निर्वहन कर रहे हैं, परामर्श लेना चाहिये और उनके हितों पर ध्यान देना चाहिये और प्रत्येक मामले में इन चित्रों को सेन्सर करते समय उनकी मंत्रणा तथा सहयोग प्राप्त करना चाहिये। श्रीमान, इस शक्ति को केन्द्र को देने पर एक आपत्ति हो सकती है कि क्या केन्द्र इस मामले को संभाल सकेगा, क्योंकि भिन्न-भिन्न भाषाओं तथा उप-भाषाओं में चित्र दिखाये जाते हैं, क्या केन्द्र इस शक्ति को संभाल सकेगा तथा इस मामले पर प्रभावी नियंत्रण रख सकेगा। इस युक्ति में कुछ औचित्य है पर फिर भी मैं कहना चाहती हूं कि इस विषय के प्रशासन में केन्द्र को इतना सावधान होना चाहिये कि प्रांत राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय एकता में अंशदान कर

सकें, और साथ-साथ वे उस संस्कृति का भी संरक्षण कर सकें जो उनकी अपनी विशेषता है।

श्रीमान, इस मामले में हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि पहला कदम तो पहले ही उठाया जा चुका है। हमने भारत शासन अधिनियम को संशोधित करके केन्द्र को शक्ति दे दी है। हमने विधान-सत्र में भी एक विधेयक पारित करके चित्रों का श्रेणी विभाजन किया है तथा 'ए' और 'यू' श्रेणी की प्रणाली जारी की है। अतः इस सूची में यह प्रविष्टि उसी के अनुरूप है जो हमने अब तक किया है। कुछ आपत्तियां उठाई गई हैं, मेरे विचार में मेरे माननीय मित्र श्री राजबहादुर ने एक आपत्ति उठाई थी कि शक्तियों को अधिक विस्तृत करना चाहिये और उन्होंने 'the sanctioning of' तथा 'for exhibition' इन शब्दों के अपमार्जन का सुझाव दिया है जिससे कि शक्ति बढ़ जायेगी। मैं यह कहना चाहती हूं कि हमें पहले ही अनुज्ञा देने का प्राधिकार है जिसके अधीन यह काम किया जा सकता है। मैं समझती हूं कि उनका उद्देश्य यह देखना है कि केन्द्र प्रांतों को ऐसे चित्र बनाने के लिये कह सकता है जिनका शैक्षणिक मूल्य हो और उन्हें अन्य चित्रों के साथ, जो आज प्रदर्शित होते हैं, दिखाने के लिये कह सकता हैं हम यह काम उस शक्ति के अंतर्गत कर सकते हैं जो इस समय हमारे पास है और प्रांत भी अपनी अनुज्ञा देने की शक्ति के अधीन इसका प्रयोग कर रहे हैं। केन्द्र ने चित्रों का श्रेणी विभाजन करने के लिये एक विधेयक पारित कर ही दिया है। अतः यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है। अतएव मैं अनुभव करती हूं कि यह प्रविष्टि सदन को स्वीकार्य होगी।

***श्री राजबहादुरः** क्या इन शब्दों से सारी बात का अर्थ निर्बन्धित और सीमित नहीं हो जाता?

***श्रीमती जी. दुर्गाबाईः** नहीं, श्रीमान्, क्योंकि अन्य शक्तियों का, जो आपने मांगी हैं, पहले ही प्रांतों और केन्द्र दोनों की शक्तियों के अधीन हो रहा है।

***डॉ. पी.एस. देशमुखः** मैंने जो शब्द सुझावें हैं कि, चलचित्रों के प्रदर्शन का 'विनियमन तथा नियंत्रण' उनके बारे में क्या ख्याल है।

***श्रीमती जी. दुर्गाबाईः** उसका भी प्रयोग उन्हीं शक्तियों के अन्तर्गत होगा जो हमें अनुज्ञा देने के प्राधिकार के अंतर्गत प्राप्त हैं; और बच्चों की रक्षा आदि के अन्य मामले तो श्रम विभाग के लिये हैं और इससे उनका संबंध नहीं है।

***श्री एच.वी. कामतः** अध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन की भावना के अनुरूप, जो मैं पेश नहीं कर सका क्योंकि वह नकारात्मक संशोधन है, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रविष्टि को समवर्ती सूची से हटाकर संघ-सूचि में ले जाने का पर्याप्त आधार नहीं है।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारीः** उसे भारत शासन अधिनियम में तो पहले ही स्थानान्तरित किया जा चुका है।

***श्री एच.वी. कामतः** यह दुर्भाग्य है कि डॉ. अम्बेडकर ने अपना संशोधन पेश करते हुये एक नग्न वक्तव्य दे दिया और इस प्रविष्टि को समवर्ती सूची से

[श्री एच.वी. कामत]

हटा कर संघ सूची में रखने का कोई उपयुक्त कारण नहीं बताया। मैं अपनी माननीय मित्र श्रीमती दुर्गाबाई से सहमत हूं कि हमारे चित्रों में हमारे राष्ट्र की संस्कृति का प्रतिबिम्ब होना चाहिये। इस विषय में दो मत नहीं हो सकते। परन्तु कुछ बातें हैं जिन पर इस सदन को, चल-चित्रों के विषय में विचार करते समय, ध्यान देना चाहिये। आजकल जो मित्र बनते हैं वे मूक चित्र ही नहीं होते, वरन् अधिकांश में वे वाचाल-चित्र होते हैं। मूक मित्रों का अब समय नहीं रहा और वाचाल-चित्रों में केवल चलचित्र ही नहीं होते प्रत्युत बहुत सी भाषा तथा संगीत, वार्तालाप और क्या-क्या बातें होती हैं। सबको ज्ञात है कि जब भी कोई चित्र विशेष किसी प्रांत विशेष में दिखाया जाता है, तब गाने, वार्तालाप आदि का उस प्रांत की भाषा में अनुवाद किया जाता है। प्रत्येक भाषा में अर्थ-भेदों तथा सूक्ष्म अन्तरों का प्रश्न उठता हूं प्रत्येक व्यक्ति के लिये संघ की सभी भाषाओं से भिज्ञ होना संभव नहीं है और जैसे कि मैं कह चुका हूं प्रत्येक भाषा की अपनी विशेष पदावली, अर्थलालित्य तथा वाग्धाराएं होती हैं। इस समय प्रत्येक प्रांत में एक चित्र सेन्सर सम्बन्धी प्रांतीय मंडली होती है और प्रांतीय लोग उस प्रांत की भाषाओं से अधिक परिचित होते हैं जितने कि केन्द्रीय मंडली के सदस्य संभवत: नहीं हो सकते, जब तक कि केन्द्रीय मंडली में प्रत्येक प्रांत का एक सदस्य न हो अथवा भारतीय संघ की विविध भाषाओं से सुपरिचित सदस्य न हों। इसका अर्थ है कि वह बहुत बड़ी मंडली होगी।

मेरी मित्र श्रीमती दुर्गाबाई ने एक विधेयक का निर्देश दिया है जो हमने विधान मंडल के गत आय-व्ययक सत्र में पारित किया था। उस विधेयक का उद्देश्य चित्रों को दो श्रणियों में विभाजित करना था—एक तो व्यापक रूप से प्रदर्शनार्थ, और दूसरी केवल प्रौढ़ों के लिये प्रदर्शनार्थ, जो बालकों तथा नव-युवकों के लिये ठीक न हों। किन्तु उन्होंने जो बात कहनी चाही थी वह बिल्कुल पूरी हो जायेगी। यदि इस चित्रों के के विषय को समवर्ती सूची में रख दिया जायें जिसका उद्देश्य राज्यों और केन्द्र दोनों को शक्ति देना है और संघ को ही अनन्य शक्ति देना नहीं है।

इस मामले का एक और पहलू है जो शायद सदन को स्वीकार्य हो। यद्यपि हमारी संस्कृति तथा सभ्यता एक हैं फिर भी हमारी रूढ़ियां प्रांत-प्रांत में तथा राज्य-राज्य में भिन्न-भिन्न हैं। मेरे मित्र पंडित भार्गव ने—आशा है कि मेरी स्मरणशक्ति ठीक है—विधान-सभा के गत सत्र में हिन्दू कोड विधेयक पर बोलते हुये बताया था कि संघ के विविध भागों में क्या-क्या रीतियां प्रचलन में हैं। दक्षिण में भाई तथा बहिन के बच्चों में विवाह हो सकते हैं। अर्थात् कोई व्यक्ति अपने ही मामा की पुत्री से विवाह कर सकता है। पंडित भार्गव ने कहा था "किन्तु यदि पंजाब में ऐसी बात हो जायें तो उस व्यक्ति के टुकड़े-टुकड़े कर दिये जायेंगे"। मान लीजिये कि किसी मित्र में मामा की पुत्री से किसी का विवाह करते हुये दिखाया जाता है तो मद्रास अथवा बम्बई जैसे प्रांतों में यह साधारण-सी बात हो सकती है, पर यदि उसे पंजाब में दिखाया जायेगा तो लोग स्तंभित हो जायेंगे।

***डॉ. पी.एस. देशमुख:** ऐसी बातें बहुत कम होती हैं।

***श्री एच.वी. कामत:** यह संभावना की सीमा से बाहर की वस्तु नहीं है। चित्रों में विवाह के महत्वपूर्ण सामाजिक संस्कार को दिखाया जा सकता है और इसलिये मेरे विचार में यह आवश्यक है कि केवल केन्द्र को ही नहीं अपितु राज्यों

को भी इस विषय में शक्ति दे देनी चाहिये कि वे भी चल-चित्रों के विषय में निर्णय कर सकें अतएव मैं चाहता हूं कि इस प्रविष्टि को इस सूची से हटा दिया जाये और वापस समवर्ती सूची में डाल दिया जाये; मैं अनुभव करता हूं कि इस प्रविष्टि के लिये उपयुक्त स्थान है। उचित समय पर जब समवर्ती सूची सदन में विचारार्थ पेश होगी तब मैं इस संबंध में एक संशोधन पेश करूंगा।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** अध्यक्ष महोदय, इस प्रविष्टि को समवर्ती सूची से संघ-सूची में लाने के दो उद्देश्य हैं, पहला, चित्रों की मंजूरी के लिये यथासंभव एकसमान निर्धारित करना, और दूसरा किसी चित्र निर्माता को हानि से बचाना, जिसके चित्र को कोई प्रांत शायर इसलिये मंजूर न करे कि वहां कोई असाधारण मान रखे हुए हैं और वहां चित्रों की मंजूरी के लिये सामान्य मान नहीं हैं। अतः मेरे विचार में यह अत्यन्त आवश्यक है कि इस मंजूरी के मामले को केन्द्र तथा प्रांतों दोनों में बाटंने की बजाय संघ-सूची में ही रखना अधिक अच्छा है, अन्यथा हो सकता है कि प्रत्येक प्रांत अपने अलग मान निश्चित किये जायेगा। और केन्द्र का यह कर्तव्य हो जायेगा कि वह प्रत्येक प्रांत को अपने मानों का परीक्षण करने के लिये मनाये और उन्हें बताये कि उनके मान अच्छे हैं या बुरे। जहां तक शेष बातों का सम्बन्ध है सूची 2 की प्रविष्टि 43 को ऐसे ही रहने देने का विचार है जिससे कि प्रांतों को नाटकों, थियेटरों और चल-चित्रों पर सब नियंत्रण बना रहेगा केवल मंजूरी का अधिकार नहीं रहेगा। मेरे विचार से मेरी इस प्रस्थापना से किसी के हित को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। दूसरी ओर, जैसा कि मैं कह चुका हूं मंजूरी की शक्ति एक ही निकाय में, जैसे केन्द्र में केन्द्रित कर देने से स्पष्ट लाभ होंगे।

***श्री राजबहादुरः** केवल मंजूरी?

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** एक बार केन्द्र यह मंजूरी दे दे कि वह चित्र अच्छा है तथा नैतिक मानों के अनुकूल है तो मुझे कोई कारण दिखाई नहीं देता कि प्रदर्शन के लिये और कोई उपबन्ध क्यों हो। मामला समाप्त हो जाता है।

***अध्यक्षः** मैं संशोधन संख्या 222 पर मत लेता हूं।

***डॉ. पी.एस. देशमुखः** मैं इसे वापस लेना चाहता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया।

***श्री राजबहादुरः** मैं अपने संशोधन संख्या 226 को वापस लेना चाहता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि प्रविष्टि संख्या 70क सूची 1 का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हो गया।

प्रविष्टि 70क संघ-सूची में जोड़ दी गई।

***अध्यक्षः** कुछ नई प्रविष्टियां हैं जिन्हें डॉ. देशमुख यहां रखना चाहते हैं। हम उन्हें अन्त में ले सकते हैं।

***डॉ. पी.एस. देशमुखः** वे लगभग स्वतन्त्र हैं। उन्हें अन्त में लेने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

प्रविष्टि 71

***अध्यक्षः** इस पर कोई संशोधन नहीं है। सरदार हुकम सिंह ने केवल अपमार्जन के सुझाव की सूचना दी है।

प्रविष्टि 71 संघ-सूची में जोड़ दी गई।

प्रविष्टि 72

***अध्यक्षः** फिर हम प्रविष्टि 72 पर आते हैं। इस पर भी कोई संशोधन नहीं है।

प्रविष्टि 72 संघ-सूची में जोड़ दी गई।

प्रविष्टि 73

***अध्यक्षः** फिर प्रविष्टि 73 है। डॉ. अम्बेडकर।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि सूची 1 की प्रविष्टि 73 के स्थान पर निम्न प्रविष्टि रख दी जाये:—

'73. Inter-State trade and commerce.'

[73. अंतर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य।]"

प्रविष्टि 73 में इनके बाद के शब्द अनावश्यक हैं, क्योंकि सूची 2 कि प्रविष्टि 33 को हटा देने की प्रस्थापना है।

***अध्यक्षः** इस पर एक संशोधन है, श्री नजीरुद्दीन अहमद का संशोधन सं. 226 ।

***श्री नजीरुद्दीन अहमदः** मैं इसे पेश नहीं कर रहा हूं।

***अध्यक्ष:** तो फिर इस प्रविष्टि पर कोई संशोधन नहीं है। मैं डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित रूप में इस प्रविष्टि पर सदन का मत लेता हूं। प्रश्न यह है:

"कि सूची 1 की प्रविष्टि 73 के स्थान पर, निम्न प्रविष्टि रख दी जाये:—

'73. अंतर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य:' "

संशोधन स्वीकृत हो गया।

संशोधित रूप में प्रविष्टि 73 संघ-सूची में जोड़ दी गई।

प्रविष्टि 73क

***अध्यक्ष:** फिर हम प्रविष्टि 73क, और डॉ. दिवाकर के संशोधन पर आते हैं। मैं यह समझ लेता हूं कि वह पेश नहीं हुआ। फिर श्री कामत की प्रविष्टि 73क–'अंत:नक्षत्रीय यात्रा' है।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** श्रीमान, मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि हम अंत:नक्षत्रीय यात्रा के उपबन्ध की बात करते हैं, तो यह सदन की कार्यवाही को बेहूदगी तक पहुंचाना है।

***श्री एच.वी. कामत:** मुझे विश्वास है कि यदि मेरे मित्र श्री कृष्णमाचारी विज्ञान के विकास का पूरा पता रखते, तथा केवल वाणिज्य और व्यापार में ही व्यस्त न रहते, तो वे ऐसी बातें न कहते।

***अध्यक्ष:** क्या हम ऐसी स्थिति पर पहुंच गये हैं जबकि अंत:नक्षत्रीय यात्रा पर नियंत्रण आवश्यक है?

***श्री एच.वी. कामत:** हां, श्रीमान, जैसा कि मैं कुछ क्षणों में ही सिद्ध करने का प्रयत्न करूंगा। मैं प्रस्ताव करता हूं.....

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** श्रीमान, मैं एक औचित्य प्रश्न उठाता हूं। मेरे मित्र जो स्थापना रखना चाहते हैं कि वह अक्रियमाण है, और इसलिये यह पेश नहीं होनी चाहिए।

***श्री एच.वी. कामत:** जब आप मेरी बात सुन चुकें, श्रीमान, तब आप निर्णय कर सकते हैं।

***अध्यक्ष:** पहले मैं उनकी बात सुनूंगा।

***श्री एच.वी. कामत:** श्रीमान, मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं:

"कि सूची 1 (षष्ठम सप्ताह) के संशोधन सं. 42 के निर्देश से सूची 1 की प्रविष्टि 73 के पश्चात्, निम्न नई प्रविष्टि जोड़ दी जाये:—

'73A. Inter-planetary travel.' "

[73क. अंत:नक्षत्रीय यात्रा।]

(हंसी)

[श्री एच.वी. कामत]

श्रीमान, सदन के सदस्यों की हंसी का मैं स्वागत करता हूं। किन्तु पचास वर्ष पूर्व, यदि कोई प्रसारकों और बेतार यंत्रों की बात करता तो उसका उपहास और मजाक होता, और शायद उसे पत्थर मारे जाते। किन्तु आज वे साधारण वस्तुएं हो गई हैं और प्रतिदिन की वस्तुएं हैं। मुझे विश्वास है कि श्री कृष्णमाचारी के पास भी अपना बेतार यंत्र अवश्य होगा। और आज प्रसारक यंत्र घर में होना संस्कृति का सूचक भी समझा जाता है। दूरवीक्षण को लीजिये। शायद बीस वर्ष पूर्व दूरवीक्षण को असंभव समझा जाता था। किन्तु आज अमरीका में दूरवीक्षित यंत्र इतनी साधारण चीज हो गई है कि सब महत्वपूर्ण सभाओं और भाषणों को दूरवीक्षत करके देश भर में दिखाया जाता है। इस शताब्दी को विज्ञान की त्वरित प्रगति के लिये श्रेय दिया जाता है क्योंकि मुझे विश्वास है, गत 50 वर्षों में विज्ञान के विवधि क्षेत्रों में इतनी प्रगति हुई है जितनी कि पहले के 500 वर्षों में भी नहीं हुई थी, आज हम अज्ञात रश्मियों, औषधि, जैट चालित विमानों के विषय में इतना सुनते हैं, हम निकट भविष्य में बहुत से महान परिवर्तनों की आशा कर सकते हैं। प्रगति आश्चर्यजनक है, यदि मैं ऐसा कह सकूं तो यह माया ही है। अभी उस दिन मैंने एक अमरीकी पत्र में पढ़ा था–मेरे विचार में 'न्यूयार्क टाइम्स' में ही एक समाचार था कि संयुक्त राज्य में एक समवाय स्थापित हुआ है जिसमें चन्द्र यात्रा के लिये आवेदन पत्र मांगे गये हैं। यह नितान्त सत्य है–मैं हास्य नहीं कर रहा हूं। शायद वे 'रोकेट' द्वारा यह यात्रा करने की आशा करते हैं। कुछ वर्ष पूर्व. .....

***श्री आर.के. सिधवा** (मध्य प्रांत तथा बरार: जनरल): क्या आप मुझे वह पत्र दिखा सकते हैं?

***श्री एच.वी. कामत:** हां, यदि आप कृपया मेरे सदन पर पधारें।

***अध्यक्ष:** मेरा ख्याल था कि लोग मृत्यु के पश्चात् चन्द्रलोक को जाते हैं।

***श्री एच.वी. कामत:** हां, श्रीमान, मैं भी ऐसे ही समझता था। स्वयं गीता में लिखा है.....

"तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते"

मुझे इस बात की संभावना पर आश्चर्य नहीं है कि योगी अपनी सिद्धियों की शक्ति से सशरीर चन्द्रमा पर जाकर वापस आ सकता है। पर इस बात के अतिरिक्त श्रीमान, यह तो अब संभावना के क्षेत्र में आ गई है, और कुछ वर्षों में ही, यह सर्वथा संभव है कि चन्द्र यात्राएं हुआ करें, तथा 'चन्द्र लोक का मनुष्य' इन उक्ति का कोई महत्व ही न रहे। मैं कह सकता हूं कि जब पृथ्वी पर अधिकाधिक जनसंख्या और घिच-पिच हो जायेगी, और जब विज्ञान अधिक प्रगति कर लेगा, तब शायद लोग चन्द्रमा या सौर्य मण्डल के अन्य कम जनसंख्या वाले नक्षत्रों पर उपनिवेश बसाना आरंभ कर देंगे। यदि हम विज्ञान की संभावना के विषय में अपने मस्तिष्क को खुला रखें, और विज्ञान की आश्चर्यजनक प्रगति के विषय में पूर्वधारणाओं या नासमझी के कारण अपने दिमाग को बन्द न करे, तो मुझे विश्वास है कि सदन इस मामले को ऐसे ही नहीं उड़ा देगा जैसे वह आज उड़ाना चाहता

है। मैं ज्योतिषी नहीं बनना चाहता पर मैं यह कहने का साहस कर सकता हूं कि आगामी 25 वर्षों में शायद पूर्वतर, ऐसी बातों पर उपहास नहीं होगा, जैसे कि यहां कुछ मित्र आज करना चाहते हैं।

***श्री बी.एल. सौंधी:** (पूर्वी पंजाब: जनरल): हमारे संतान के समय शायद।

***श्री एच.वी. कामत:** नहीं, श्री सौंधी और मेरे जीवन काल में ही।

अत: मेरा सुझाव है कि इस मामले को समवर्ती सूची में या राज्य सूची में न रखा जाये अपितु यह संघ का अनन्य क्षेत्राधिकार होना चाहिये, जिससे कि समय आने पर संघ को पूर्ण नियंत्रण की शक्ति होगी। हां, डॉ अम्बेडकर कह सकते हैं कि यह पारपत्रों तथा दृष्टांकों की प्रविष्टि में आ जाता है। पर मेरे विचार में यह बात नहीं है। वे पार पत्र तथा दृष्टांक हमारी इस पृथ्वी पर ही यात्रा के लिये हैं। किन्तु निकट भविष्य में अत:नक्षत्रीय यात्रा अधिकाधिक महत्वपूर्ण हो जायेगी, और इसलिये इसे संघ-सूची में स्थान मिलना चाहिये। और इसलिये मैं इस संशोधन को सदन के समक्ष सच्चे दिल से तथा निष्पक्ष रूप में विचार करने के हेतु पेश करता हूं।

***अध्यक्ष:** श्री नजीरुद्दीन का एक संशोधन भी नक्षत्रों तथा उपग्रहों की यात्रा के विषय में है। वे इस संशोधन से भी संतुष्ट नहीं हैं। क्या आप उसे पेश करना चाहते हैं?

श्री नज़ीरुद्दीन अहमद: हां, श्रीमान्, क्योंकि यदि यह संशोधन जो अभी पेश किया गया है, स्वीकृत हो जायेगा तो यह मेरे संशोधन के बिना अपूर्ण रहेगा। मैं केवल एक मिनट लूंगा मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं:

"कि सूची 3 (षष्ठम सप्ताह) में, प्रस्थातपत नई प्रविष्टि 73क पर संशोधन सं. 227 के निर्देश से अंत में निम्न शब्द जोड़ दिये जायें:—

'travel between the planets and the satellites and between the satellites.' "

[नक्षत्रों और उपग्रहों के बीच और उपग्रहों के बीच।]

***अध्यक्ष:** आपने इसकी सूचना आज प्रात:काल ही दी थी।

श्री नज़ीरुद्दीन अहमद: हां, श्रीमान, कठिनाई यह थी कि मैं इस संशोधन को कल तैयार करके अपनी जेब में लाया था पर उसे कार्यालय को देना भूल गया।

***अध्यक्ष:** मैं आपत्ति नहीं कर रहा हूं। चलते जाइये।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** मेरा निवेदन है कि, यद्यपि यह अंत:नक्षत्रीय यात्रा भविष्य का स्वप्न है, पर वह शीघ्र ही हो रही है। बहुत समय पूर्व जूल्स वरने का एक बहुत अच्छा उपन्यास 'पृथ्वी से चन्द्र को और उसके चारों ओर एक चक्कर' निकला था, और वैज्ञानिक विषयों पर बहुत से उपन्यास निकले थे। बहुत हद तक उनका स्वप्न सच निकला है और आधुनिक वैज्ञानिकों का यह विश्वास है कि अंत:नक्षत्रीय यात्रा एक क्रियान्मक बात है और शीघ्र ही एक वास्तविकता बन जायेगी और वाणिज्यिक पैमाने पर हो सकेगी। श्री कामत के संशोधन में एक

[श्री नज़ीरुद्दीन अहमद]

कसर है और त्रुटि है। उनके संशोधन में एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र को यात्रा का उपबन्ध है और एक नक्षत्र से किसी उपग्रह को और उपग्रहों के बीच यात्रा का उपबन्ध नहीं है। अत: यदि अंत:नक्षत्रीय यात्रा को सूची में रखना है, जो कि होना ही चाहिये, तो यह संशोधन स्वीकार करना ही होगा। सबसे पहले पृथ्वी से चन्द्र को और वापस आने की यात्रा होगी। किन्तु कामत के संशोधन से यह संभव न हो सकेगा। मौलिक संशोधन को पूर्ण बनाने के लिये मेरा संशोधन स्वीकृत हो जाना चाहिये। श्रीमान, यदि संशोधन अस्वीकृत होना है तो वह अधिक संतोषजनक ढंग से मतदान द्वारा होना चाहिये।

***अध्यक्ष:** मैं नहीं समझता कि अधिक बोलने की आवश्यकता है।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** मैं पूर्णत: नहीं समझा कि क्या मेरे मित्र की प्रस्थापना उन बातों के विषय में है जो अज्ञातव्य हैं या उन बातों के विषय में है जो अज्ञात हैं। यदि वे अज्ञात हैं, तो हमने समय ही गंवाया है। किन्तु यदि वे बातें अज्ञात हैं, पर अज्ञातव्य नहीं हैं, तो उनके विषय में हमारे पास पर्याप्त शक्तियां हैं। किसी प्रविष्टि की चिन्ता क्यों की जाये?

***अध्यक्ष:** मैं श्री नज़ीरुद्दीन अहमद के संशोधन पर मत लेता हूं। प्रश्न यह है:

"कि सूची 3 (षष्ठम सप्ताह) में, प्रस्थापित नई प्रविष्टि 73क पर संशोधन सं. 227 के निर्देश से, अंत में निम्न शब्द जोड़ दिये जायें:—

'travel between the planets and satellites and between the satellites.' "

[नक्षत्रों और उपग्रहों के बीच और उपग्रहों के बीच।]

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि सूची 1 (षष्ठम सप्ताह) के संशोधन सं. 42 के निर्देश से, सूची 1 की प्रविष्टि 73 के पश्चात् निम्न नई प्रविष्टि जोड़ दी जाये:—

'73क. अंत:नक्षीय यात्रा।' "

प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया।

तत्पश्चात् सभा बृहस्पतिवार, तारीख 1 सितम्बर, 1949 के 9 बजे तक के लिये स्थगित हो गई।